लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 9—शुक्रवार, 27 अगस्त 1965/5 भाद्र, 1887 (शक)
No. 9—Friday, August 27, 1965/Bhadra 5, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

*ता०प्र०संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
239	औद्योगिक प्रगति	Industrial Growth	885–888
240	टैलीविज़न सेटों का आयात	Import of T.V. Sets	888–890
241	कोयला खानों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Coal Mines	890–894
242	पाकिस्तान को इस्पात तथा लोह का निर्यात	Export of Steel and Iron to Pakistan	894–896
243	आयात नीति	Import Policy	897–900
244	फ्लाइंग मेल दुर्घटना	Flying Mail Accident	900–902
245	भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Bhilai Steel Plant	902–904
246	रूस को जूतों का निर्यात	Export of Shoes to U.S.S.R.	904–906

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q.Nos.			
247	घड़ियों का निर्माण	Manufacture of Watches	906
248	भारतीय माल पर आयात शुल्क	Import Levies on Indian Goods	907
249	निर्यात सम्बन्धी नीति	Export Policy	907
250	एशिया के लिये विकास बैंक	Development Bank for Asia	907–908
251	पुस्तकों का निर्यात	Export of Books	908
252	रेलगाड़ियों में अत्यधिक भीड़	Overcrowding in Trains	908
253	कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Industry	908–909
254	निर्यात संवर्धन तथा अधिकार योजना	Export Promotion and Entitlement Scheme	909
255	चलती रेलगाड़ियों से संदेशों का भेजना	Sending Messages from Running Trains	909
256	निर्यात	Exports	910
257	आयात नीति	Import Policy	910

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

ता० प्र० संख्या S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
258	स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters .	911
259	अफ्रीका में उद्योग	Industries in Africa . .	911
260	कनाड़ा में हार्ड बोर्ड फैक्टरी	Hard Board Factory in Canada .	912
261	वस्तुओं का देश ही में उत्पादन	Indigenous Production . .	912-913
262	सेलम में इस्पात कारखाना	Steel Plant at Salem	913
263	दस्तूर और कम्पनी	Dastur and Co. . .	913-914
264	कारों के मूल्य	Prices of Cars . .	914
265	उद्योगों के लिये लाइसेंस	Licensing of Industrial Units .	915
266	छोटी कार परियोजना	Small Cars Project . .	916
267	खेत्री तांबा खानें	Khetri Copper Mines . . .	916-917
268	नई खनिज परियोजनायें	New Mineral Projects . .	918

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.			
791	कानपुर की एक फर्म से रेलपटड़ियों का बरामद होना	Recovery of Rails from a Kanpur Firm	918
792	दक्षिण-पूर्व रेलवे के पादरीगंज स्टेशन पर अग्निकाण्ड	Fire at Padreganj Station (South Eastern Railway) . . .	918-919
793	वेस्ट कोस्ट सुपर एक्सप्रेस गाड़ी	WEST Coast Super Express Train	919
794	केरल में बागान निगम	Plantation Corporation in Kerala	919-920
795	आयुर्वेदिक औषधियों के संयंत्रों का निर्यात	Export of Ayurvedic Medicinal Plants	920
796	सूक्ष्म माप यंत्रों का कारखाना	Precision Tool Factory . . .	920-921
797	सीमेंट का उत्पादन	Production of Cement . . .	921
798	लिग्नाइट की खानों से लाभ उठाना	Exploiting of Lignite Mines . .	921-922
799	हनुमानगढ़ तथा सादुलपुर के बीच-गाड़ी	Train between Hanumangarh Sadulpur	922
800	छोटी कोयला खानों का बड़ी खानों में विलय	Merger of small coal mines with bigger ones	922
801	मूंगफली के तेल का सट्टा	Speculation in Groundnut Oil .	922-923
802	कच्चा माल निगम	Raw Materials Corporation . .	923
803	अविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड	Invention Promotion Board . .	923
804	महाराष्ट्र-राज्य की नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Maharashtra State	923-924
805	औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licence . .	924
806	कोयले का भाव	Price of Coal	924-925
807	दिल्ली में पटेल रोड पर ऊपरी पुल	Over-Bridge on Patel Road, Delhi	925
808	खाद्यान्न-सम्बन्धी विश्व समझौता	World Agreement on Foodgrains .	925-926

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
809	मशीनों का आयात	Import of Machinery . . .	926
810	देहात निवासियों को इस्पात का देना	Supply of Steel to rural population	926
811	पन्ना की हीरें की खानें	Panna Diamond Mines . .	926–927
812	हावड़ा-दिल्ली रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Howrah-Delhi Railway Line	927–928
813	जल ठंडा करने की मशीनें	Water Coolers	928
814	अम्बाला, छावनी स्टेशन पर विश्राम कक्ष	Retiring Room at Ambala Cantt.	928
815	अलीगढ़ रेलवे स्टेशन	Aligarh Railway Station . .	928–929
816	भारतीय चलचित्र निर्यात निगम	Indian Motion Pictures Export Corporation	929
817	बरौनी में बैरेल कारखाना	Barrels Factory at Barauni .	929
818	सस्ते कैमरों का निर्माण	Manufacture of Cheap Cameras .	929
819	मोटर गाड़ियों की बाडी का निर्माण	Manufacture of Automobile Bodies	930
820	मोटर के पुर्जों का मूल्य	Price of Motor Parts . . .	930
821	करेबियन के साथ व्यापार	Trade with the Caribbean . .	930–931
822	चीन को पुनः निर्यात	Re-exports to China . . .	931
823	खनिज अयस्कों के नये क्षेत्र	New Minerals Ore Field . .	931
824	आसाम में कागज़ बनाने का कारखाना	Paper Mill in Assam . . .	931
825	रेलवे बोर्ड में मनोवैज्ञानिक-तकनीकी अनुभाग (सेल)	Psycho-Technical Cell in Railway Board	932
826	लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक क्षमता का उपयोग न किया जाना	Non-utilization of Licensed industrial Capacity	932
827	सीमेन्ट कारखाने	Cement Plants	933
828	बोकारो इस्पात परियोजना	Bokaro Steel Project . . .	933–934
829	यूगोस्लाविया के साथ औद्योगिक-सहयोग	Industrial Collaboration with Yugoslavia	934
830	उपभोक्ता उद्योग	Consumer Goods Industries . .	934
831	लो टैम्प्रेचर कार्ब-नाइजेशन प्लांट	Low Temperature Carbonisation Plant	935
832	मैसूर में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory in Mysore .	935
833	कच्चे माल का वितरण	Distribution of Raw Materials .	935–936
834	चाय उद्योग सम्बन्धी विश्व सम्मेलन	World Conference on Tea Industry	936
835	आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार	Trade with Australia . . .	937
836	मशीनी-औजार का कारखाना	Machine Tool Industry . .	937
837	जापान को लौह-अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan .	938
838	कोरबा एल्यूमीनियम संयंत्र	Korba Aluminium Plant . .	938

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
839	रेल रेडियो टेलीफोन प्रणाली	Train Radio Telephone System	938–939
840	भिलाई इस्पात कारखाने में दुर्घटना	Accidents at Bhilai Steel Plant	939
841	कोटा में औजार कारखाना	Instrument Factory at Kotah	940
842	इस्पात कारखानों का विस्तार	Expansion of Steel Plants	940
843	रेलगाड़ियों का देर से चलना	Late Running of Trains	940–941
844	अलौह धातुओं के लिए वैमानिक सर्वेक्षण के लिए अमरीकी सहायता	U.S. Assistance for Aerial Survey Non-ferrous Metals	941
845	उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग	Small Scale Industries in U.P.	942
846	यूरोपीय देशों को लौह-अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to European Countries	942
847	छपाइ की मशीनों का निर्माण	Manufacture of Printing Machinery	943
848	भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में सामान की चोरी	Theft of Geological Survey of India Equipment	943
849	एच० एम० टी० घड़ियों का निर्यात	Export of H.M.T. Watches	943–944
850	पूर्वोत्तर रेलवे में नियुक्तियां और पदोन्नतियां	Appointments and Promotion on North Eastern Railway	944
851	कोटा-चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन	Kotah—Chittorgarh Railway Line	944
852	तुर्की में अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार मेला	International Trade Fair in Turkey	945
853	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर मालगाड़ी तथा ट्रक की टक्कर	Goods Train Truck Collision on S.E. Railway	945
854	सरकारी उपक्रम	Public Undertakings	946
855	दिल्ली में सीमेन्ट की कमी	Shortage of Cement in Delhi	946–947
856	कांगड़ा-घाटी सैक्शन पर अतिरिक्त रेल गाड़ी	Additional Train on Kangra Valley Section	947
857	सीमेन्ट का उत्पादन	Production of Cement	947
858	कानपुर के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Kanpur	948
859	रूस में प्रदर्शनी	Exhibition in U.S.S.R.	948
860	रेलवे कर्मचारियों के लड़कों के लिये पद रक्षित करना	Reservation of Posts for sons of Railway Employees	948
861	रेलवे को संयुक्त-परामर्श समिति	Joint Consultative Committee on the Railways	949
862	तिरूर ऊपरी पुल	Tirur Over-Bridge	949
863	केरल को सीमेन्ट का नियतन	Allocation of Cement to Kerala	949
864	कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र	Kandla Free Trade Zone	949–950
865	बम्बई में भूमिगत रेलवे	Underground Railway in Bombay	950
866	पूर्वी पाकिस्तान के रास्ते अगरतला को चावल भेजना	Transhipment of Rice to Agartala via East Pakistan	950–951

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
867	त्रिपूरा में लुगदी उद्योग	Pulp Industry in Tripura .	951
868	रबड़ बोर्ड	Rubber Board	951
869	गोआ में इस्पात कारखाना	Steel Plant at Goa . . .	951
870	दुर्गापुर में चश्मों के शीशों का संयंत्र	Glass Plant at Durgapur . .	952
871	काजू उत्पादों का निर्यात	Export of Cashew Products .	952
872	कोट्टायम और कालीकट (केरल) में लोह-अयस्क के निक्षेप	Iron Ore Deposit in Kottayam and Calicut (Kerala) . . .	953
873	सिगरेट बनाने के टिशू कागज़ का निर्यात	Export of Cigarette Tissue Paper .	953
874	ट्रांसफार्मरों का निर्माण	Manufacture of Transformers .	954
875	खनिज तथा धातु व्यापार निगम	Minerals and Metals Trading Corporation	954
876	श्रीलंका से गोले का आयात	Import of Copra from Ceylon .	954
877	लद्दाख में स्वर्ण-निक्षेप	Gold Deposits in Ladakh . .	955
878	पंजाब में रेशम कीट पालन उद्योग का विकास	Development of Sericulture in Punjab	955
879	पंजाब में भारी उद्योग	Heavy Industries in Punjab . .	955
880	कपड़ा मिलें	Textile Mills	956
881	सीमेंट की कमी	Shortage of Cement . . .	956–957
882	सीमेंट के कारखानें	Cement Factories . . .	957–958
883	लाख का निर्यात	Export of Lac . . .	958
884	मण्डी सेंधा नमक	Mandi Rock Salt . . .	958
885	साइकल के टायर तथा ट्यूब	Cycle Tyres and Tubes . .	959
886	कलकत्ता और बम्बई के बीच डीलक्स रेल गाड़ियां	Deluxe Trains between Calcutta and Bombay	959
887	रेल यात्रा में विद्यार्थियों को दी जाने वाली रियायत	Students' Concession for Railway Travel	960
888	गोले की कमी	Shortage of Copra . . .	960
889	माधोपूर रेलवे लाइन	Madhopur—Kathua Railway Line	960–961
890	मैसूर में बिजली का कारखाना	Electrical Factory in Mysore .	961
891	बोकारो इस्पात कारखाने के इंजीनियर	Engineer of Bokaro Steel Plant .	961
892	मद्रास और विजयवाडा रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrifications of Masdras—Vijayawada Railway Line . . .	962
893	दिल्ली और जोधपूर के बीच नई रेलगाड़ी का चलाया जाना	New Train Between Delhi and Jodhpur	962
894	कोयला	Coal	962
895	खनिज सर्वेक्षण	Mineral Surveys . . .	963

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
896	रायगढ़ में शैल-समूह	Rock formation in Raigarh	963
897	रेलवे पोत संगठन	Railway Marine Organisation	963–964
898	रेल की पटरी के निकट गिराया गया बम	Bomb Dropped near Railway Track	964
899	राजेन्द्र पुल	Rajendra Pul	964–965
900	पूर्व तथा पूर्वोत्तर रेलों का नौ (मैरीच) संगठन	Marine Organisation on Eastern and North-Eastern Railways	965
901	रेलवे "स्लीपर"	Railway Sleepers.	965
902	चारबाग स्टेशन पर रेल दुर्घटना	Railway Accident at Charbagh Station	965–966
903	निम्बूघास तेल का निर्यात	Export of Lemon Grass Oil	966
904	चीनी का निर्यात	Export of Sugar	967
905	आम का निर्यात	Export of Mangoes	967
906	रेलवे कर्मचारियों को निर्माण भत्ता	Construction Allowance to Railway Staff	967
907	रेशम उद्योग	Silk Industry	968
908	रेशम कीट पालन उद्योग का विकास	Development of Sericulture	968
909	एवरेस्ट पर्वतारोहियों के लिये निःशुल्क रेल यात्रा	Free Rail Travel for Everesters	968
910	हसन-मंगलौर रेलवे लाइन	Hassan—Mangalore Rail Line	968–969
911	भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग	Geological Survey of India	969
912	हिमाचल प्रदेश के उद्योग	Industries in Himachal Pradesh	969
913	राजस्थान में संगमरमर	Marble in Rajasthan	970
914	भटिंडा स्टेशन पर दुर्घटना	Incident at Bhatinda Station	970
915	आगरा स्टेशन पर माल की चोरी	Theft of Goods at Agra Station	970–971
916	आसाम और मनीपुर में सूती कपड़े की मिलें	Cotton & Spinning Mills in Assam and Manipur	971
917	रूई का आयात	Import of Cotton	971
918	पटसन का आयात	Import of Jute	971–972
919	आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड	Inventions Promotion Board	972
920	गोरखपुर-बाराबंकी बड़ी रेलवे लाइन	Gorakhpur—Barabanki Broad Gauge Rail Line	972–973
921	निर्यात से होने वाली आय	Export Earnings	973
922	तूतीकोरीन में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees at Tuticorin	973
923	डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी	Diesel Locomotive Works at Varanasi	973–974
924	राज्य व्यापार निगम प्रतिनिधिमंडल का जापान का दौरा	S.T.C. Delegation's visit to Japan	974

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
925	रेल के डिब्बों में ट्रांजिस्टर रेडियो	Transistor Radios in Railway Compartments	974
926	रेलवे कर्मचारियों के लिये दस्तकारी केन्द्र	Handicrafts Centres for Railway Employees	974-975
927	कच्चे लोहे, तांबे, जिंक का उत्पादन	Production of Pig Iron, Copper and Zinc	975
928	रेशम कीट पालन उद्योग का विकास	Development of Sericulture . .	975-976
929	चिकबल्लापुर-कोलार-बंगलौर रेलवे लाइन	Chik-Ballapur-Kolar-Bangalore Railway Line	976
930	टिन प्लेट	Tin Plates	976–977
931	जहानाबाद में ट्रक और रेलगाड़ी की टक्कर	Truck Train Collision at Jehanabad	977
932	भिलाई में कच्चा लोहा	Pig Iron in Bhilai . .	977
933	लोह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore . .	978
934	राजस्थान में संगमरमर	Marble in Rajasthan . . .	978
935	पटना तथा दिल्ली के लिये गुआ (दक्षिण-पूर्व रेलवे) से सीधा डिब्बा	Direct bogie from Gua (S.E. Rly.) for Patna and Delhi . . .	979
936	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास बोर्ड	U.N. Trade and Development Board	979
937	सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियां	Appointments in Public Sector Undertakings	979–980
939	रेलवे अधिकारी	Railway Officers	980
940	भारी इंजीनियरी निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	981
941	संश्लिष्ट तन्तु (सिंथेटिक फैब्रिक्स) का उत्पादन	Production of Synthetic Fabrics .	981
942	हिन्दुमलकोट-हनुमानगढ़ रेलवे लाइन	Hindumalkot—Hanumangarh Railway Line	982
943	भू-समावृत (लैण्डलोक्ड) देशों के बीच पारगमन (ट्रांजिट) व्यापार सम्बन्धी सम्मेलन	Conference on Transit Trade of Land Locked Countries . .	982
944	"कोल बेनिफिकेशन प्लांट"	Coal Beneficiation Plant .	982–983
945	नमक का निर्यात	Export of Salt	983
946	प्रथम श्रेणी केडिब्बों में यात्रा करने वाले रेलवे कर्मचारी	Railway Officers Travelling in Ist Class Compartments . .	983–984
947	रूरकेला में उर्वरक संयंत्र	Fertilizer Plant in Rourkela .	984–985
948	भिलाई में छटी धमन भट्टी	Sixth Blast Furnace in Bhilai .	985
949	आन्ध्र प्रदेश में हीरों के निक्षेप	Diamond Deposits in Andhra Pradesh	985
950	रेलवे तारों के लिये हिन्दी कोड	Hindi Code for Railway Telegrams	986

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
951	हिन्दी में लिख पत्ते वाले पार्सल	Parcels Bearing Hindi Addresses	986
952	सिकन्दराबाद का गांधी अस्पताल	Gandhi Hospitals, Secunderabad	986-987
953	इस्पात पुनर्वेलन उद्योग	Steel Re-rolling Industry . .	987
954	दांतेवड़ा–भद्राचलम लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Dantewara-Bhadrachalam Line	987-988
955	राजस्थान ऊन का निर्यात	Export of Rajasthan Wool . .	988
956	लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore . .	988
957	शीशे बनाने वालों की कठिनाइयां	Difficulties experienced by glass Manufacturers . . .	988-989
958	कमला बालन बांध में दरारें	Breaches at Kamla-Balan Bund .	989
959	चमड़ा उद्योग	Leather Industry . .	989-990
960	ऊनी कालिनों का निर्यात	Export of Woollen Carpets .	991
961	तेल गाड़ी का रोका जाना	Stabling of Oil Train . .	991
962	सरकारी क्षेत्र में अल्यूमिनियम कारखाने	Aluminium Projects in Public Sector	991
963	गोआ से लौह-अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore from Goa .	991-992
964	विश्व बक के ऋण से कोयला निकालने की मशीनों का आयात	Import of Coal-mining Machinery against World Bank Loan .	992
965	बम्बई के पास स्थानीय यात्री गाड़ी की दुर्घटना	Suburban Passenger Train accident near Bombay	992
966	बाक्स कारें	Box Cars . . .	992-993
967	बिहार में औद्योगिक कारखानों को कच्चे माल का आवंटन	Allotment of Raw Materials to Industrial Units in Bihar . .	993
968	उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम	Industries (Development and Regulation) Act	993
969	बिहार को इस्पात के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन	Allocation of Foreign Exchange to Bihar for import of Steel . .	993-994
970	गाड़ियों की रफ्तार तथा इनका समय पर आना जाना	Speed and punctuality of trains .	994-995
971	बीना और इटारसी के बीच रेलगाड़ियों का चलना	Rail Communications between bina and Itarsi	995
972	डीज़ल तेल के इंजन	Diesel Locomotives . . .	995-996
973	कुनैन का निर्यात	Export of Quinine . . .	996-997
974	केन्द्रीय सिगनल कारखाना (रेलवे)	Central Signal Workshop (Railways)	997
975	मोटरगाड़ी उद्योगों के लिये इस्पात	Steel for Automobile Industries .	997-998
976	नंगल में कागज़ का कारखाना	Paper Mill in Nangal . .	998
977	पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Jute Industry	999
978	कैलसियम कार्बाइड	Calcium Carbide . .	999

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
979	बम्बई-मंगलौर रेलवे लाइन	Bombay Mangalore Rail Line .	1000
980	पूना मिराज बड़ी लाइन	Poona Miraj Broad Gauge Line	1000
981	औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates . .	1000–1001
982	राष्ट्रीय-कोयला विकास निगम की कोयला खानें	N.C.D.C. Coal Mines .	1002
983	रेशम के कपड़े का निर्यात	Export of Silk Fabrics . .	1002
984	ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात	Export of Textiles to U.K.	1002–1003
985	टीन की चादरों से भरे माल-डिब्बों का कब्जे में लेना	Wagons of Tin Sheets taken into Custody	1003
986	रेलवे इलेक्ट्रिक वर्कशाप दिल्ली से रैफ्रिजरेटरों की चोरी	Theft of Refreigerators from Railway Electric Workshops, Delhi	1003
987	कानपुर में माल डिब्बे में शव	Dead Body in a Goods Wagon at Kanpur.	1004
989	पारसखेड़ा के पास यात्री गाड़ी में डकैती	Robbery in Goods Train near Parsakhera	1004
990	मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस गाड़ी का ग्वालियर के निकट पटरी से उतर जाना	Derailment of Madras-Delhi Janta Express near Gwalior . .	1004
991	कोटा रेलवे कारखाने के लिए भूमि	Land for Kotah Railway Workshop	1005

अ० स० प्र० संख्या 2
S.N.Q. Nos. 2

पांचवा इस्पात संयंत्र — Fifth Steel Plant . 1005–1006

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— — Calling Attention to Matter of urgent Public Importance—

महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर एक अज्ञात विमान की उड़ान — Flight of an unidentified aircraft over the West Coast of Maharashtra . . . 1006–1008

विशेषाधिकार का प्रश्न— — Questions of Privilege—

(1) इन्दौर पुलिस द्वारा लोक सभा को भेजी जाने वाली याचिका का जब्त किया जाना — (i) Seizure by Indore Police of petitions addressed to Lok Sabha . . . 1009–1010

(2) संसद् सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई की सूचना के बारे में — (ii) *Re*: Intimation of arrest and relesase of Lok Sabha Members . . . 1010–1012

श्री अ० क० गोपालन के सम्बन्ध में — *Re* : Shri A. K. Gopalan . . 1012

सभा-पटल पर रखे गये पत्र — Papers laid on the Table . 1012–1014

रसायनिक उर्वरकों के उत्पादन तथा सम्भरण के बारे में वक्तव्य— — Statement *Re* : Production and Supply of Chemical Fertilizers—

श्री हुमायून कबिर — Shri Humayun Kabir . . 1014

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सभा का कार्य	Business of the House . .	1014–1016
अलिगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प और अलिगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—	Statutory Resolution *Re* : Aligarh Muslim University (Amendment) Ordinance and Aligarh Muslim University (Amend ment) Bill—	
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh .	1016–1020
श्री मुहम्मद ताहिर	Shri Mohammad Tahir	1020
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla .	1020–1023
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani	1023–1024
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	
अड़सठवां प्रतिवेदन	Sixty-eight Report .	1024
नगरीय सम्पत्ति की उच्चतम सीमा के बारे में संकल्प–अस्वीकृत	Resolution *Re* : Ceiling on Urban Property—negationed	
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	Shri P. R. Chakraverti	1025–1026
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen .	1026–1027
श्री दे० शि० पाटिल	Shri D. S. Patil . .	1027
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	1027
श्री विभति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra .	1027–1028
श्री रामेश्वरानन्द	Shri Rameshwaranand .	1028
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das	1028
श्री कृष्णपाल सिंह	Shri Krishnapal Singh .	1028–1029
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Smt. Subhadra Joshi .	1029
श्री च० ला० चौधरी	Shri Chandramani Lal Chaudhury . .	1029
श्रीमती लक्ष्मीबाई	Smt. Laxmi Bai .	1030
श्री के० दे० मालवीय	Shri K. D. Malaviya	1030
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary.	1030
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	Shri J. P. Jyotishi .	1030–1031
डा० महादेव प्रसाद	Dr. Mahadeva Prasad	1031
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	1031–1032

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 27 अगस्त, 1965/5 भाद्र, 1887 (शक)
Friday, August 27, 1965/Bhadra 5, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

औद्योगिक प्रगति

*239. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री सोलंकी :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री प्र० के० देव :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री नरसिंहा रेड्डी :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964–65 में औद्योगिक प्रगति की दर बहुत गिर गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : एक विवरण संभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (1956—100) में 1963–64 में हुई 9.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1964–65 में 6.4 प्रतिशत वृद्धि हुई ।

(ख) औद्योगिक उत्पादन के विकास में यह कमी कुछ प्रमुख उद्योगों जैसे सीमेंट, इस्पात, एल्यूमिनियम, सूत कताई उद्योग तथा जूट वस्त्र उद्योगों में जिनका सूचकांक पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है उत्पादन स्थापित क्षमता की सीमा तक पहुंच जाने के कारण हुई। अब उत्पादन में और वृद्धि तभी सम्भव हो सकती है जब कि इन उद्योगों के विस्तार और नवीनीकरण का कार्यक्रम पूरा हो जाये । विदेशी मुद्रा का अभाव कुछ उद्योगों में श्रमिकों के झगड़े बिजली (पावर) की कमी तथा कुछ स्वदेशी माल में कमी होने के

कारण भी औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों में जैसे ट्रक, मोटर गाड़ी उद्योग के सहायक उद्योग, बिजली का सामान जिसमें मोटरें, स्विचगियर, ट्रांसफार्मर, निर्माण के काम आने वाला सामान, मशीनी औजार और काटने के औजार भी शामिल हैं। पिछले वर्ष के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। इन उद्योगों को कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात के लिए आई० डी० ए० ऋण से सहायता दी गई थी।

(ग) उपलब्ध विदशी मुद्रा की सीमा के अन्तर्गत कच्चे माल और पुर्जों के सम्भरण के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। आयातित माल के स्थान पर स्वदेशी उत्पादन का प्रयोग करने के लिये भी अधिकाधिक प्रयास किये जा रहे हैं। इस वर्ष कुछ माली उपाय लागू किए गए थे जिनमें टैक्स क्रेडिट के उपाय भी शामिल हैं। इनका उद्देश्य उत्पादन-वृद्धि के काम को प्रोत्साहित करना ही है।

श्री रामसहाय पाण्डेय : किन किन क्षेत्रों में प्रगति हुई है और किन किन क्षेत्रों में प्रगति नहीं हुई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजिनियरिंग मंत्री तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनमें कुछ प्रगति हुई है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। ब्योरेवार विवरण बताना बहुत कठिन है। इसके कुछ सामान्य कारण विवरण में बताये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई और जानकारी देनी है तो वह दे दीजिए।

श्री त्रि० ना० सिंह : यह बहुत भारी काम है। यदि आप कहते हैं तो मैं जानकारी एकत्र करुंगा।

श्री रामसहाय पाण्डेय : कच्चे मालके आयात पर लगाए गए प्रतिबन्ध से प्रगति पर क्या असर पड़ा है ? दूसरे, क्या यह सच है कि अधिकतर प्रभाव छोटे पैमाने के उद्योगों पर पड़ा है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह सच है कि कच्चे माल की कमी के कारण छोटे पैमाने के उद्योगों पर अधिक प्रभाव पड़ा है।

Shri Yashpal Singh: Is it not a fact that the growth is hampered due to control and if controls are removed, there will be growth ?

Shri T. N. Singh : It is not so.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार ने संसाधनों के इस्तेमाल न किये जाने के बारे में, जिनको उत्पादन बढ़ाने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इसकी प्रतिशतता क्या है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हमने हर उद्योग के बारे में प्रतिशतता नहीं निकाली है। इन आंकड़ों का पता लगाना बहुत कठिन है।

Shri Raghunath Singh : This year the growth has been lesser by three percent; I want to know the industry which has been affected more and the reasons therefor.

श्री त्रि० ना० सिंह : जैसे, कोयले की कमी। लेकिन कोयला उद्योगमें कोयला जमा होता गया, क्योंकि कोयले को उठाया नहीं गया। अत: मांगसे भी उत्पादन की प्रगति पर प्रभाव पड़ा। निस्सन्देह, कुछ क्षेत्रों में कच्चे माल की कमी से भी उत्पादन पर असर पड़ा है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में, उत्पादन बढ़ा भी है।

Shri Rameshwar Tantia : In the statement it is said, "the shortage of foreign exchange, labour disputes in some industries, shortage of power and some of the indigenous materials were other factors which affected production". I

want to know the percentage of industrial growth fixed by the Government during the Fourth Five Year Plan and the measures taken to remove the difficulties that have been pointed out.

Shri T. N. Singh : The draft of the Fourth Five Year Plan is not ready by now. It is difficult for me to give the figures regarding rate of growth.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने 23 मई को योजना में उपबन्धित राशि के इस्तेमाल सम्बन्धी एक गोष्ठी में कहा था कि क्षमता के पूरे इस्तेमाल न होने देने के लिये विभिन्न पहलुओं के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण भी क्षमता का अधिकाधिक इस्तेमाल नहीं हो पाता। यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार उस हद तक कम उत्पादन के लिये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को जिम्मेवार समझती है ?

श्री वि० ना० सिंह : माननीय सदस्य को पता है कि मनोविज्ञान एक अमूर्त पहलू है। अमूर्त पहलू के आधार पर मूर्त आंकड़े बताना मेरे लिये कठिन है।

Shri M. L. Dwivedi : I want to know whether on account of shortage of foreign exchange and scarcity of raw material, Govt. propose to reduce the number of Small-Scale Industries; if so, whether the Ministry could not put sufficient pressure on the Planning Commission and upto what time this shortage is likely to continue.

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : छोटे पैमाने के उद्योगों को कम करने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के लिये छोटे पैमाने के उद्योग बड़े आवश्यक हैं। विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन न देने का फैसला किया है जो मुख्यत: आयातित कच्चे माल पर निर्भर हैं। वास्तव में छोटे पैमाने के उद्योगों से अपना उत्पादन देश में उपलब्ध कच्चे माल से बनाने के लिये कहा जा रहा है।

Shri Bhagwat Jha Azad : It is correct that the reasons for low production in the small-scale sector were shortage of raw material and finances but what is the reason of low production in the large-scale sector where Govt. gives financial assistance and raw material ? Is it not a fact that those industrialists were running other industries where profits could be more and as such there was low production on this side ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह बात नहीं है। वास्तव में जहां तक बड़े उद्योगों का सम्बन्ध है, अर्थात् वे उद्योग जिनको उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस दिये गये हैं, एक बार लाइसेंस दिये जाने के बाद कच्चे माल की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाता है। उनको कुछ कच्चा माल दिये जाने का आश्वासन दिया जाता है। जहां तक छोटे पैमाने के उद्योगों का सम्बन्ध है, वे निर्बन्ध रूप से स्थापित हुई हैं और पिछले 10 वर्षों में इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। तथापि, उनको राज्य सरकारों की मार्फत कच्चा माल दिया जाता है। लेकिन उद्योगों में इस प्रकार प्रगति हुई है और फलस्वरूप कच्चे माल की कमी ऐसी रही है कि छोटे पैमाने के उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो गया है। अत: सरकार ने एक समिति नियुक्त की है . . .

श्री भागवत झा आजाद : मेरा प्रश्न यह नहीं था। मैं बड़े उद्योगों के बारे में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: संभवत : उन्होंने आवश्यकता से अधिक उत्तर दे दिया है।

श्री भागवत झा आजाद : मेरा प्रश्न बिल्कुल भिन्न था। यदि वह प्रश्न नहीं समझे हैं तो श्री सिंह को उत्तर देने दीजिए। उन्होंने समझा कि शायद मैंने छोटे उद्योगों के बारे में पूछा है। मैंने बड़े उद्योगों के बारे में पूछा है।

श्री वि० ना० सिंह : उन्होंने छोटे पैमाने के उद्योगों की समस्याओं पर अधिक कहा है। मैं इतना और कहता हूं कि यह नहीं कहा जा सकता कि बड़े पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में कच्चे माल का अभाव रहा है। उनको विदेशी मुद्रा की कमी के कारण कुछ तकलीफ तो हुई है। लेकिन जैसा मैंने कहा उनमें कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू निहित हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि उन कपड़ा उद्योगों में जिनमें मध्यम दर्जे का और मोटा कपड़ा बनता है, बाजार में मंदा आ गया है। और निर्यात के लिये भी कोई अन्तर्राष्ट्रीय मंडी नहीं है और उनमें कुप्रबन्ध भी है, इसलिये उनको हानि हो रही है और यदि हां, तो क्या सरकार उन उद्योगों को अपने नियंत्रण में लेगी जिन कपड़ा तथा पटसन उद्योगों में कुप्रबन्ध है।

श्री वि०ना० सिंह : जब कभी हमें ऐसे मामलों का पता चलता है, हम जांच का आदेश दे देते हैं। कुछ मामलों में हमने कुछ कदम उठाये हैं। अन्य मामलों में भी जब कभी आवश्यक होगा, हम आवश्यक कदम उठायेंगे।

टेलीविज़न सेटों का आयात

+

*240. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री दे० जी० नायक :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बागड़ी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से टेलीविज़न सेटों के आयात करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितने सेट और किस किस देश से आयात किये जायेंगे; और

(ग) तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) 1,000 टेलीविज़न सेट सामान्य मुद्रा क्षेत्र से और 2,000 टेलीविज़न सेट हंगरी से।

(ग) रु० 6,22,200 मूल्य के 1000 टेलीविज़न सेट का आयात पूर्वी अफ्रीका के एक प्रवासी भारतीय द्वारा किया जायेगा जो अपनी विदेशी विनिमय की कमायी में से इनका मूल्य चुकायेंगे और सन्तोषजनक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर तथा बिक्री के बाद की जाने वाली सेवा की शर्त के साथ प्रदान करेंगे। हंगरी से होने वाले 2000 सेटों के आयात का भुगतान (लगभग 11,80,000 रुपये) भारत-हंगरी भुगतान करार के अन्तर्गत रुपयों में किया जायगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : आयातित टेलीविज़न सेटों के मूल्य की देश में उत्पादित टेलीविज़न सेटों के मूल्य से क्या तुलना है और हमें अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये किस हद तक आयातित टेलीविज़न सेटों पर निर्भर करना पड़ता है ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा माननीय सदस्य को ज्ञात है, देश में बड़े पैमाने पर कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। अतः अभी कुछ समय तक हमें पूर्ण रूप से आयातित टेलीविज़न सेटों पर निर्भर करना पड़ेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : इन आयातित सेटों का अनुमानित मूल्य क्या होगा और क्या देश में इनका उत्पादन आरम्भ करने की कोई योजना है और यह कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

श्री मनुभाई शाह : वर्तमान ठेका 690 रु० प्रति सेट लागत-बीमा-भाड़ा भारतीय पत्तन तक और शुल्क अतिरिक्त; इसके अतिरिक्त स्थानीय कर भी लगेंगे । मैं इसके विक्रय मूल्य के ठीक आंकड़े नहीं दे सकता । बिक्री सरकार के प्रमाणपत्र पर ही की जायेगी ताकि मूल्य नियमित किये जा सकें ।

जहां तक इसके देश में उत्पादन का प्रश्न है, टैलीविजन सेटों की आवश्यकता इतनी सीमित है कि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन आरम्भ करने के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता । हम हमारी अपनी आवश्यकताएं भी सीमित हैं और हम टेलीविजन सेटों के बारे में कोई स्थायी जिम्मेवारी नहीं उठा सकते । एक वर्ष के लगभग अनुभव प्राप्त करने और इस उपक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही हम उत्पादन करने के बारे में कदम उठायेंगे ।

श्री कपूर सिंह : अनुमानित मूल्य क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : शुल्क में परिवर्तन होता रहता है । उपभोक्ता वस्तुओं पर यह 100 प्रतिशत तक हो गया है । इस बारे में मैं अनुमान नहीं लगा सकता । यहां पर उतरने पर इसकी लागत 670 रु० होगी ।

Shri Rameshwar Tantia : May I know the names of cities which will be given preference for setting up T. V. Sets and whether any scheme for manufacturing T. V. Sets indigenously is under consideration ?

Shri Manubhai Shah : In the first instance, it will be limited to Delhi and thereafter it will be set up in four big cities on an experiment basis.

So far as its manufacture is concerned, as I have said earlier that after having experience, we shall think of spending crores of rupees on such a big enterprise.

Shri Bibhuti Mishra : The Hon. Minister just now said that first it will be set up in Delhi and thereafter in four big cities. Only urban people would be benefited from this. I want to know the time by which the rural public is likely to take benefit of it ?

Shri Manubhai Shah : The Information Minister placed the whole policy before the House in this connection. The idea is to divert it towards the educational programme. The scheme would also be applied to villages. First let T. V. Sets come and let us see their performance. Everywhere in the world T. V. has been beneficial and here also it would be beneficial.

Shri Bibhuti Mishra : On a point of order, Sir. In the cities there are certain facilities of education and good Teachers are also available in the cities. They do not go to the villages. It will take about 50 years for T. V. to reach there in village. Gandhiji said that villages should be given preference.

Shri Manubhai Shah : We shall set up T. V. in villages also.

Mr. Speaker : It is a point of order. I have to reply to that.

श्री दे० जी० नायक : जब हम इस पर इतनी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं तो क्या हर बड़े शहर में इन सेटों का लगाना नितान्त आवश्यक है ?

श्री मनुभाई शाह : 1000 सेटों का पहला आयात विदेश स्थित एक भारतीय द्वारा दी गई विदेशी मुद्रा से किया जाएगा । इस पर कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होगी क्योंकि उसको भुगतान रुपयों में किया जाएगा । दूसरा आयात हंगरी से किया जायगा जिनके साथ हमारा रुपये में भुगतान करने का करार है । हम रुपये में भुगतान करने पर संयुक्त अरब गणराज्य और रूस से भी और सेट आयात करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं । इस बारे में हम सतर्क हैं कि इस पर विदेशी मुद्रा खर्च न हो ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया: जहां तक जन साधारण का सम्बन्ध है, उनको अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिये, क्या सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविज़न सेट लगाने की कोई बृहत योजना है और यदि हां, तो क्या इसको निकट भविष्य में पूरा किये जाने की संभावना है ?

श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न सूचना और प्रसारण मंत्री से पूछा जाये । मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि नीति धीरे धीरे गांवों तक पहुंचने की है । पहले शुरुआत तो हो जाए ।

Shri Bagri : What are the reasons for making a start in big cities and not in villages or small towns ?

Mr. Speaker : It was said that they would gradually go to the rural areas.

Shri Manubhai Shah : Mobile Sets will be there, mobile vans will also be there.

श्री राम सहाय पाण्डय : जब कि हम टेलीविज़न सेटों का आयात कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश में अधिक सेट बनाने के लिये चौथी योजना में कोई उपबन्ध करने का सुझाव दिया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां । हमारा भी यही विचार है । वास्तव में योजना बड़ी विस्तृत है । विश्व के चार बड़े निर्माता देशों से आयात किये गये सेटों पर कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद ही हम कुछ अनुमान लगायेंगे । गांवों और शहरों में आवश्यक अनुभव प्राप्त करने के बाद इसका स्थानीय रूप से निर्माण किया जा सकता है ।

Shri Ram Sevak Yadav : In view of the shortage of foreign exchange does the Hon. Minister think it proper to import television sets from abroad ?

Shri Manubhai Shah : Yes, Sir, we think it proper.

श्रीमती अकम्मा देवी : अब तक कितने टेलीविज़न सेट आयात किये जा चुके हैं, दिल्ली में स्कूलों में कितने सेट हैं और गणमान्य व्यक्तियों के पास कितने सेट हैं ?

श्री मनुभाई शाह : पहले तो टेलीविज़न सेटों का आयात किया ही नहीं गया है । हमारे पास 800 सेटों का रिकार्ड है । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि स्कूलों में कितने हैं और गणमान्य व्यक्तियों के पास कितने हैं, यह प्रश्न अन्य मंत्रालय से पूछा जाये । हम तो इन सेटों के लिये आयात की अनुमति देते हैं ।

कोयला खानों का आधुनिकीकरण

+

*241. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री तम सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री बसुमातारी :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री कनकसैव :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्रीमती मैमुना सुलतान :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों के आधुनिकीकरण के लिये विश्व बैंक की सहायता का पूर्णतया उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं कि सहायता का पूर्णतया उपयोग किया जाये ?

इस्पात और खान मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या): (क) यह ठीक है कि कथित ऋण का पूरा प्रयोग नहीं हुआ है।

(ख) प्रारम्भ में इसका कारण उद्योग द्वारा आवश्यक मैचिंग रूपी वित्त का प्राप्त न कर पाना था। परन्तु अब मुख्य कारण कोयले की मांग का कम होना है जिसके कारण उद्योग भारी लागत पर बाहर से मशीनें और उपकरण मंगाने के लिये इच्छुक नहीं है।

(ग) ऋण के प्रयोग की सुविधा के लिये सरकार ने एक अंशिक प्रतिभूति की योजना मंजूर की जिससे कि उधार देने वाली संस्थाएं गैरसरकारी क्षेत्र की कोयला खानों को अग्रिम राशि दे सकें। जून, 1962 और मार्च, 1964 में कोयले की कीमतें बढ़ाई गईं ताकि उद्योग को धन व्यय करने का आकर्षण हो। और भी बहुत सी छूटें क्षेप्य भरण के लिये सहायता विकास के लिये बड़ी छूट तथा आयात खनन मशीनों पर शल्क की छूट वाली दरों के रूप में प्रदान की गई। 31 जुलाई, 1965 को कुछ श्रेणी के जो ऋण समाप्त होने वाले थे उसे बढ़ाकर 30 सितम्बर, 1965 तक कर दिया गया है।

श्री वारियर : छोटी कोयला खानें इस ऋण का आधुनिकीकरण के लिये इस्तेमाल नहीं कर सकती और इसलिय सरकार का इनमें से कुछ को मिला कर एक करने का इरादा था ताकि वे लाभप्रद एकक बन सकें। क्या मैं जान सकता हूं कि इस मामले में सरकार ने कितनी प्रगति की है ?

श्री तिम्मय्या : छोटी कोयला खानों का विलय एक भिन्न प्रश्न है। बजट पर चर्चा के दौरान यह बताया गया था कि छोटी कोयला खानों के विलय के बारे में एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। लेकिन यह मूल प्रश्न ऋण के बारे में है और यह 5 श्रेणियों में आता है। और यह ऋण विश्व बैंक द्वारा दिया गया है। अब तक कोयला उद्योग ने इस महीने तक 16.01 करोड़ रुपये के साज सामान के क्रयादेश दिये हैं।

श्री वारियर : क्या यह सच है कि आधुनिकीकरण के लिये आयात की गई मशीनों का पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और ये बेकार पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी तरह से इनको इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : यह सच है कि कुछ मामलों में मशीनें अभी तक इस्तेमाल नहीं की गयी हैं : इसका कारण कोयले की मांग में कमी है जिसके कारण उत्साह कुछ शिथिल पड़ गया है।

Shri Tan Singh : Is it a fact that one of the reasons for not fully utilising the aid received from the World Bank is as stated by the industrialists that Govt. have not completed certain legal and administrative formalities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P. C. Sethi) : It is not correct.

श्री रा० बरुआ : क्या आधुनिकीकरण न होने का कोयले पर आधारीत उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो किस हद तक ?

श्री संजीव रेड्डी : प्रश्न यह है कि कोयले की मांग नहीं है। यदि कोयले पर आधारीत उद्योग अधिक मांग करे तो निश्चय ही कोयला उत्पादक अधिक उत्पादन करेंग। लेकिन मांग कम होने के कारण वे अधिक कोयला निकालनें में धन लगाने को तयार नहीं हैं।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that in the case of small collieries, they have asked time for modernising the collieries and whether they would be given time?

Shri P. C. Sethi : Yes Sir, they asked time for that. Previously it was upto 31st July, 1963 and then the time was extended upto 30th September, 1965. They are asking for more time. For that we are negotiating with the World Bank but it seems that there is no possibility for this.

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या विश्व बैंक का ऋण इस कारण से भी व्यय नहीं किया जा सका है कि मंत्रालय में इस संबंध में बहुत औपचारिक कार्य करने पड़ते हैं और इन कार्यों के करने में बहुत समय लगता है?

श्री संजीव रेड्डी : यह ठीक है। मैं अनुमान अथवा कारणों के सम्बन्ध में प्रश्न का उत्तर नही देना चाहता किन्तु यह सच है कि हमनें अवधि बढ़ानें के लिए कहा है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या कोयला उद्योग को ऐसी सहायता देने के लिये विश्व बैंक ने कोई शर्त लगाई है?

श्री संजीव रेड्डी : सरकार द्वारा पहले स्विकार की गई शर्तें कायम हैं। उनके अतिरिक्त कोई नई शर्त नहीं लगाई गई है।

Shri M. L. Dwivedi : The hon. Minister has just stated that Government are preparing a bill to amalgamate small industries with big industries. May I know how long this question was pending and causes of delay in bringing forward the Bill?

श्री संजीव रेड्डी : पहले हम स्वेच्छा से विलय का प्रयत्न कर रहे हैं। चूंकि इसका कोई आशाजनक परिणाम नहीं निकला है अतः अब हम विधेयक तैयार कर रहे हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने देश के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए इस बात की गंभीरता पूर्वक जांच की है कि भविष्य में शक्ति के लिए कोयले का उपयोग लाभ कर नहीं रहेगा, और यदि हां तो उसका क्या परिणाम रहा?

श्री संजीव रेड्डी : जहां तक मुंझे जानकारी है न केवल हमारे देश में अपितु अन्य देशों में कोयले के स्थानपर अन्य वस्तुओं का ईंधन के लिए उपयोग हो रहा है। हमने अभी औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उन्नति नहीं की है। अतः औद्योगिक विकास में भविष्य में भी कोयले का महत्वपूर्ण स्थान रहेगा।

श्री दाजी : इन सब तथ्यों को देखते हुए कि ये कोयले की छोटी खाने समस्त कोयला उद्योग के लिये, यहां तक कि उत्पादन लागत और आधुनिकिकरण की दृष्टि से भी, बाधक है, क्या सरकार अनुभव करती है कि इनका एकीकरण करने के स्थान पर राष्ट्रीयकरण किया जाये?

श्री संजीव रेड्डी : मैं राष्ट्रीयकरण के पहलू से सहमत नहीं हूं किन्तु मैं मानता हूं कि कोयले की खाने संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही हैं।

श्री वासुदेवन् नायर : क्या यह सच है कि आयात की जा चुकी जिन मशीनों का उपयोग नहीं किया गया उन्हें दूसरे विभाग उपयोग में ला सकते हैं? मैं मिट्टी खोदने वाली मशीन का उल्लेख कर रहा हूं। क्या उनके मंत्रालय को कहा गया है कि फालतू मशीनों को दूसरे विभागों को देने की व्यवस्था की जाये?

श्री संजीव रेड्डी : हमने इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की फालतू मशीनें अन्य विभागों को दी गई हैं। किन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में जब हमें कोकिंग कोयले के उत्पादन मे वृद्धि करनी पड़ेगी तो फालतू मशीनों का उपयोग किया जायगा। अतः मैं समझता हूं कि कोकिंग कोयल का उत्पादन 2 करोड़ 50 लाख टन बढ़ाने पर यह मशीन फालतू नहीं रहेगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या कोयला उद्योग के लिये दिये गये विश्व बैंक ऋण के अन्तर्गत भारत सरकार के टेंडर मांगने की अनुमति दी गई है अथवा उद्योग की आवश्यकता कुछ देशों से सामान मंगा कर ही पूरी करने की शर्त लगाई गई है?

श्री संजीव रेड्डी : मैं समझता हूं कि कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि किसी विशेष देश से।

श्री दाजी : किन देशों से उत्तर स्पष्ट होना चाहिए।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या टैन्डर मांगने में विलम्ब का यही कारण है?

श्री संजीव रेड्डी : जी, नहीं।

श्रीमती सवित्री निगम : क्या मंत्री महोदय को पता है कि कोयले की छोटी खानों के मालिक खानों का आधुनिकिरण नहीं चाहते है और पुंजी दूसरे उद्योगों में लगा रहे है? इन सब बातों को देखते हुए सरकार उनका आधुनिकीकरण करने अथवा उन्हें अपने हाथ में लेने में क्यों हिचकिचाती है?

श्री संजीव रेड्डी : खानों को अपने हाथ में लेना ही उनका राष्ट्रीयकरण करना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि मांग न होने के कारण वे हिचकिचाते हैं। मुझें विश्वास है कि मांग बढ़ने पर हम न केवल वर्तमान मशीनों का अपितु अधुनिक मशीनों तथा उपकरणों का भी उपयोग करेंगे।

श्री अ० प्र० शर्मा : कोयला खानों के विलय का यह प्रश्न स्वैच्छिक पद्धति पर आधारित है क्या सरकार ने कोयले की छोटी खानों के मालिकों के विचारों के बारे में पता लगाया है? यदि हां, तो इस संबंध उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

श्री संजीव रेड्डी : प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ वर्षपूर्व पता लगाया गया था और उसी के आधार पर स्वैच्छिक विलय का प्रश्न उठाया गया। अब हम समझते हैं कि यह प्रयास असफल रहा और इसीलिये अब उनका कानूनी तौर पर विलय किया जायेगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि उतना ही अनुदान जितना विश्व बैंक का ऋण है न मिलने के कारण उद्योग में विश्व बैंक के ऋण का उपयोग नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की है?

श्री संजीव रेड्डी : यह सच है इस सम्बन्ध में मेरे सहयोगी बता चुके हैं कि सरकार ऋण के बराबर का अनुदान न मिलने के कारण धन की व्यवस्था की जा रही है।

Shri Raghunath Singh : This matter has been pending since long. May I know the reasons for not giving matching grant when there was a demand for it ?

Shri P. C. Sethi : We gave Bank guarantee. Since then we are utilising this loan. The ratio between the Bank guarantee and Government's share was 35½: 65.

पाकिस्तान को इस्पात तथा लोहे का निर्यात

+

*242. **श्री हेम बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी ०चं० शर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री परमशिवन :
डा० श्रीनिवासन :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री कनकसबे :
श्री रामपुरे :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1965 में कलकत्ता के कुछ व्यापारी पाकिस्तान को इस्पात तथा लोहे का निर्यात कर रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा पाकिस्तान को ऐसी अत्यावश्यक वस्तुओं का निर्यात बन्द करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) जिस प्रकार का इस्पात निर्यात किया गया उस प्रकार का इस्पात देश में अपेक्षाकृत अधिक है और उस पर से मूल्य और वितरण नियंत्रण हटा लिया गया है। ऐसे इस्पात सभी देशों को निर्यात करने की छूट है। ऐसे इस्पात के निर्यात से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। चुंकि निर्यात किया गया इस्पात साधारण प्रकार का स्पात है जिसे पाकिस्तान सुगमता से किसी भी अन्य देश से प्राप्त कर सकता है और चूंकि इसके निर्यात से हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, इसलिए इस प्रकार के स्पात के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री हेम बरुआ : इस समय पाकिस्तान के साथ चल रहे युद्ध को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पाकिस्तान को इस्पात जैसे सामरिक महत्व के सामान के निर्यात बन्द करन के औचित्य पर विचार क्यों नहीं किया।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : सभी पहलुओं पर विचार किया गया था। यह साधारण इस्पात है सामरिक महत्व का इस्पात नहीं। इस से हमें विदेशी मुद्रा के रूप में डालर और पौण्ड प्राप्त होते हैं जिससे हम अधिक युद्धोपकरण खरीद सकते हैं। चूंकि हमें इससे अच्छी आय होती है अत: मंत्रिमंडल ने पहले दिये गये वचन को न तोड़ने का निर्णय किया है।

श्री हेम बरुआ : माननीय सदस्य श्री नाथपाई ने पहले आरोप लगाया था कि कलकत्ता के कुछ व्यापारी पाकिस्तान को इस्पात की छड़ों का निर्यात कर रहे हैं। चूंकि यह अनधिकृत निर्यात है अत: सरकार ने उन व्यापारियों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है और सरकार के होते हुए इन व्यापारियों ने पाकिस्तान से कसे सम्पर्क स्थापित किया ?

श्री संजीव रेड्डी : यह बात नहीं है। बिना अनुमति के निर्यात करने के सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है। ये निर्यात सरकार की अनुमति से किये जा रहे है और इन के लिये गत अक्टूबर में परमिट दिये गये थे। मैं बता चुका हूं कि इस पर मंत्रि मंडल में विचार करने के बाद निर्यात बन्द न करने का निर्णय किया गया क्योंकि हमें इस से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसका भुगतान पाकिस्तानी रुपये में न होकर डालरों और पौंडों में किया जाता है। चूंकि हम इसका निर्यात करने के लिये वचन दे चुके थे अतः हमने इन साधारण सामग्रियों का निर्यात करनेकी अनमति दी है।

श्री हेम बरुआ : बात ऐसी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या गैर सरकारी व्यक्ति बिना सरकार की अनुमति के निर्यात कर रहे हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : गैर सरकारी व्यक्ति ही निर्यात करते हैं।

श्री हेम बरुआ : प्रश्न का भाग (क) इस प्रकार है ;

"क्या यह सच है कि मई 1965 में कलकत्ता के कुछ व्यापारी पाकिस्तान को इस्पात तथा लोहे का निर्यात कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय नें कहा है कि उन्हीं लोगों ने निर्यात किया था जिन्हें सरकार ने परमिट और लाइसेंस दिये थे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्हों ने अक्टूबर बताया था। निर्यात मई में किया गया। क्या सरकार ने मई में भी निर्यात करने की अनुमति दी थी ?

श्री संजीव रेड्डी : प्रश्न के भाग (क), अर्थात्, क्या मई, 1965 में कलकत्ता के कुछ व्यापारी पाकिस्तान को इस्पात और लोहे का निर्यात कर रहे थे, के उत्तर में मैंने बताया "जी हां" इसमें कोई अस्पष्ट बात नहीं है। श्री नाथ पाई द्वारा इस सम्बन्ध में बतायें जाने के बाद इस पर मई में मंत्रिमंडल ने विचार किया था। इस संबंध में सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सरकार के वचन को पूरा करने का निर्णय किया गया।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि हमारे देश ने पाकिस्तान को इस्पात का निर्यात किया है। क्या यह वस्तु विनिमय के आधार पर किया गया था अथवा यह पाकिस्तान को सीधा निर्यात था ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं बता चुका हूं कि यह विदेशी मुद्रा कमाने के लिये ऐसा किया गया था।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि चूंकि हमारे पास देश की आवश्यकता से अधिक इस्पात था इसलिये उसका निर्यात किया गया। क्या इस वर्ष अथवा गतवर्ष इस प्रकार के इस्पात का विदेशीयों से आयात किया गया है ?

श्री संजीव रेड्डी : कुछ पार्टियां निर्यात कर रही थीं। इस वर्ष हमने निर्यात एक टन से बढ़ाकर 3 टन करन का निणय किया है। यह निर्यात न केवल पाकिस्तान को अपितु सूडान तथा अन्य कई देशों को निर्यात करने का निर्णय लेने पर किया गया था। गत वर्ष 1 लाख टन का निर्यात किया था और इस वर्ष 3 लाख टन निर्यात करने का निर्णय किया गया है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र के व्यापारियों के जरिये निर्यात करने के स्थान पर राज्य व्यापार निगम के जरिये निर्यात करने के औचित्य पर विचार किया है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, हां, मैं इस सम्बन्ध में विचार करूंगा, राज्य व्यापार निगम कई वस्तुओं का व्यापार करता है और यदि वह इसे अपने हाथ में ले ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री दे० जी० नायक : लौह अयस्क के आयात से कितनी विदेशी मुद्रा पाकिस्तान से मिली ?

श्री संजीव रेड्डी : लगभग एक करोड़ रुपये की ।

श्री इकबाल सिंह : क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान की भारत के साथ कोई सहानुभूति नही है उसने अपने वचन के अनुसार भारत को चावल और गेहूं भी नही भेजा ? फिर भी हम उसको लोहे और इस्पात का निर्यात क्यों कर रहे हैं ? क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव मात्र है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी : क्या सरकार पाकिस्तान के स्थान पर किसी अन्य देश को लोहे और इस्पात का निर्यात नही कर सकती ? क्या यह प्रतिरक्षा नीति के प्रतिकूल नही है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं । इस पर विचार किया गया और यह महसूस किया गया कि यह ऐसा सामरिक महत्व का माल नहीं है जिसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जाये ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि पाकिस्तान, भारत से आयात किए गए लोहे और इस्पात का उपयोग सामरिक कार्यों के लिये कर रहा है, और यदि हां, तो सरकार अपनी नीति का पुनरीक्षण क्यों नहीं करती ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या तर्क कर रही हैं । प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया जाये ।

श्री संजीव रेड्डी : मेरे विचार से इसका उपयोग युद्ध सामग्री के लिये नहीं हो सकता है ।

Shri Bade : Steel being exported to Pakistan costs her more if she imports it from other Countries than India. Whether the Government consider the desirability of accepting foodgrains for this export instead of earning dollars ?

श्री संजीव रेड्डी : सरकार ने इस सम्बन्ध में विचार किया था । यदि माननीय सदस्य ऐसा करना खतरनाक समझते हैं तो हम इस पर फिर विचार कर सकते है और यदि यह खतरनाक समझा गया तो हम निश्चित रूप से निर्यात बन्द कर देंगे ।

आयात नीति

+

*243. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बासप्पा :
श्रीमती रेणुका राय :
डॉ० महादेव प्रसाद :
श्री राम हरख यादव :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात नीति की घोषणा करने में अत्यधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं जो कि पहले प्रतिवर्ष सामान्यत: अप्रैल में घोषित कर दी जाती थी;

(ख) क्या सरकार ने कच्चे माल के आयात का विनियमन करने के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता का प्रबन्ध किया है ताकि लघु तथा अत्यावश्यक उद्योग अपनी पूरी क्षमता पर काम कर सकें ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इन उद्योगों को चालू रखने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) विदेशी विनिमय की कठिन स्थिति ने सरकार को अप्रैल 1965 से शुरू होने वाले चालू वर्ष की आयात नीति की घोषणा को स्थगित कर देने के लिये विवश कर दिया।

(ख) सरकार ने जहां तक सम्भव हुआ है उपलब्ध विदेशी मुद्रा की सीमाओं में रहते हुए लघु तथा आवश्यक उद्योगों के लिय कच्चे माल के आयात का विनियमन करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध करने का यत्न किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri M. L. Dwivedi : Why the assessment of the position of raw material was not made earlier so that import policy could have been laid down in the month of April ? May I know the extent of loss suffered by the industry on account of this delay ?

Shri Manubhai Shah : The Hon. Member is aware that we had to import fertilizers and defence equipment in addition to import schedule. We also wanted to ascertain about the assistance expected from friendly countries before announcing the policy in the month of April and it took two months.

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether the requirements of raw materials of small industries is being met adequately from indigenous resources for which it is not available to them from abroad due to the shortage of foreign exchange.

Shri Manubhai Shah : As has been just now told by my colleague and I have also said last year we are not giving enough foreign exchange to small scale industries. We are trying to provide foreign exchange to industries according to our limits so that they can run on their factories ?

श्रीमती सावित्री निगम : हमेशा ऐसा होता आया है कि जब भी आयात तथा निर्यात नीतियों की घोषणा होती है तब इनका बाजार पर अपना अलग असर होता है। क्या मैं जान सकती हूं कि क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि नीति की घोषणा विलम्ब से होने का छोटे उद्योगों के अतिरिक्त किसानों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जब बाजार में उनकी चीज़ आ जाती है तथा होर्डर्स के हाथों में चली जाती है तब नीति की घोषणा होती है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।

श्री मनुभाई शाह : किसान तो सामने आता ही नहीं है। माननीय महिला सदस्य जानती हैं कि आयात नीति की घोषणा कारखानों तथा स्थापित आयातकर्त्ताओं के लिए होती है।

श्रीमती सावित्री निगम : कच्चा माल दो स्थानों से आता है.....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बड़ा लम्बा प्रश्न पूछा था। उसका उत्तर किस प्रकार दिया जा सकता है।

श्रीमती सावित्री निगम : एक तो आयात है और दूसरा देश में उत्पादन।

अध्यक्ष महोदय : हम माननीय महिला सदस्य की बात फिर कभी सुनेंगे। श्री सामन्त।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि काफी लघु उद्योग समाप्त प्रायः हैं क्योंकि देश में कच्चा माल उपलब्ध नहीं है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या और कार्यवाही की गयी हैं अथवा की जा रही है?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजिनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मैं आपकी अनुमति से इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह सच है कि हमारे कई लघु उद्योग आज बहुत बड़ी कठिनाई से गुजर रहे हैं। इस के लिए हम रुपये के आधार पर भुगतान किये जाने वाले देशों तथा कुछ अबाध विदेशी मुद्रा वाले स्रोतों से यथा संभव अधिक से अधिक मात्रा में, जितना भी उपलब्ध हो सके, कच्चा माल मंगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए हमारा विचार इस उपाय को काम में लाने का है और लघु उद्योगों के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : May I know whether this delay was caused due to the fact that the Capitalists were being consulted and they were unanimously not arriving at a conclusion ?

Shri Manubhai Shah : That is not the reason. The reason is the same as has been explained to you.

श्री राम सहाय पाण्डेय : चौथी योजना को अन्तिम रुप दिया जा रहा है और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने योजना तैयार करने वालों को कोई ऐसा सुझाव दिया है कि वे उन छोटे उद्योगपतियों के हित में जिन्होंने अपनी पूंजी विनियोजित की है, कोई मार्गोपाय निर्दिष्ट करें, और उनसे यह कहा जा रहा है कि उन्हें न तो विदेशी मुद्रा ही दी जायेगी और न कच्चा माल ही। जब स्थिति ऐसी है, तो फिर आप उनसे यह आशा कैसे करते हैं कि वह वस्तुओं का निर्माण करें ?

श्री त्रि० ना० सिंह : माननीय सदस्य को इस बात से अवगत होना चाहिए कि इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी---लोकनाथन् समिति ...

श्री राम सहाय पांण्डेय : समिति की नियुक्ति के बारे में बता देना कोई उत्तर नहीं है।

श्री त्रि० ना० सिंह : उसके बाद, लघु उद्योगों को कम से कम कुछ विशेष आवश्यक वस्तुओं की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की गई हैं और उन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

Shirimati Tarkeshwari Sinha : Sir, on the basis of export entitlement, ten per cent of the import was being allowed. I want to know the amount of export made on this basis and foreign exchange spent on the import in lieu thereof ?

Shri Manubhai Shah : It does not arise out of the main question because it has nothing to do with the import policy. However, the export was to the extent of 100 or 101 crores last year and against which the import was to the tune of 20 crores through the import entitlement.

Shrimati Tarkeshwari Sinha : It arises because of the fact that he said that there was a great paucity of foreign exchange. I want to know whether foreign exchange has been earned to the tune which we should have earned through export. He said that they earned 100 crores. I want to know the amount spent against that on the import and whether we earned net 100 crores or not ?

Shri Manubhai Shah : On the basis of the figures furnished by the Collector of Customs, the Ministry announced the export of 815 crores. The Finance Minister in his speech dated the 19th stated that it was 803 crores and according to the Reserve Bank, it was 815 crores.

श्री प्र० चं० बरुआ : कर-समंजन के विभिन्न स्तर किस आधार पर निर्धारित किये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : आयात नीति का कर-समंजन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बासप्पा : क्या देश में तकनीकी तथा आयात-स्थानापन्नता की अन्य समस्याओं को हल करने के लिए कोई पग उठाये जा रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने डा० वी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता में आयात-स्थानापन्नता के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की है। इससे पूर्व, जैसा कि सभा को विदित है, जी० एल० मेहता दल ने इस प्रश्न के बारे में अध्ययन किया था। अब हम यह सोच रहे हैं कि, यदि उक्त अध्ययन दल सिफारिश करे, तो हम आयात-स्थानापन्नता के सम्बन्ध में काम करने वाली एक अथवा दो तकनीकी संस्थाओं की भी स्थापना कर सकते हैं।

Shri Rameshwar Tantia : Due to delay in the import of necessary raw materials, the industries in the Country are badly effected. I, therefore, want to know whether this delay was caused due to some ban imposed by the Ministry of Finance or it was as a result of the delay in finalising the import policy by the Commerce Ministry?

Shri Manubhai Shah : There is no question of any Ministry in this regard but, since Government have to take many things in view, it is natural that some delay is caused. We have to make an assessment of foreign aids that we may likely get, and availability of foreign exchange with us, and possibilities of export promotion and finally the import requirements that we have to meet. The Hon. Member is aware that some delay, say about a fortnight or a month, is caused every year, however, users are actually not effected thereby.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether Government have invited the representating of small scale industries and enquired about the inconvenience being caused to them or the difficulties they were facing ?

Shri Manubhai Shah : We called a meeting of the Import & Export Advisory Committee and therein we consulted all the parties concerned such as their federation and industrial association.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the basis of reduction?

Shri Manubhai Shah : It has been done on the basis of our requirements and availability of our resources.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : लाइसेंस जारी करते समय क्या सरकार यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरतती है कि नये उद्योगों अथवा फर्मों को लाइसेंस देने से पहले वर्तमान उद्योगों अथवा फर्मों को उनका पूरा कोटा दिया जाये ?

श्री मनुभाई शाह : हमारी यही सामान्य नीति है कि हम वर्तमान एककों की पहले यथासंभव मांग पूरी करें और उसके बाद यदि कुछ शेष बचता है अथवा जो अतिरिक्त संसाधनों से उपलब्ध हो सकता है, वही नये उद्योगों को दिया जाता है।

Shri Kashi Ram Gupta : Is it a fact that the production in the Bangalore Watch Factory is reduced to half due to the existing import policy and if so, the steps being taken by Government to remedy the situation ?

Shri T. N. Singh : There is, of course, a slight fall in the production at the Bangalore Watch Factory, but it is not reduced to half. Efforts are being made to see that our production is increased again by making some increase in the export.

डा० सरोजिनी महिषी : क्या सरकार पुराने निर्यातकर्त्ताओं तथा भावी निर्यातकर्त्ताओं को जो निर्यात किये जाने वाले माल का उत्पादन करने तथा उसका निर्यात करने में असफल रहे हैं, दी जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि कम करने के लिए सहमत हो गई है; यदि हां, तो वह कितनी कम की जायेगी ?

श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न जटिल हो गया है। जो कुछ मैं समझा हूँ—उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि निर्यातकर्त्ताओं की आयात की आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें आबंटन करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है देश में लाखों निर्यातकर्त्ताओं में से निर्यातन करने वालों की संख्या केवल नाम-मात्र की है जिसे मैं सभा के समक्ष कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ। निर्यात न करने वालों को कोई भी सहायता नहीं दी जाती है। उनका नाम पंजीकृत सूची से हटाकर काली-सूची में रखा जाता है।

फ्लाइंग मेल दुर्घटना

+

*244. **श्री बागड़ी**
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेमराज :
श्री दलजीत सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर जाने वाली फ्लाइंग मेल गाड़ी उत्तर रेलवे के संदल कला रेलवे स्टेशन पर 12 मई, 1965 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति घायल हुये तथा कितने मरे ; और

(ग) क्या कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) No one was killed in this accident. Thirteen persons were injured of whom one sustained grievous injuries.

(c) The Additional Commissioner of Railway Safety, Lucknow held a statutory enquiry into the accident. His report is awaited.

Shri Bagri : May, I know whether the Department which conducted enquiry into this Mail accident, and officially submitted their Report took any action against those persons who were found guilty and responsible for it ?

Mr. Speaker : The Hon. Minister says that the report has not so far been received and he is awaiting it.

Shri Bagri : There are two kinds of enquiries, one is elaborate and the other is a simple one indicating the general causes leading to the accident. May I know whether the Hon. Minister is contemplating to check recurrence of such accidents ?

Dr. Ram Subhag Singh : As it has been stated in answer to the main question that the enquiry is being conducted and every thing will come to light after their final report is received. However, I may add that the train accident which occurred there was, undoubtedly, not the result of any particular negligence.

Shri Yashpal Singh : Is it not a fact that the major factor leading to train accidents is that the railway tracks are very old, even more than 100 year old and the wheels of the new trains do not properly fit in the tracks and that is why the trains/engines are derailed at certain places ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is not the only factor leading to each and every accident, but it may be one of them.

श्रीमती सावित्री निगम : जांच समिति को अपना अन्तिम प्रतिवेदन देने में इतना अधिक समय क्यों लग गया है और क्या मंत्रालय ने उनसे कोई अन्तरिम प्रतिवेदन देने के लिए कहा है ?

डा० राम सुभग सिंह : जी, हां। हमें अन्तरिम सूचना मिल गई है और 'रेलवे सेफ्टी' के अतिरिक्त आयुक्त इस दुर्घटना के लिए किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराते हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या कोई प्रारम्भिक जांच की गई है, यदि हां, तो किन कारणों का पता चला है ?

डा० राम सुभग सिंह : कुछ नहीं है।

Shri Vishwanath Pandey : May I know the time by which the final report will be received?

Dr. Ram Subhag Singh : It will come very soon because the main features of the report have already been stated.

Shri Hem Raj : May I know whether Medical Aid was provided to them very late ?

Dr. Ram Subhag Singh : No Sir, Medical Aid was provided very soon.

Shri A. P. Sharma: The Hon. Minister has just now said that the old railway tracts might also be responsible for these accidents. I want to know as to when the railway tracks were replaced in that particular section so that it may be made out that it was not the cause leading to this accident ?

Dr. Ram Subhag Singh : I want notice for it.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि गत तीन अथवा चार महिनों की तुलना में हाल में काफी अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं और क्या कुंजरु समिति की सभी सिफारिशों को यह सुनिश्चित करने के लिये कि सुरक्षा सम्बन्धी सभी उपायों को उचित रुप से काम में लाया जाए, कार्यान्वित कर दिया गया है ?

डा० राम सुभग सिंह : कुंजरु समिति की अधिकांश सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है। यह सच नहीं है कि इस महीने के दौरान काफी दुर्घटनाएं हुई हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने गत तीन अथवा चार महीने के दौरान कहा।

भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार

\+

*245. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हेम बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दाजी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती विमला देवी :
डा० महादेव प्रसाद :
महाराजकुमार विजय आनंद :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **इस्पात और खान मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ चौथी पंचवर्षीय योजना में लगभग 40 लाख टन की क्षमता तक भिलाई इस्पात कारखानें का विस्तार करने के लिए राजी हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : चौथी योजना अवधि में भिलाई के विस्तार से पूर्व ही लोहा बनाने की सुविधाएं अधिष्ठापित करने के लिए सोवियत सहायता का वचन पहले ही मिल चुका है। सोवियत संघ ने चौथी योजना अवधि में भिलाई के अत्याधिक विस्तार में सहायता करने में तत्परता दिखाई है। वे इस बात पर भी राजी हो गए हैं कि वे शीघ्र ही सोवियत विशेषज्ञों की एक टीम भारत भेजेंगे जो हमारे इंजीनियरों के साथ परामर्श करके इस बारे में विशिष्टि प्रस्ताव तैयार करेगी। प्राथमिक तकनीकी अध्ययनों से मालूम हुआ है कि भिलाई का विस्तार वर्तमान विस्तार के अन्त में 2.5 मिलियन टन इस्पात पिण्ड से 4 से 4.5 मिलियन टन इस्पात पिण्ड की क्षमता तक अवस्थाओं में किया जा सकता है। विस्तार के प्रथम चरण में इसकी क्षमता 3.5 मिलियन टन इस्पात पिण्ड की जाएगी। फिर भी चौथी योजना में विस्तार के ब्यौरे का निश्चय सोवियत विशेषज्ञों की टीम के आने के पश्चात ही हो सकेगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या रुस ने कोई एसा संकेत दिया है कि वह कार्यक्रम के लिए अपेक्षित उपकरण तथा मशीनरी देने के लिए तैयार है ?

श्री प्र० चं० सेठी : हम पहले छः धमन भट्ठियों की स्थापना के बारे में विचार कर रहे हैं । इसके पश्चात रुसी विशेषज्ञों के आने पर, हम इस बात का निर्णय कर सकेंगे कि हम और आगे क्या कार्यवाही कर सकेंगे ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : बोकारो इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में किये गये नये करार के सन्दर्भ में मैं यह जान सकता हूं कि क्या रुस इस अवधि को और आगे तक बढ़ाना चाहता है, यदि हां, तो कब तक ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी, नहीं, कोई अवधि नहीं बढ़ाई जा रही है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस योजना के अधीन भारतीय तकनीकी लोगों के लिए कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस योजना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत भारतीय तकनीकी लोगों के प्रशिक्षण का प्रश्न नहीं आता । किन्तु जिस सीमा तक आवश्यक है, भारतीय तकनी शियनों को प्रशिक्षण के लिए रुस भेजा जा रहा है।

Shri Bibhuti Misra : The Hon-Minister has just now said that it was being proposed to increase the production capacity of the Bhilai Steel Plant upto 4 million tonnes and U. S. S. R. is assisting us in this connection. Since U. S. S. R. is assisting in the construction of the Bokaro Steel Plant, I, therefore want to know whether the expansion of the Bhilai Steel Plant will not effect the construction of the Bokaro Steel Plant at all.

Shri P. C. Sethi : Bokaro will also be constructed along with the expansion of Bhilai.

Shri K. N. Tiwary : May I know the steps taken so far for the expansion of the Bhilai Steel Plant and whether site has been acquired for the purpose and the machinery, etc. procured ?

Shri P. C. Sethi : Orders for six blast furnaces have been placed with U. S. S. R. and the work is being undertaken so far as other expansion work is concerned, one Soviet team of experts is comming and this question would be decided after they come.

Shri K. N. Tiwary : May I know whether site has been acquired for the purpose?

Shri P. C. Sethi : It is already there.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि योजना आयोग ने चौथी योजना के लिए इस्पात उत्पादन का लक्ष्य 1 करोड़ 65 लाख से घटा कर 1 करोड़ 45 लाख निर्धारित करने का निर्णय कर लिया है, यदि हा, तो सरकार का इस प्रस्ताव के प्रति क्या रुख है ? भिलाई कारखानें के प्रस्तावित विस्तार से लक्ष्य की प्राप्ति करने में कितनी सहायता मिल सकेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : अभी तक हम इस पर विचार ही कर रहे हैं । मैं नही समझता कि हम 1 करोड़ 65 लाख टन के प्रस्तावित उत्पादन में कोई कमी करने के लिए सहमत हो गये हैं और वित्तीय व्यवस्था हो जाने पर मैं इसी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहूंगा और उसकी पूर्ति के लिए पूर्णतः प्रयास किये जायेंगे । अतः इस समय जब कि हम अभी इस पर विचार-विमर्श ही कर रहे हैं, मैं माननीय सदस्य को निश्चित रुप से कोई उत्तर नही दे सकूंगा । जहां तक भिलाई के लिए विस्तार कार्यक्रम का सम्बन्ध है, उस पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा ।

Shri Bade : When the Bhilai Steel Plant was established , our technicians were sent to U. S. S. R. for Training. But now when its expansion programme is in progress, we have a dearth of technicians. May I know whether any more technicians are being sent for the purpose, if so, the number thereof ?

Shri P. C. Sethi : Technicians have been sent in accordance with the need. Now we are not sending as many technicians as we did in the begining, because we have now a sufficient number of trained personnels.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या आगे विस्तार के कार्यक्रम को इस्पात निर्माण के लागत खर्च के प्रश्न का अध्ययन किये जाने के पश्चात कार्यरुप दिया जायेगा क्योंकि हमारे इस्पात उत्पादन पर लागत खर्च बहुत अधिक है ? क्या विस्तार कार्यक्रम आरम्भ किये जाने के पूर्व इस प्रश्न की जांच की जायेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : इस्पात का लागत खर्च कुछ भी हो, देश की प्रगति के लिए हमें इसका उत्पादन करना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, जैसा कि बजट सत्र में संसद में उद्घोषित किया जा चुका है, हम लागत-खर्च के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त कर रहे हैं जो इस्पात के उत्पादन पर लागत खर्च को घटाने के बारे में सिफारिश करेगी ।

श्री मं०रं० कृष्ण : तीन बड़े इस्पात कारखाने को चालू करने के बाद हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आधार पर क्या सरकार केवल भारतीय तकनीकी लोगों की सहायता से किसी अन्य कारखानें जिनकी क्षमता उनसे कम अथवा अधिक हो, चालू कर सकती है ?

श्री संजीव रेड्डी : यह बहुत महत्व पूर्ण प्रश्न है । मुझे ऐसी आशा है कि हम छटी योजना के दौरान ऐसा कारखाना खोल देंगे जिसमें केवल देशी उपकरण तथा भारतीय इंजिनियर ही होंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : जहां तक रुसी दल का भारत में आने से सम्बन्धित निर्णय का प्रश्न है, क्या यह विचार कर लिया गया है कि क्या प्रस्तावित विस्तार केवल वर्तमान एककों का ही किया जायेगा। अथवा उसके लिए सभी काम दोबारा करने की आवश्यकता पडेगी इसका लागत-खर्च पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : भिलाई का विस्तार करने के बारे में तो पहले ही विचार कर लिया गया था। यह कारखाने में ही होगा, नये निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

रुस को जूतों का निर्यात

+

*246. **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० पू० ना० खां :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री० प्र० रं० चक्रवर्ती
श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में जूतों का निर्यात कर ने के लिये रूस के साथ कोई नया व्यापार करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस देश को निर्यात किये जाने वाले जूतों का कुल मूल्य क्या है ; और

(ग) क्या भूगतान रुपयों में किया जायेगा अथवा वस्तु विनिमय के आधार पर होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : सोवियत संघसे वर्तमान पंच-वर्षीय व्यापार करार पर हस्ताक्षर, 1963 में हुई थे। यह 1968 के अन्त तक वैध है । इस करार के अन्तर्गत चालू वर्ष में भारत से सोवियत संघ की निर्यात किये जाने वाले जूतों का मूल्य लगभग 2.55 करोड़ रु० होगा।

(ग) भूगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किया जायेगा ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि निर्यात किये गये जूतों का विक्रय मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है । चूंकि रूस में विक्रय मूल्य की दर बहुत उंची है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने उस राशि को निर्माताओं में वितरित करने का कोई यत्न किया है ?

श्री मनुभाई शाह : श्रम, कच्चे माल तथा छोटे विकेन्द्रीकृत कारखानों में अन्य प्रकार के विभिन्न उपरी खर्चों के आधार पर लागत बढ़ जाती है। मूल्य बहुत अच्छी तरह से विचार विमर्श करने के पश्चात किये गये विदेशी व्यापार समझौते के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। राशि के वितरण का कोई प्रश्न नहीं है । जहां तक निर्माताओं का सम्बन्ध है, वह अधिक जूते बनाना चाहते हैं तथा अधिक जूते बेचना चाहते हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : उत्तर में केवल निर्यात किये गये माल का मूल्य ही दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मात्रा में भी कोई वृद्धि हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : अभी जूतों के 6 लाख जोड़े निर्यात किये जाते हैं परन्तु हम ऐसे प्रयत्न कर रहे हैं जिससे आगामी वर्ष में 8 लाख जोड़े तथा चौथी योजना में 10 लाख जोड़े निर्यात किये जा सकें।

श्रीमती सावित्री निगम : चूंकि कच्चे माल के मूल्य तथा मज़दूरी में वृद्धि होती जा रही है, क्या सरकार का विचार मूल्यों का पुनरीक्षण कराने का है ताकि निर्धन श्रमिकों को अधिक मजूरी तथा कुछ अधिक रियायतें मिल सकें ?

श्री मनुभाई शाह : मूल्यों का पुनरीक्षण करना केवल हमारे हाथ में नहीं हैं क्योंकि विक्रेता, विदेशी विक्रेता हैं । मूल्य वही हो सकता है जो उनको तथा हमको स्वीकार्य हो । जहां तक स्थानीय उद्योग का सम्बन्ध है जूतों के 50,000 जोड़ों की तुलना में रूस को अब हम जूतों के 6 लाख जोड़े निर्यात कर रहे हैं तथा हम आगामी वर्ष में जूतों के 8 लाख जोड़ों तथा चौथी योजना में जूतों के 10 लाख जोड़ों का निर्यात करने का प्रयत्न कर रहें है। इस से पता चलता है कि यह व्यापार इतना बुरा नहीं है।

Shri M. L. Dwivedi : May I know the manufacturers, along with the cities to which they belong, who have been allowed to export shoes under the Trade agreement and the pairs of shoes to be exported by them ?

Shri Manubhai Shah : All the manufacturers of the India are free to export shoes. There are however certain traditionally developed centres like Agra, Kanpur, Calcutta, Jallundur, Madras and Salem where the population of cobblers and small industrialists is more who manufacture shoes in such a way which are liked by Russians and therefore can be exported to Russia. But there are no such restrictions that others cannot manufacture or export them.

श्री मं० रं० कृष्ण : इस आदेश में से कितने जूते बाटा तथा फ्लैक्स जैसी बड़ी संस्थाओं द्वारा निर्यात किये गये हैं तथा कितने जूते छोटे निर्माताओं तथा सहकारी समितियों द्वारा निर्यात किये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : चूंकि यह आदेश केवल चमड़े के जूतों के लिये था और न कि कपड़े के जूतों के लिए जिनका निर्यात सामान्यतया बाटा द्वारा किया जाता है अतः बी० आई० सी० को थोड़े से जूतों के लिये आदेश देने के अलावा इस आदेश के लगभग सभी जूते छोटे निर्माताओं द्वारा निर्यात किये गये हैं। जोकि आगरा, कानपुर तथा अन्य स्थानों में, जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है केन्द्रीत हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये क्या सरकारी क्षेत्र में जूते बनाने के कारखानों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मनुभाई शाह : हमनें राज्य व्यापार निगम के अधिन दो कारखानों को स्थापित करनें का निर्णय किया है क्योंकि मांग इतनी बढ़ गई है कि हमें अच्छे जूतों के इतने जोड़े नहीं मिल सकते हैं जिससे संसार के विभिन्न देशों के लिये 20 लाख जोड़े भेजे जा सकें ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है इस प्रश्न के अलावा कि रूस सच्चे दिल से भारत को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है, क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि इनके निर्माणस्तर को बनाया रखा जाये ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है गैर-सरकारी व्यापारियों से, जो जुतों के क्षेत्र में देश में बहुत फले हूए हैं, क्षमता बढ़ाने में पूरा योग देने के लिये कहा गया है । इसके अतिरिक्त चूंकि हम देखते हैं कि एक अच्छी किस्म के जूतों की लगातार सप्लाई करना आवश्यक है, अत: राज्य व्यापार निगम को भी उत्पादन बढाने का यन्त करना पड़ेगा ।

Shri Bagri : When in India 10 crore persons are without shoes and as such whether Government provide shoes to these barefooted persons instead of sending them to foreign countries ?

Shri Manubhai Shah : The main point is this that whether we should keep all the things here or should try to export for earning foreign exchange to develop India. If we cannot even export shoes then what else can we export ?

Shri Achal Singh : Are the supplies are being made through state Trading Corporation or direct ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है हमने इस वर्ष 15 अगस्त से राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात करने के प्रबन्ध किये हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

घड़ियों का निर्माण

*247. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री बासप्पा :
श्री दे० जी० नायक :
डा० महादेव प्रसाद :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार स्विटजरलैंड और रूस के सहयोग से भारत में घड़ी बनाने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में स्विटजरलैंड के विशेषज्ञों का एक दल भारत आया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई करार हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ मिश्र) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) और (घ) : अभी सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय माल पर आयात शुल्क

*248. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 12 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 402 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार तथा प्रशुल्क सामान्य समझौता परिषद के संकल्प के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भारतीय माल पर आयात शुल्क में रियायत देने के बारे में और आगे कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) 12 मार्च 1965 को जब मैंने उत्तर दिया था उसके बाद से ब्रिटिश सरकार ने 27 अप्रैल, 1965 से अधिभार को 15 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया है।

निर्यात संबंधी नीति

*249. **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दाजी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक नीति की तरह ही राष्ट्रीय निर्यात नीति बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संसद के चालू सत्र में इस संबंध में कोई संकल्प पेश करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) निर्यात संवधनपर नीति विषयक वक्तव्य के प्रारूप पर सरकार योजना आयोग से सलाह लेते हुए विचार कर रही है ।

(ख) इस नीति विषयक वक्तव्य के प्रारूप पर, राष्ट्रीय विकास परिषद की 5 और 6 सितम्बर, 1965 को हो रही बैठक में विचार हो लेने के पश्चात् जब मंत्रीमंडल द्वारा विचार कर लिया जायेगा तो इसे संसद में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ।

एशिया के लिए विकास बैंक

*250. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री रा० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री वारियार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामपुरे :
श्री कनकसैव :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया की विकास परियोजनाओ के लिये वित्त व्यवस्था करने के लिये एशिया में एक क्षेत्रीय बैंक खोलने के विश्व बैंक के प्रस्ताव की भारत को सूचना दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं । यह प्रस्ताव एशिया देशों द्वारा, एकाफे क्षेत्र में आर्थिक सहयोग के लिय ऐकाफे द्वारा पास किय गये एक संकल्प में रखा गया था तथा एकाफ द्वारा नियुक्त किये गये विशषज्ञ दल ने इस समस्या का अध्ययन करने के पश्चात् दिये गये अपने प्रतिवेदन में यह सिफरिश की थी कि अन्य वातों के साथ एशियायी विकास बैंक की स्थापना भी की जाय ।

(ख) इस प्रस्ताव का सिद्धांतरूप में समर्थन किया गया है तथा इसके विस्तृत विवरण की अभी जांच की जा रहीं है । इस वर्ष अक्तुबर में होने वाली एकाफे की बैठक में इस विषय पर आगे विचार किय जाने की आशा है ।

पुस्तकों का निर्यात

*251. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठ्य पुस्तकों तथा टैकनोलौजी संबंधी प्रकाशनों के निर्यात व्यापार का विकास करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इनकी अनुमित मांग कितनी है; और

(ग) इस प्रकास के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये क्या सुविधायें देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) पुस्तकों के निर्यात को सामान्य रुप से बढ़ाने की एक योजना पहले से ही चालू है ।

(ख) पाठ्य पुस्तकों तथा प्रविधिक प्रकाशनों की सभी विकासोन्मुखी देशों में मांग है । कुछ पड़ोसी देश प्रतिवर्ष इसका लगभग 6 करोड़ रु० का आयात करते हैं ।

(ग) पुस्तकों, पत्रपत्रिकाओं, प्रकाशनों आदि के लिए एक विशेष निर्यात संवर्धन योजना पहले से ही चल रही है । एक समिति, जिस में डा० लकडावाला, श्री शचीन चौधरी, श्री डाकोस्टा तथा श्री तारपुरवाला है, पुस्तकों के निर्यात को बढ़ाने वाले ढंगो और साधनों पर विचार कर रही है ।

रेलगाडीयों में अत्यधिक भीड़

* 252. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि सभी रेलों पर रेलगाड़ियों में, विशेषतया मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ियों में, तीसरे दर्जे के डिब्बों में अत्यधिक भीड़ होती है ; और

(ख) क्या सरकार कोई नये उपाय करने का विचार कर रही है जिससे कि तीसरे दर्जे के डिप्बों में अधिक भीड़ न हो ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख): एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4652/65]**

कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

*253. **श्री हेड़ा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा उद्योग के नवीकरण और आधुनिकीकरण के विषय में, विशेष रूप से स्वचालित करघों के संबंध में, अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा की कमी के कारण किसी कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) तीसरी योजना के पहले 4 वर्षो में लगभग 11.7 लाख पुराने तकुवे और 21,900 पुराने करघें कताई बुनाई की अन्य प्रारम्भिक मशीनों के साथ प्रतिस्थापित कर दिये गये है। सादा करघों को हटा कर प्रायः 7,000 स्वचालित करघे लगाये जा चुके हैं।

(ख) तथा (ग) : बुनाई मशीनों के आयात के लिये उपयुक्त शर्तो पर यथा सम्भव ऋणों की व्यवस्था की जाती है और देश में कपड़ा बनाने की मशीनों का उत्पादन बढ़ाने के उपाय किये जा रहे हैं। हमारे साधनों के अनुसार इन मशीनों आदि के उपलब्ध होते जाने से अधिकतम आधुनिकीकरण किया जा रहा है और नये एकक स्थापित किये जा रहे है।

निर्यात संवर्धन तथा अधिकार योजना

*254. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन तथा अधिकार (एन्टाइटलमेंट) योजना में कोई कठिनाइयां पैदा हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजना में क्या त्रुटियां हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : जी, नहीं। विदेशी विनिमय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयात, निर्यात, विदेशी विनिमय, विदेशी ऋणों की अदायगी आदि के सभी पहलुओं का सरकार ने पुनरीक्षण किया है और इसके कारण व्यापारी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में आयात तथा निर्यात नीति के बारे में चिन्ता होनी स्वाभाविक थी।

समस्त पहलुओं का पुनरीक्षण करने के बाद सरकार ने 1 जुलाई 1965 को आयात नीति घोषित कर दी और लाल पुस्तक तथा निर्यात नीतियां भी क्रमश : 15 और 17 जुलाई को प्रकाशित कर दीं। निर्यात संवर्द्धन योजनाओं में कुछ परिवर्तनों की घोषणा विषयक प्रेस नोट की एक प्रति (अंग्रेजी में) सदन की मेज पर रखी जाती है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-4653/65]** निर्यात संवर्धन योजनाएं, कुछ परिवर्तनों सहित जैसे की प्रेस नोट में दिये गये हैं, अब दृढ़, स्थिर और दीर्घ-कालीन आधार पर चालू हैं।

Sending Messages from Running Trains

*255. **Shri Hukum Chand Kachhavaiya** **Shri Ram Sewak** :
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri P. G. Sen** :
Shri Ram Harakh Yadav : **Shri Bagri** :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the passengers of upper classes travelling from Howrah, Madras and Bombay to New Delhi have been provided facilities of sending messages to their friends and relations in case of late running of trains ;

(b) if so, whether there is any proposal to provide this facility to the passengers of lower classes also ; and

(c) the details thereof ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No, Sir. A proposal to this effect is, however, under examination by the Northern Railway.

(b) Not yet.

(c) Does not arise.

निर्यात

*256. **श्री बासप्पा :**
डा० महादेव प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अधिक निर्यात में बाधक कारणों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) यह कमी अधिकांशत: मूंगफली के तेल और मूंगफली के निर्यात पर घरेलू आवश्यकताएं बढ़ जाने के कारण प्रतिबन्ध लगाये जाने और चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मल्यों में भारी गिरावट होने अर्थात् 105 पौण्ड प्रति टन से घट कर 19 पौण्ड प्रटित टन हो जाने के फलस्वरूप हुई है । इसके अतिरिक्त अन्य कारण ये थे : मिल के कपड़े का ब्रिटन को कम परिमाण में निर्यात होना, काफी की फसल का घट जाना और चावल, दालों, चना तथा अन्य कृषिजन्य पदार्थो का निर्यात कम हो जाना ।

(ग) अन्य मन्त्रालयों और राज्य सरकारों की सलाह से कृषि तथा उद्योगजन्य निर्यात वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं जिससे उचित सीमा तक घरेलू आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें और निर्यात के लिये काफी परिमाण बचता रहे । भारतीय वस्तुओं पर लगे टैरिफ तथा गैर टैरिफ सम्बन्धी प्रतिबन्धों को कम कराने के लिये अन्य देशों के साथ बातचीत की जा रही है ।

आयात नीति

*257. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा आयात में हाल ही में की गई कटौतियों के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है, और

(ख) औद्योगिक उत्पादन के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं के आयात में कमी किस हद तक इन बातों से पूरी हो जाती है :

(एक) रूपये के भुगतान के आधार तर आयात से, और

(दो) देश में निर्मित वस्तुओं से ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभधेन्द्र मिश्र) : (क) पिछले वर्ष की तुलना में सुलभ कुल विदेशी मुद्रा तथा आयात बनाये रखने के लिये उपलब्ध ऋण को देखते हुये वर्तमान अनुमान के आधार पर 100 करोड़ रु० तक की बचत हो जाने की संभावना है ।

(ख) इसका अनुमान कर सकना कठिन है कि रूपये में भुगतान करने वाले देशों से कितना आयात किया जा सकेगा क्यों कि उनके साथ व्यापार संबंधी वार्ता इस समय चल रही है । फिर भी हमें आशा है कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में बढ़ती हुई कठिनाई तथा आयात पर होने वाले व्यय में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप देश के निर्माता इस कमी को पूरा करने का अधिकाधिक प्रयास करेंगे ।

स्कूटरों का निर्माण

*258. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री पु०र०पटेल :
श्री हेडा :
श्री रा० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटरों तथा आटो-साइकिलों के निर्माण के लिये लाइसेंस देने के लिये इस वर्ष 30 मई तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) क्या सरकार ने निर्माण के लिये लाइसेंस देने की कोई कसौटी बनाई है; और

(ग) क्या किसी प्रार्थी ने सरकार को बताया है कि वह बिना किसी विदेशी सहयोग के स्कूटरों का निर्माण कर सकता है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : स्कूटरों आदि के अतिरिक्त निर्माण के लिये लाइसेंस देने के हेतु सरकार ने आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 31–5–1965 निश्चित की थी। उस तारीख तक 146 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

नये आवेदन-पत्र मांगते समय यह व्यवस्था की गई थी कि योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूटरों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 30,000 से 60,000 और आटो-साइकिलों की 50,000 से 100,000 प्रति वर्ष रखी जाये। आवस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम के आरम्भ में कम से कम 80 प्रतिशत देशी पुर्जे होने चाहिये जो दो या तीन वर्षों में 100 प्रतिशत तक हो जायेंगे। जहां तक आटोसाइकिल का संबंध है उसका खुदरा बिक्री मूल्य 400 रु० या 500 रु० के लगभग होना चाहिये।

(ग) आठ आवेदकों ने योजनायें प्रस्तुत की हैं जिनमें विदेशी सहयोग का कोई उल्लेख न हीं है।

अफ्रीका में उद्योग

*259. **श्री रा० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :
श्री रामसेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय फर्मों को अफ्रीका में कुछ उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो स्थापित किये जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन उद्योगों को कौन स्थापित करेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : जी, हां,। सदन की मेज़ पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-4654/65]**

कनाडा में हार्ड बोर्ड फैक्टरी

*260. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली बार भारत एक संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत कनाडा जैसें उन्नत देश को एक हार्ड बोर्ड परियोजना आरम्भ करने के लिये तकनीकी जानकारी भेजेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या है और क्या एसा सहयोग दूसरे उन्नत देशों के साथ भी किया जाएगा ;

(ग) क्या भारत दक्षिण-पूर्व एशिया तथा अफ्रिका के देशों को औद्योगिक परियोजनाओं के सम्बध मे सहायता देता रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो सहायता का देशवार ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावित संयंत्र भारत-कनाडा का एक संयुक्त उद्यम होगा । इसमें भारत का हिस्सा साढ़े 12 लाख रु० मूल्य की मशीनें, उपकरण तथा माल को भारत से निर्यात करने तक सीमित होगा । यह प्रबन्ध नियन्त्रण के अतिरिक्त है । सरकार की यह नीति है कि संयंत्र, मशीनें और प्रविधिक जानकारी को भारत से संभरण करने के आधार पर भारतीय उद्योगों को विदेशों मे संयुक्त उद्यम स्थापित करने की भावना को प्रोत्साहन दिया जाये । इसी प्रकार के अन्य कारखाने ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैण्ड और कोलम्बिया में भी स्थापित करने के प्रस्तावों पर स्वीकृति दे दी गयी है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इन प्रायोजनों मे भारतियों के सम्यक आधार पर भाग लेने के लिये, संयंत्रों, मशीनों, उपकरणों का निर्यात करने की अनुमति देने के अतिरिक्त, भारतीय सहायता मे प्रविधिक जानकारी देना तथा विदेशी प्रविधकों को भारत मे प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करना भी सम्मिलित है । यह सहायता नाइजीरिया मे स्थापित होने वाले छः कारखानों, इथियोपिया मे चार, श्रीलंका मे तीन, नेपाल मे दो तथा युगांडा, जेम्बिया, केनिया, लीबिया और मलयेशिया में से प्रत्येक मे एक एक कारखानों के लिये दी गयी है ।

अभी तक सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये संयुक्त उद्यम प्रायोजनों को दिखाने वाला एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-4655/65]**

Indigenous Production

*261. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Ram Sevak Yadav :
Shrimati Ramdulari Sinha :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to draw up a comprehensive scheme in consultation with the industrialists of the country for the indigenous production of items which are being imported at present ; and

(b) if so, the broad outlines of this scheme ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) (a) & (b) . In accordance with a recommendation of the Board of Trade, Government have recently set up a Committee with Dr. V. K. R. V. Rao as Chairman to study the question of import substitution and import rationalisation. The Committee intends to submit an interim report at an early date. Systematic schemes of import substitution in chosen items will be formulated thereafter in consultation with trade and industry to the extent necessary.

A copy of the order appointing the Committee is placed on the Table of the House. **[Placed in the Library. See. No. LT.—4653/65].**

सेलम मे इस्पात कारखाना

*262. **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्र०रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री पें०वेंकटासुबय्या :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री राम सेवक :
श्री फ०गो० सेन :
श्री मुथाई :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार का सेलम मे एक इस्पात कारखाना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित कारखाने की निर्धारित क्षमता कितनी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मांगी गई है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : जी, नहीं । फिर भी सरकार इस क्षेत्र मे एक छोटा संयंत्र स्थापित करने की संभाव्यता पर विचार कर रही है जो नीची कोटी का मिश्र इस्पात तैयार करेगा ।

दस्तुर एण्ड कम्पनी

*263. **श्री प्र०रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० ना० विद्यालंकार:
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री हुकुमचन्द कछवाय :
श्री बृजराज सिंह :
श्री बड़े :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दाजी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती विमला देवी :
श्री दे० जी० नायक :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री बागड़ी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने अपनी फर्मको औद्योगिक परामर्शदाताओं की सरकारी क्षेत्र की एक संस्था में बदलने का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के लिए इस फर्म ने क्या कारण बताये हैं; और

(ग) क्या बोकारों के सम्बन्ध में भारत-सोवियत करार में कोइ ऐसा खण्ड है जिसमें यह बताया गया है कि मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी किस सीमा तक इस नये संगठन में उपयुक्त रहेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग): मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी से बातचीत के दौरान फर्मने यह संकेत किया था कि वे सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के लिए इच्छुक नहीं थे क्योंकि वे सरकार को अधिकांश शेयर देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सरकार के नियंत्रण में रहकर वे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते थे । इसलिए सरकार ने इस बारे में फर्मसे और बातचीत करनी उचित न समझी ।

(2) बोकारों इस्पात संयंत्र के स्थापन के बारे में 25 जनवरी, 1965 के भारत-सोवियत करार के अनुच्छद 4 के अनुसार भारतीय संगठन बोकारों के सन्निर्माण मै भाग लेंगे । सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस करार के अनुसार एसे काम जिनका उत्तरदायित्व भारतीय संगठनों का होगा दस्तूर एण्ड कम्पनी को सौंपे जाएंगे बशर्ते कि फीस के बारे में संतोष जनक समझौता हो जाए । फिर भी मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को इस काम मे किस हद तक सम्मिलित किया जाएगा इसका फैसला बोकारो इस्पात कारखाने के विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने और उसके सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के पश्चात् सोवियत संगठनों के साथ बातचीत करके किया जाएगा । दस्तूरको यह भी प्रस्ताव किया गया है कि वे बोकारो इस्पात संयंत्र का एसा काम संभाल ले जो सोवियत संगठनों के क्षेत्र के बाहर है । इस बारे मे दस्तूरको के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

कारों के मूल्य

*264. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री प्रभात कार :**
श्री वारियर : **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 9 अप्रैल 1965 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित कारों की निर्माण-लागत के बारे में की जा रही जांच अब पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गइ है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : 9 अप्रैल, 1965 को अल्प सूचना प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में यह बतलाया गया था कि सरकार इस बात की जांच करेगी कि मोटर गाड़ि यों के कुछ उत्पादकों ने कहां तक 10 प्रतिशत विनियमित कर से अधिक या गलत उत्पादन किया है तथा उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी । यह अब की जा चुकी है । यद्यपि उत्पादकों द्वारा वास्तविक परिमाण में वृद्धि को उचित पाया गया था लेकिन फिर भी यह ज्ञात हुआ कि चार उत्पादकों ने बिना आवश्यक सरकारी आदेशों की प्रतीक्षा किए ही उत्पादन में वृद्धि कर दी थी । अत: उन्हें इस बारे में सरकार के आक्रोश से अवगत कर दिया गया है और भविष्य में ऐसा कार्य न करने के लिये चेतावनी दे दी गई है ।

उद्योगों के लिए लायसैंस

*265. श्री रामेश्वर टांटिया : श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री सं०चं० सामन्त : श्री बागड़ी :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री 5 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों के पंजीयन तथा उन्हें लाइसेंस देने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

औद्योगिक क्षमता की तत्काल स्थापना करने के लिये निम्नलिखित और आगे कार्रवाई की गई है जिससे औद्योगिक उपक्रमों के लिये लाइसेंस देने और उनका पंजीयन करने की कार्य प्रणाली को उचित ढंग से चलाया जा सके :

उद्योगों को लायसेंस देना

(1) इंजीनियरिंग के क्षेत्र में औद्योगिक एककों को इस बात की स्वतन्त्रता दी गई है कि वे विद्यमान संयंत्र और मशीनों से 'नई वस्तुओं' का निर्माण करने के लिये विभिन्न प्रकार का उत्पादन कर सकते हैं बशर्ते कि अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता न पड़े और बशर्ते कि (1) निर्मित की जाने वाली वस्तुएं 'निषिद्ध' सूची में न हों ; (2) ये वस्तुएं लघु क्षेत्र के लिये रक्षित न हों और (3) उन वस्तुओं के उत्पादन में जिनके लिये लाइसेंस दिया जा चुका है, कोई खास कटौती न की जा सके ।

(2) गैर इंजीनियरिंग उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित क्षेत्रों में निर्माताओं द्वारा 'नई वस्तुओं' के उत्पादन में स्वतन्त्रतापूर्वक विभिन्नता लाने के लिये स्वीकृति दे दी गई है :—

(1) फिटकरी—गंधक का तेजाब के वर्तमान निर्माताओं को फिटकरी बनाने के लिये अनुमति दी जा सकती है;

(2) रंजक पदार्थ (उसी वर्ग के); और

(3) तापसह वस्तुएं (लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्दर विविधता) ।

फिर भी इसका सुनिश्चय करना भी आवश्यक होगा कि प्राथमिकता दी जाने वाली तथा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के बदले कम प्राथमिकता वाली तथा गैर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया गया वरन् अधिक लाभदायक वस्तुओं का उत्पादन किया गया ।

(3) औद्योगिक एककों को उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई है बशर्ते कि वे यह उत्पादन देशी पुर्जों या देश में ही उपलब्ध कच्चे माल से तथा पूंजीगत उपकरणों का आयात किये बना ही यह उत्पादन करें । अब पावर अल्कोहल बनाने वाले उद्योग औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये बिना स्थापित किये जा सकते हैं बशर्ते कि उसका उत्पादन उतना ही किया जाये जितना शीरा उपलब्ध हो और जिसको राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित किया गया हो ।

छोटी कार परियोजना

*266. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मं० रं० कृष्ण :
डा० महादेव प्रसाद :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री तन सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री रा० बरुआ :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छोटी कार के निर्माणमें सहयोग देने का प्रस्ताव करने वाली विदेशी फर्मों से और आगे बातचीत की है;

(ख) क्या किसी विदेशी फर्म के साथ कोई करार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध म अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) सरकार अभी दिलचस्पी लेने वाली पार्टियों से विस्तृत सुझाव प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रही है तथा बातचीत करने की स्थिति अभी नहीं आई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खेत्री तांबा खानें

*267. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूती मिश्र :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री पें० वेंकटासुब्बाया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की खेत्री तांबा खान परियोजना में सहयोग के लिए फ्रांसीसी साथ-संघ के साथ करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या फिनलैंड के विशेषज्ञों की एक फर्मने परियोजना सम्बन्धी एक प्रतिवेदन तैयार कर लिया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी आशा है कि फ्रांसीसी सार्थ-संघ फिनलैंड के विशेषज्ञों के प्रतिवेदन के आधार पर कार्य करेगा ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, महोदय, खतरी तांबा खानों के विकास के लिए फ्रांसीसी कम्पनियों के एक समूह जिसमें सर्वश्री वेनटे और सर्वश्री 'ऐनसा' कम्पनी भी शामिल है के साथ आर्थिक एवं तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ।

(ख) एक विस्तृत विवरण सदन के सामने प्रस्तुत है ।

विवरण

समझौते की मुख्य विशेषतायें यह हैं :—

1. खेतरी तांबा परियोजना के विषय में फ्रांसीसी समूह इन्जीनियर विशेषज्ञों तथा सलाहकारों की तरह काम करेगा ।

2. फ्रांसीसी समूह खानको तैयार करने तथा अनयस्य के विधायन के लिए आवश्यक प्लान्ट तथा यंत्रों को पहुचायगा और खानके आंकल्प रेखाचित्र तथा खान, संकेन्द्रक, प्रद्रावक (विना स्फुरण-विधि), परिष्करणीय और गंधक के तैजाब तथा उर्वरक प्लान्ट के भी रेखांकन भेजेगा ।

3. परियोजना के लिये आंकल्प प्रभार उपकरणों का मूल्य तथा विदेशी तकनीकी लोगों की भारत में नियुक्ति समेत विदेशी मुद्रा की समस्त आवश्यकता को फ्रांसीसी समूह द्वारा कंजाराटयम ऋण से पूरी की जायेगी ।

4. यदि आयातित उपकरणों में फ्रांसीसी समूह के कम से कम 85 प्रतिशत 'विड' स्वीकार कर लिये जांय तो फ्रांसीसी समह द्वारा विभिन्न छातों के लिये जैसे खान के लिये भौमिकी जांच निविदा के लिए विशिष्टियां बनाना 'ग्रिड्स, का मूल्यांकन आदि के प्रभार छोड़ दिये जायेंगे ।

5. यदि फ्रांसीसी विड्स स्वीकार न हुए तो फ्रांसीसी इंजीनियरों द्वारा दिये गये आंकल्पों तथा विशिष्टियों के अनुरूप निगम किसी भी देश से उपकरण मंगवा सकती है ।

6. परियोजना का आंकल्प बनाने में जो भी अधिक से अधिक देशी बना हुआ उपकरण जो भारत में प्राप्त होगा, प्रयोग किया जायगा ।

(ग) और (घ) : परियोजना की रिपोर्ट सर्वश्री वैस्टरन नैप इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा तैयार की गई, जो आजकल राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सलाहकार है । परंतु स्पुरण-प्रद्रावक की विधि जो अपनाई जाने को है उसके लिए संसार भर के सर्वाधिकार फिनलैण्ड की फर्म मेसर्स ओटोकुम्पू हैलसिंकी को प्राप्त हैं । निगम का प्रस्ताव है कि फिनलैण्ड ऋण समझौते के अन्तर्गत फिनलैण्ड की फर्म से स्पुरण-प्रद्रावक विधि को खरीदा जाय । तथापि फ्रांसीसी समूह प्लांट के अधीक्षण स्थापन और समन्वय का समग्र रूप से उत्तरदायी होगा ।

नई खनिज परियोजनायें

*268. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :
श्री केप्पन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री बागड़ी :
श्री रा० बरुआ :
श्री कनकसबै :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना की अवधि में आश्यकताओं को पूरा करने के लिये देश में नौ खनिज परियोजनायें स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए आरम्भिक सर्वेक्षण प्रारम्भ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): बहुतसे उपयुक्तता अध्ययन किए गए हैं तथा उनका एक विवरण जिसमें सूचना दी हुई है सदन के सम्मुख रखा गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 4657/65]

कानपुर की एक फर्म से रेल पटरियों का बरामद होना

791. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 मई, 1965 को कानपुर (उत्तर प्रदेश) की एक फर्म से ट्रकभर रेल-पटरियां बरामद हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वहां से क्षतिग्रस्त तथा चोरी की गई कोई अन्य वस्तुएं भी बरामद हुई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (ग): जी नहीं, वस्तु स्थिति यह है कि लखनऊ के रेलवे सुरक्षा दल द्वारा प्राप्त की गयी गुप्त सूचना के आधार पर दल ने 5-5-1965 को लोहे और बिजली के काम से सम्बन्धित आलम बाग, लखनऊ की एक फर्म के परिसर में छापा मारा और एक ट्रक से 36 रेल-पटरियां बरामद की, जिनकी कीमत 8,000 रुपये थी । फर्म के एक फोरमैन और ट्रक के ड्राइवर सहित 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ के आलमबाग थाने में रेलवे स्टोर (गैर कानूनी कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराध सं० 328 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के पादरीगज स्टेशन पर अग्निकाण्ड

792. **श्री राम हरख यादव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 मई, 1965 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के गोंडिया-जबलपुर सैक्शन पर बालाघाट के समीप पादरीगंज रेलवे स्टेशन पर आग लग जाने से बहुत हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आग के कारण कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) जी हां ।

(ख) 27–5–1965 को दिन में लगभग 11 बजकर 15 मिनट पर, नैनपुर के पास छोटी लाइन खण्ड के पादरीगंज स्टेशन पर प्लाट नं० 9 और 10 में रखे बासों के ढ़ेर में आग लग गयी । चूंकि आग काबू से बाहर हो गयी थी, इसलिये नैनपुर से पानी की एक स्पशल गाड़ी भेजने के लिए कहा गया, जो पादरीगंज स्टेशन पर दोपहर को एक बजे पहुंची । लेकिन नैनपुर से पानी की स्पेशल गाड़ी और आग बुझाने वाले कर्मचारियों के पादरीगंज पहुंचने से पहले ही प्लाट नं० 1 से 14 में रखे बांसों के ढ़ेर जलकर राख हो चुके थे ।

(ग) रेलवे को 175 रुपये और प्राइवेट प्लाट-मालिकों को 1,50,000 रुपये की हानि का अनुमान है ।

वेस्ट कोस्ट सुपर एक्सप्रेस गाड़ी

793. **श्री अ० व० राघवन:**
श्री पोट्टेकाट :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मालाबार क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण नगरों में वेस्ट कोस्ट सुपर एक्सप्रेस गाड़ी के अतिरिक्त स्थानों पर रुकने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) कौन-कौन से स्थानों पर गाड़ी रोके जाने की मंजूरी दी गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : जनता की यह निरन्तर मांग रही है कि मद्रास और मंगलूर के बीच वास्तव में एक तेज रफ्तारवाली गाड़ी चलायी जाये। इस तरह की गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए 1–4–1965 से चलायी गयी नं० 27 डाउन। 28 अप वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस गाड़ियों को, परिचालन और यातायात की जरूरतों को देखते हुए, कुछ स्टेशनों पर ठहराने की व्यवस्था की गयी है । इन गाड़ियों को अधिक स्टशनों पर ठहराने के प्रश्न पर विचार किया गया है और इस सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे की समय-सारणी समिति में भी विचार किया गया । लेकिन इन गाड़ियों का कुल चालन-समय कम रखने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि इन्हें और स्टेशनों पर न ठहराया जाय ।

कोचिन और मंगलूर के बीच चलने वाली मद्रास-मंगलूर डाक और मालाबार एक्सप्रेस गाड़ियां शोरानूर और मंगलूर के बीच महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहरती हैं । इन स्टेशनों पर होने वाले लम्बे सफर के यातायात की जरूरतों के लिए ये दो गाड़ियां पर्याप्त हैं । इसलिए इस खण्ड के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को भी ठहराने का कोई औचित्य नहीं है ।

केरल में बागान निगम

794. **श्री अ०क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरलमें सरकारी बागानों का प्रबन्ध करने के लिए एक बागान निगम बनाया गया है ;

(ख) क्या निगम का विचार निलखुर राजा की 30,000 एकड़ भूमि लेने का है;

(ग) यदि हां, तो भूमि के लिये कितनी रकम दी जायेगी; और

(घ) इस समय कितने बागान निगम के प्रबन्धाधीन है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें०वें रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) दो ।

आयुर्वेदिक औषधियों के संयंत्रों का निर्यात

795. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुर्वेदिक औषधियों के संयंत्रों का जापान तथा अमरीका को निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के निर्यात पर कोई पाबन्दी है;

(ग) क्या सरकार को कोलम्बो अन्तर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्था के निदेशक से इस सम्बन्धमें कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो वह शिकायत क्या है; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) बीजों, राऊवोल्फिया की सभी जातियों के हरे डण्ठलों तथा हरी जड़ें, जिन में सर्पगन्धा (राऊ-वोल्फिया सर्पेंटाईन) की जातियां भी शामिल ह, के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । कुचला (नक्स वोसिका) के बीजों का निर्यात पुराने निर्यातकों द्वारा किये जाने की अनुमति दी जाती है । यह निर्यात मार्च 1959 को समाप्त होने वाले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी वर्ष में उनके द्वारा किये गये सर्वाधिक निर्यात का केवल 30 प्रतिशत ही होता है । पाइरेथाम फूलों के निर्यात की अनुमति योग्यता के अनुसार दी जाती है । कुष्ठ का निर्यात भारत के राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है । उपर्युक्त आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के अतिरिक्त अन्य जड़ी-बटियों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) तथा (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

सूक्ष्म माप यंत्रों का कारखाना

796. **श्री अ०क० गोपालन :**
श्री मणियंगाडन :
श्री वारियर :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 30 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2904 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसको के मैसर्स प्रोमास एक्सपोर्ट से प्राप्त केरल में सूक्ष्म माप यंत्रों के कारखाने की स्थापना के बारे में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) कारखाने के प्रथम चरण में कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) से (ग) : प्रायोजना रिपोर्ट पर अभी विचार किया जा रहा है ।

प्रारम्भिक काम जैसे कारखाने के स्थान पर जमीन का सर्वेक्षण और जमीन प्राप्त करने का काम पूरा कर लिया गया है ।

प्रायोजना के कार्यक्रम के पूर्ण हो जाने पर ही नौकरी में लिए जाने वाले व्यक्तियों की स्थिति का निश्चय किया जा सकता है ।

सीमेंट का उत्पादन

797. **श्री सेझियान :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच-वर्षीय योजना के दौरान सीमेंट के उत्पादन का यदि कोई पुनरीक्षित लक्ष्य है, तो वह क्या है;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में सीमेंट का वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य क्या है?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सीमेंट की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य 152 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में सीमेंट का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है :—

वर्ष	सरकारी क्षेत्र	गैर सरकारी क्षेत्र (हजार मीट्रिक टनों में)
1961–62 . .	302	7,978
1962–63	414	8,436
1963–64 . .	488	8,938

(ग) चौथी योजना का लक्ष्य 250 से 270 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष निश्चत किये जाने की सम्भावना है ।

लिग्नाइट की खानों से लाभ उठाना

798. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **इस्पात** तथा **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान में बीकानेर के पास पलाना में "ओपन कास्ट माइनिंग" पद्धति द्वारा लिग्नाइट निकालने के विषय में कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो काम के पूरी गति से आरम्भ होने की कब तक सम्भावना है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : राजस्थान सरकार मैसर्स मौकिवो एक्सपोर्ट द्वारा प्रस्तुत की हुई रिपोर्ट के आधार पर बीकानेर के पास पलाना में स्थित लिग्नाइट खानों के विदोहन कार्य को चला रही है। एक सौ मिलियन वाट क्षमता वाला लिग्नाइट पर आधारित ऊष्म शक्ति केन्द्र स्थापित करने का विचार राज्य सरकार कर रही है। इस अवस्था पर निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि योजना को कब अनुमोदन प्राप्त होगा और काम शुरू होगा।

हनुमानगढ़ तथा सादुलपुर के बीच गाड़ी

799. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे पर हनुमानगढ़ तथा सादुलपुर रेलवे स्टेशनों के बीच, इस क्षेत्र में बढ़ते हुये यातायात की दृष्टि से एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह गाड़ी कब चलाई जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) औ (ख) : जी नहीं। हनुमानगढ़ और सादुलपुर के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने के लिए यातायात की दृष्टि से भी कोई औचित्य नहीं है।

छोटी कोयला खानों का बड़ी खानों में विलय

800. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अलाभप्रद छोटी कोयला खानों का बड़ी खानों में विलय करने के बारे में कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या अलाभप्रद छोटी कोयला खानों का स्वेच्छापूर्वक विलय संतोष जनक रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) बड़ी खानों में स्वेच्छापूर्वक मिलने वाली छोटी कोयला खानों की संख्या क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, महोदय।

(ख) और (ग) : कोयला खानों के समामेलन के मूल तत्वों में से एक है व्यक्तिगत कोयला खान स्वामियों का वित्तीय भाग लेना जिन की सम्पदा विकास की बहुत विभिन्न दशाओं में है, जिनके हित विभिन्न है और जिनका इन खानों पर नियोजन बिलकूल अलग अलग है। फिर कभी कभी कुछ वैधिक कठिनाइयों भी खनन पट्टे तथा राजशुल्क अधिकारों के रुप में उपस्थित होती है। इन विभिन्न हितों का समाधान, तथा वैधिक, वित्तीय एवम् वैधानिक कठिनाइयों का स्वैच्छिक आधार पर समाधान करना सम्भव नहीं हो सका है। अतः कोयला खानों के स्वेच्छिक समामेलन ने सन्तोषजनक प्रगति नहीं की है।

(घ) 26 छोटी खानो का 26 बड़ी खानों के साथ स्वैच्छिक समामेलन हो गया है जिससें 26 मित-व्ययी एकक बने है।

मूंगफली के तेल का सट्टा

801. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मूंगफली के तेल के सट्टे पर प्रतिबन्ध लगाने तथा इस तेल पर दिये जाने वाले ऋण पर कड़ा नियंत्रण लागू करने के लिये प्रार्थना की है ताकि इसके मूल्य पर नियंत्रण रखा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठाएगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) मूंगफली तथा मूंगफली के तेल के अतिरिक्त अन्य समस्त खाद्य तेलहनों और तेलों का वायदा-व्यापार निषिद्ध है । मूंगफली तथा मूंगफली के तेल का भी, बम्बई जैसे बड़े शहरों में वस्तुतः कोई वायदा-व्यापार नहीं किया जाता । बम्बई में अब तक मूंगफली के तेल सम्बन्धी जुलाई का एक भी सौदा होने की सूचना नहीं मिली है । वायदा बाजार आयोग ने, बम्बई में मूंगफली के तेल के व्यापार की अधितम मूल्य सीमा रु० 21.00 प्रति 10 किलोग्राम निर्धारित की है । कीमतों के 20 रु० से अधिक बढ़ने पर विशेषतः भारी सीमान्त देय हो जाता है । रिजर्व बैंक ने पहले से ही तेलहनों तथा तेलों पर दो जाने वाली अग्रिम राशियों के लिये 50 प्र० श० का न्यूनतम सीमान्त निर्धारित कर दिया है ।

कच्चा माल निगम

802. **श्री अ०व० राघवन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलौह-धातु की आयात का काम सम्भालने के लिये एक कच्चा माल निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : दुर्लभ सामग्री के आयात को युक्तियुक्त आधार पर संगठित करने के लिये एक प्रस्ताव विचाराधीन है । वर्तमान स्थिति में कोई निगम स्थापित करने का प्रश्न प्रस्ताव में नहीं है ।

आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड

803. **श्री अ०व० राघवन** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े बड़े नगरों तथा औद्योगिक केन्द्रों में आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड के कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वधेन्द्र मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

New Railway Lines in Maharashtra State

804. **Shri D. S. Patil :**
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the areas in Maharashtra State which are proposed to be included in the Fourth Five Year Plan for the purpose of laying new railway lines ; and

(b) whether a suggestion has been given by the Government of Maharashtra that a new railway line connecting Wardha and Nanded *via* Yeotmal in Vidarbha and Marathwada regions, which are predominantly cotton and groundnut growing areas, may be included in the Fourth Five Year Plan ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) and (b). Recently the Government of Maharashtra had recommended construction of a new B.G. rail link from Wardha *via* Yeotmal to Nanded and onwards to Latur and its further connection to Kolhapur by conversion of the existing N.G. line. Within the extremely limited funds for construction of new lines in the Fourth Plan, it is unlikely that this proposal can be accommodated.

In the matter of construction of new lines, State-wise concepts are not followed. As such, the question, as to which areas in Maharashtra State are proposed for laying new railway lines in the Fourth Plan, does not arise. The criteria for selection of new lines for construction, are considerations such as strategic requirements, industrial development schemes, port developments etc., which have an overall national bearing, and not restricted on State-wise concepts.

औद्योगिक लाइसेंस

805. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि बहुत से औद्योगिक लाइसेंस जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिये गये तो उनका प्रयोग नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो लाइसेन्स प्राप्त करने वालों को इन लाइसेन्सों के प्रयोग करने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वे क्या हैं;

(ग) उनमें से जो लोग विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण इन लाइसेन्सों का प्रयोग नहीं कर सके उनकी संख्या क्या है; और

(घ) इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) से (घ) : औद्योगिक लाइसेन्स के देने में और औद्योगिक योजना को पूरा करने में समय का अन्तर हमेशा रहता है । यदि लाइसेन्स प्राप्तकर्ता प्रायोजना को अमल में लाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाता तो लाइसेन्स रद्द कर दिया जाता है । लेकिन कभी यह भी होता है कि पूर्ण प्रयत्न करने के बावजूद भी प्रार्थी अपनी योजना में पूर्ण रूपेण प्रगति नहीं कर पाता है । एसे मामलों में लाइसेन्स की प्रामाणिकता की अवधि को बढ़ा दिया जाता है । लाइसेंस प्रदत्त योजनाओं में देरी कई कारणों से हो सकती है जैसे रुपयों के रूप में वित्त-व्यवस्था में कमी, योजना के तकनीकी ब्यौरे को अन्तिम रूप देने में देरी, जहां विदेशी सहयोग हो वहां विदेशी सहयोग शर्तों में देरी, किसी विशेष स्थान से विदेशी मुद्रा का न मिलना तथा ऋण मिलने में देरी अथवा सरकार को स्वीकार शर्तों में देरी होना । यह बतलाना सम्भव नहीं है कि कितने मामलों में विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण लाइसेंस का उपयोग नहीं हो सका क्योंकि अधिकतर मामलों में देरी विभिन्न कारणों के मिले जले रूप में होने के कारण होती है । फिर भी उपलब्ध विदेशी मुद्रा की सीमा के अन्तर्गत सरकार प्रार्थियों को पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस देने में सभी सम्भव प्रयास करती है ।

कोयले का भाव

806. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि गत दो तीन, वर्षों के दौरान मजदूरों के मजूरी दर बढ़ जाने के कारण खानों के प्रबन्धकर्ताओं को कोयले की कीमतों में कुछ वृद्धि करने की अनुमति दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी वृद्धि की अनुमति दी गयी है;

(ग) क्या इस प्रकार की वृद्धि की अनुमति देते समय उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाता है;

(घ) क्या यह मूल्य वृद्धि प्रबन्धकर्ताओं के लाभ के स्तर को बनाये रखने के लिए की गयी है; और

(ङ) मूल्यों की वृद्धि के सम्बन्ध में किये गये आवेदनों की जांच पड़ताल कौन करता है और उनकी जांच करने का ढ़ग क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, महोदय ।

(ख) विभिन्न परि-निर्णयों आदि की पूर्ति के लिये बढ़ाये गये दामों को निष्फल करने के हेतु कोयला उद्योग को सन् 1963 से दी गई कुल वृद्धि 2.80 रु० प्रति टन होती है ।

(ग) जी, महोदय ।

(घ) मूल्य की वृद्धि का प्रयोजन (ख) में ऊपर दिया जा चुका है ।

(ङ) उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारकों पर ध्यानपूर्वक विचार करने तथा वृद्धि की सीमा का निर्धारण करने के उपरांत सरकार मल्य में वृद्धि स्वीकार करती है ।

Over-Bridge on Patel Road, Delhi

807. **Shri Naval Prabhakar :**
Shri Hem Raj :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have not contributed their share for the proposed construction of an over-bridge at Railway crossing on Patel Road in Delhi; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) and (b). No. The design of the road overbridge is under examination in consultation with the Delhi Municipal Corporation. Only after finalisation of the design, can the cost of the overbridge be estimated. In this case the cost of the overbridge proper will be shared by the Railway and the Road Authority as per decision already arrived at. As the work is to be executed by the Railway , the question of Railway's depositing its share of cost with any other authority does not arise. The Delhi Municipal Corporation will, however, be asked to deposit their share of the cost of the work with the railway after finalization of the design, etc. of the road overbridge.

खाद्यान्न-सम्बन्धी विश्व समझौता

808. **श्री प्र०चं० बरुआ :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जनेवा मीटिंग में खाद्यान्न संबंधी विश्व समझौता तैयार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

मशीनों का आयात

809. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को मशीनें बेचने वाले देश इस बात पर जोर देते हैं कि उन देशों से इन मशीनों के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति भी बुलाय जायें; और

(ख) यदि हां, तो मशीनों के साथ इन व्यक्तियों का आना कम करने के लिये क्या उपाय किये गये है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) विदेशों से मशीनों की खरीद आमतौर से टेंडर मांग कर और कथित मूल्य के प्राप्त हो जाने पर ही की जाती है । विदेशी मशीन निर्माता आमतौर से उनके विषय में जानकारी भी देने के लिए ज़ोर नहीं देते ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Supply of Steel to rural population

810. **Shri Bibhuti Misra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :—

(a) whether Government have formulated any scheme to supply steel to the rural population at rates cheaper than to the urban people for building houses and for agricultural works ; and

(b) if so, the nature thereof ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) No, Sir.

(b) Dose not arise.

पन्ना की हीरे की खानें

811. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पन्ना की हीरे की खानों के राष्ट्रीयकरण किए जाने के पश्चात प्रतिकर, वेतन और भत्ता तथा अन्य आवर्ती और अनावर्ती व्यय के रूप में अब तक कितना धन व्यय किया जा चूका है और जो हीरे निकाले गये हैं उनका मूल्य क्या है;

(ख) क्या इस बात की जांच कर ली गई है अथवा करने का विचार है कि क्या उन खानों को लाभप्रद ढंग से चलाया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कार्य को अपने हाथ में लिये जाने के बाद से बचे गये स्टाक में और खोये गए, नष्ट हुए अथवा चोरी गये हीरों का पथक-पृथक मूल्य क्या है; और

(घ) क्या सरकार इन खानों के राष्ट्रीकरण से पूर्व के पांच वर्षों में वार्षिक आय और व्यय दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) पन्ना हीरा दानों का राष्ट्रियकरण नहीं किया गया है और न ही कोई राशि प्रतिकर के रूप में दी गई है ।

दिसम्बर 1959 से जब से कि परियोजना राष्ट्रिय खनिज विकास निगम लि० ने हाथ में ली है, निम्नलिखित व्यय किया गया है :—

	(लाखों में) रुपये
1. उपकरण, प्लांट तथा मशीनें . .	32.81
2. निर्माण कार्य . . .	20.79
3. संग्रहीत वस्तुएं तथा अतिरिक्त भाग .	9.41
4. पूर्वक्षण . .	38.38
5. अन्य	28.04
	129.43

जून, 1965 तक प्राप्त किये गये हीरों का मूल्य लगभग 14 लाख रुपये है ।

(ख) इन खानों में उपयोगी अन्वेषणों का पूर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है ।

	(लाखों में) रु०
(ग) 30–6–1965 तक विक्रय किये गये हीरों का समस्त मूल्य	8.31
30–6–1965 को हाथ में .	6.00 (लगभग)

एक हीरा जिसका भार 0.34 केरेट मूल्य लगभग 100 रुपये था एक श्रमिक ने निगल लिया था जिसे कि पुलिस के हवाले कर दिया गया । हीरा पुलिस की सुरक्षा में है । 16 पत्थरों की हानि का आरोप पड़ताल अधिन है ।

(घ) ऊपर (क) में दी हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Electrification of Howrah-Delhi Railway Line

812. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri S.C. Samanta :**
Shrimati Savitri Nigam : **Shri Subodh Hansda :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the progress so far made in the electrification of Howrah-Delhi Railway line;

(b) the name of the stations upto which the electric train runs from Howrah at present;

(c) the time likely to be taken in electrification of the Railway line upto Delhi; and

(d) the difference in speed and timings of trains as a result of electrification ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) to (d). A statement is attached. (पुस्तकालय में रखा गया। देखीये संख्या एल० टी०-4658/65)

Water Coolers

813. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of stations on the Ambala Division of the Northern Railway on which water coolers have been installed upto 30th June, 1965;

(b) the time by which the water coolers are likely to be installed on the remaining stations in this Division; and

(c) the expenditure likely to be incurred on this work ?

The Minister of States in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A statement is attached. **[Placed in the Library. See No. LT-4659/65.]**

(b) Further installation of water cooler at stations is held in abeyance as water coolers involve foreign exchange expenditure.

(c) Does not arise.

Retiring room at Ambala Cantt.

814. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1595 on the 26th March, 1965 and state the progress so far made regarding the provision of a retiring room at Ambala Cantt.?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): The Railway administration has decided to provide a 2 bedded Retiring Room at Ambala Cantt. and the work will be taken up as soon as possible.

Aligarh Railway Station

815. **Shri Bagri :**
Shri Marandi :
Shri Utiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 681 on the 5th March, 1965, regarding the seizure of certain official documents from the Office of the Station Master, Aligarh Railway Station and state :—

(a) whether the police investigations have since been completed in this regard; and

(b) if so, the result thereof ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):
(a) The case is still under investigation by the Special Police Establishment.
(b) Does not arise in view of (a) above.

Indian Motion Pictures Export Corporation

816. **Shri Bagri :**
Shri Utiya :
Shri Marandi :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 678 on the 5th March, 1965 and state :

(a) whether Government have made any assessment regarding the results achieved as a result of the incentives given to talented films producers to sell the export rights to the Indian Motion Pictures Export Corporation ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) and (b). It has not been found feasible to assess the results of the facilities allowed to the talented film producers to sell the export rights to the Indian Motion Pictures Export Corporation since the facilities are not even a year old.

Barrels Factory at Barauni

817. **Shri Bagri :**
Shri Utiya :
Shri Marandi :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 706 on the 5th March, 1965 and state :

(a) whether the proposal submitted by a private party for setting up a unit at Barauni for the manufacture of Barrels has been considered by Government; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra): (a) and (b). The party concerned has been asked to furnish certain particulars which are still awaited.

Manufacture of Cheap Cameras

818. **Shri Utiya :**
Shri Bagri :
Shri Marandi :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri S. C. Samanta :
Shrimati Tarkeshwari Sinha :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 700 on the 5th March, 1965 and state :

(a) whether the negotiations which were going on with the collaborators regarding the manufacture of cheap camaeras have been completed ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) and (b). Negotiations have not yet been finalised.

Manufacture of Automobile Bodies

819. **Shri Utiya :**
Shri Bagri :
Shri Marandi :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 693 on the 5th March, 1965 and state the further progress made regarding the introduction of standardisation schemes for body building of automobiles in order to reduce the cost of manufacture ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : The recommendations of the Development Council for automobiles, etc. regarding standardisation of bus body design have been accepted and the Ministry of Transport have been requested to consider these recommendations in consultation with the State Governments so that the Motor Vehicles Rules of the States relating to Bus body construction are amended suitably.

मोटर के पुर्जों का मूल्य

820. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री स०चं० सामन्त :
श्री म०ला० द्विवेदी :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 5 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 289 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वास्तविक उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर मोटर के पुर्जे देने के लिए कोई योजना तयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख) : जैसा कि तारांकित प्रश्न संख्या 289 के उत्तर में 5 मार्च, 1965 को बताया जा चुका है, मूल्यों में कमी करने की गुंजाइश, यदि कोई हो, तो उसका पता लगाने के लिये कुछ महत्वपूर्ण सहायक कारखानों में लागत की जांच की गई है। कुछ कारखानों के बारे में लागत प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं और उनकी जांच की जा रही है।

करेबियन के साथ व्यापार

821. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री स०चं० सामन्त :
श्री म०ला० द्विवेदी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करेबियन औद्योगिक प्रदर्शनी में भारतीय मण्डप में रखी गयी वस्तुओं के बहुत पसन्द किये जाने के फलस्वरूप क्या करेबियन के साथ भारत के व्यापार में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : पोर्ट आफ स्पेन (त्रिनिदाद तथा तोबागों) में 30 अप्रैल, 1965 से 16 मई, 1965 तक यह प्रदर्शनी हुई थी। इस प्रदर्शनी में भारत के भाग लेने के फलस्वरूप निर्यात में हुई वृद्धि, आंकड़ों के रूप में केवल जून के बाद नये आर्डरों की वास्तविक

पोत लदान की पूर्ति होने पर, प्रकट होनी प्रारम्भ होगी। भारतीय उत्पादों को प्रदर्शित करने से इस क्षेत्र के आयातकों में व्यापक रूप से दिलचस्पी पैदा हुई है और बहुत बड़ी संख्या में व्यापारिक पूछ-ताछें प्राप्त हुई और वे भारतीय फर्मों को भेज दी गई हैं।

चीन को पुनः निर्यात

822. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री स०चं० सामन्त :
श्री म०ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मित्र देशों ने कुछ वस्तुएं चीन को पुनः निर्यात कर दी जो भारत ने उनको निर्यात की थीं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी कुछ मामलें, जो कि हमारे ध्यान में लाये गए हैं, उनके विषय में सम्बन्धित देशों में उपयुक्त अधिकारियों के साथ कार्यवाही के लिये बातचीत चल रही है।

खनिज अयस्कों के नये क्षेत्र

823. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री स०चं० सामन्त :
श्री म०ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरिबर्ट, मेघहाटबुरू, दायत्री और बालटिला में खनिज अयस्क पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से खनिज और किन स्थानों में पाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : जी, महोदय। इन क्षेत्रों में कच्चे लोह के बड़े संचय हैं। भारतीय खान ब्यूरो ने कच्चे लोहे के निक्षेपों के अनुसंधान बहुत से स्थानों पर किये हैं जैसे किरिबरू, उत्तरी तथा दक्षिणी खण्डों, मेघहातुबरू, देतारी और बेलादिला के निक्षेप संख्या 5, 10, 11सी, तथा 14 में। बेलादिला के समस्त 14 निक्षेपों में से निक्षेप संख्या 11ए, 11बी, 12 और 13 विस्तृत अन्वेषण के अधीन है।

आसाम में कागज बनाने का कारखाना

824. **श्रीमती सावित्री निगम**
श्री स०चं० सामन्त :
श्री म०ला० द्विवेदी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 19 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1301 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में कागज का कारखाना स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा एक प्रारम्भिक प्रायोजना प्रतिवेदन अब तैयार कर लिया गया है जिसकी जांच की जा रही है।

रेलवे बोर्ड में मनोवैज्ञानिक-तकनीकी अनुभाग (सेल)

825. **श्री प्र०रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्री सोलंकी :
श्री प्र०के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के मनोवैज्ञानिक-तकनीकी अनुभाग ने एक ऐसे यंत्र का विकास किया है जिससे कार्य-परिचालन में उच्च स्तर की दक्षता प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थियों के चुनाव करने से पहले उनकी बुद्धि सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक-शारीरिक योग्यताओं, अभिरुचि तथा व्यक्तित्व की परीक्षा की जाती है;

(ख) क्या ऐसा भी प्रस्ताव है कि आरम्भ में प्वान्ट्समैन और केबिनमैन की जगह के लिये अभ्यर्थियों की मनोवैज्ञानिक-शारीरिक योग्यताओं के ज्ञात करने में इस यंत्र का उपयोग किया जाये ; और

(ग) मानवीय भूल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या कम करने में व्यवहार में लायी गई आधुनिकतम तकनीक से कहां तक सहायता मिली है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):(क) जी हां, प्रवरण से पहले उम्मीदवार की कुछ मानसिक-शारीरिक योग्यताओं, जैसे गहराई का प्रत्यक्ष ज्ञान, रफ्तार का अनुमान और गतिबोधकता की जांच करने के लिये रेलवे बोर्ड के मनोवैज्ञानिक-तकनीकी अनुभाग ने एक उपकरण तैयार किया है। ये योग्यताएं पाइन्टमैन और केबिनमैन के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य के निरापद और कुशल सम्पादन के लिये अपेक्षित हैं।

(ख) जी हां। परीक्षण की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाने के बाद।

(ग) अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक क्षमता का उपयोग न किया जाना

826. **श्री प्र०चं० बरुआ :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने इस बात की ओर संकेत किया है कि सरकार ने उद्योगों के लिये दिये गये लाईसेंसों के बाद उनकी जांच पड़ताल नहीं की जिससे बड़े पैमाने पर लाईसेंस प्राप्त औद्योगिक क्षमता का उपयोग नहीं किया गया और औद्योगिक समवायों ने लाईसेंस प्राप्त परियोजनाओं के लिये नियत धन अन्य प्रयोजनों के लिये व्यय कर दिया ; और

(ख) यदि हां, तो अनुवर्ती कार्यवाही को अधिक क्रियाशिल बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र):(क) और (ख) : सम्बन्धित मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा लाइसैंसो को अमली रूप देने के काम में की गई प्रगति पर निरन्तर ध्यान दिया जाता है और उनके अमल के काम में तेजी लाने के लिये कदम उठाए गए हैं जैसे पार्टियों के साथ आवधिक मीटिंगें तथा कारखाना स्थल पर की गई प्रगति की जांच। यदि कहीं सरकार को यह संतोष हो जाता है कि लाइसैंस प्राप्त पार्टी ने बिना किसी आवश्यक कारण के लाइसैंस की अवधि में देर लगाई है या उस पर अमल करने के लिए कदम नहीं उठाए हैं तो लाइसैंस को रद्द करने के लिए कार्यवाही की जाती है। जहां तक आशय पत्र का संबंध है स्थिति यह है कि यदि पार्टी निश्चित अवधि में कार्यवाही नहीं करती तथा प्रमाणीय अवधि को बढ़ाने के लिये संतोषजनक कारण नहीं देती तो आशय पत्र की प्रमाणिकता स्वत: ही समाप्त हो जाती है।

सीमेन्ट कारखाने

827. **श्री प्र०चं० बरुआ :**
श्री बागड़ी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेमराज :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री मं०रं० कृष्ण :
श्री सेझियान :
श्री काजरोलकर :
श्री मुहम्मद कोया :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम ने देश के विभिन्न भागों में सीमेंट कारखाने खोलने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री(श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :(क) और (ख) : सीमेंट कारखानों की स्थापना करने की दृष्टि से निगम इस समय निम्नलिखित स्थानों में सूराख करने के काम में लगा हुआ है :—

1. कटनी (मध्य प्रदेश)
2. जगदलपुर (मध्य प्रदेश)
3. गोकाक (मैसूर)
4. सेरम (मैसूर)

निम्नलिखित स्थानों पर सीमेंट के कारखानों की स्थापना करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये जाने के लिये भी आवेदन दिये हैं :—

1. जगदलपुर (मध्य प्रदेश)	. .	10 लाख मीट्रिक टन ।
2. रागुन्तला (आंध्र प्रदेश)	.	200,000 मी० टन ।

बोकारो इस्पात परियोजना

828. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री प्र०चं० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री मुहम्मद कोया :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोकारो इस्पात परियोजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री(श्री संजीव रेड्डी) : भूमि अभिग्रहण का कार्य ठीक ढंग से चल रहा है। 36,000 एकड़ के लगभग आवश्यक भूमि में से अब तक 13,000 एकड़ के लगभग भूमि प्राप्त की जा चुकी है। सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के समर्थकारी काम चल रहे हैं। स्थल के लिए बड़े पैमाने पर भूमि को तयार करने तथा मिट्टी के काम के लिये सोवियत संघ से निर्माण-उपकरण आ रहे हैं। स्थल तैयार करने का काम हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रकशन लिमिटेड को दिया गया है। यह काम सितम्बर के उत्तरार्द्ध में आरम्भ हो जाएगा। नई बस्ती, जिसका नाम बोकारो नगर होगा, बनाने का काम पहले ही

आरम्भ हो चुका है। 600 के लगभग अस्थायी क्वार्टरों और मजदूरों के लिए 500 घरों का निर्माण हो चुका है। 50 विस्तारों के एक अस्थायी अस्पताल का निर्माण काफी हद तक पूरा हो गया है। 1000 स्थायी मकानों का निर्माण अक्तूबर तक पूरा होने की संभावना है। सोवियत विशेषज्ञों के रहने के लिए 200 कमरों के एक होटल का निर्माण भी आरम्भ हो चुका है। गार्ग नदी पर बांध बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। इस बांध से बस्ती तथा संयंत्र के निर्माण कार्य के लिए जल की आरम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन के अब अक्तूबर के मध्य तक अर्थात् सोवियत संघ के अधिकारियों के साथ हुए करार में दी गई अवधि से कुछ समय पूर्व प्राप्त होने की आशा है।

युगोस्लाविया के साथ औद्योगिक-सहयोग

829. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र०रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री अ०व० राघवन :
श्री हेम राज :
श्री हेडा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दोनों देशों के बीच आपसी औद्योगिक सहयोग के लिये व्यावहारिक उपाय खोजने के लिये युगोस्लाविया से व्यापार विशेषज्ञ हाल ही में भारत आये थे ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई करार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या कोई भारतीय प्रतिनिधि मण्डल भी युगोस्लाविया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल शीघ्र ही बलग्रड जा कर, युगोस्लाविया से आगामी वर्षों में होने वाले व्यापार के विस्तार के प्रश्न पर बातचीत करेगा।

उपभोक्ता उद्योग

830. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स०चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 19 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तु उद्योग खोलने की योजनाओं पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) तथा (ख) : जी हां, सरकारी क्षेत्र में कुछ आवश्यक उपभोक्ता माल जैसे सीमेंट, कागज, अखबारी कागज और सूती धागे के लिए कुछ क्षमता स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है : लेकिन सरकारी क्षेत्र में इन चीजों के लिए विकास की जाने वाली क्षमता और उस पर होने वाले खर्च को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

लो टैम्प्रेचर कार्बनाइजेशन प्लांट

831. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स०चं० सामन्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री चांडक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 12 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1072 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारने सिंगरौली कोयले के आधार पर एक लो टैंप्रैचर कार्बनाईजेशन प्लांट स्थापित करने की सम्भावना की अब जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख): सिंगरौली कोयले के परिमाण नमूनों की जांच की पहली श्रृंखलाओं से उत्साहजनक परिणाम नहीं निकले हैं अतः अभी निम्न तापमान काखानीकरण के लिए इस कोयले की उपयुक्तता स्थापित नहीं हुई है परन्तु और नमूने केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था को भेजे गये हैं तथा और परीक्षण भी किये जायेंगे ।

मैसूर में अखबारी कागज का कारखाना

832. **श्री स०चं० सामन्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 19 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1314 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में कनाड़ा के सहयोग से गैर-सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई हैं; और

(ख) कारखाना स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख): फर्म आवश्यक वन प्रदेश प्राप्त कर चुकी है तथा राज्य सरकार के साथ विचार करने के उपरान्त कारखाने के स्थान के बारे में भी निश्चय कर चुकी है। उन्होंने आयातीत प्लांट और मशीनों को प्राप्त करने के लिए अस्थायी सुझाव भी दिए हैं और यह निवेदन किया है कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत "आशय पत्र" को लाइसैंस में बदल दिया जाय । इन सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

कच्चे माल का वितरण

833. **श्री स०चं० सामन्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बासप्पा :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 5 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 287 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में कच्चे माल का समन्यायय वितरण करने के प्रश्न की जांच करने के लिये डा० पी० एस० लोकनाथन के सभापतित्व में स्थापित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन को लागू करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की सिफारिशों और निर्णयों के सारांश की एक प्रति साथ में नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4660/65]** प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित है :—

(1) उत्पादन करने वाले एकक को कच्चा माल का आवंटन उस एकक द्वारा अन्तिम रूप से तैयार किये जाने वाले पदार्थ के आधार पर किया जाना चाहिये भले ही वह एकक अनुसूचित क्षेत्र में हो अथवा लघु क्षेत्र में:

(2) इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कि लघु एककों को कच्चा माल उनके द्वारा अन्तिम रूप से तैयार किये गये पदार्थ के आधार पर मिलता है, लघु उद्योगों की क्षमता तथा उनके द्वारा अन्तिम रूप से तैयार किये गये पदार्थों के बारे में पूरे आंकड़े प्राप्त किये जाने चाहिये और इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों से यह कहा जाना चाहिये कि वे केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय के परामर्श से सर्वेक्षण करें;

(3) जब तक ये आंकड़े इकट्ठे नहीं कर लिये जाते तब तक लघु उद्योग क्षेत्र को आवंटित विदेशी मुद्रा की राशि 1 अप्रैल, 1965 से आरम्भ करके तीन छमाहियों तक प्रति छमाही की राशि बढ़ाकर 25 करोड़ रू० कर दी जानी चाहिये ;

(ग) सरकार ने उपर्युक्त सिफारिश संख्या (1) और (2) स्वीकार कर ली हैं। जहां तक सिफारिश संख्या (3) का संबंध है चूंकि विदेशी मुद्रा की उपलब्धि संबंधी स्थिति काफी खराब हो गई है, इसलिये सरकार के लिये इस सिफारिश को स्वीकार कर सकना संभव नहीं हो सका है।

चाय उद्योग सम्बन्धी विश्व सम्मेलन

834. **श्री द्वा०ना० तिवारी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दे०द० पुरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय पर मई, 1965 में हुए विश्व सम्मेलन में क्या क्या निणय किये गये;

(ख) क्या भारत को ओर से भी कोई प्रस्ताव रखा गया था;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया; और

(घ) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने श्रीलंका के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है कि चाय उद्योग को समस्या पर पुनर्विचार करने के लिये 18 मास के अन्दर चाय पर एक अन्य सम्मेलन आयोजित किया जाये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० वे० रामस्वामी): (क) से (घ) : सम्मेलन में भारत का यह दृष्टिकोण था कि, चूंकि फालतू चाय की कोई उल्लेखनीय मात्रा 1970 तक एकत्रित होने की सम्भावना नहीं है, अतएव, खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा प्रस्तावित किसी अध्ययन दल या किसी अन्य औपचारिक संस्था की संगठित करने की आवश्यकता नहीं है। सम्मेलन में उक्त विचारों से अपनी सम्मति प्रकट की गयी। समस्त उत्पादक और उपभोक्ता देशों के लिये, दुबारा, 18 माह बाद मिलना उपयोगी होगा, जिससे कि स्थिति पर पुनर्विचार तथा पारस्परिक विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके।

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार

835. **श्री दे०द० पुरी**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया की सरकार ने प्रशुल्क पद्धति में कुछ रियायतों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस के परिणामस्वरूप आस्ट्रेलिया के साथ भारतीय निर्यात व्यापार में कोई वृद्धि होने की संभवना है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : जी, हां, प्रस्तावित तरजी हैं लागू हो जाने पर, निश्चय ही इससे भारत द्वारा आस्ट्रेलिया को भेजी जाने वाली कुछ वस्तुओं को उद्दीपन मिलेगा, परन्तु हमारे निर्यात में कितनी वृद्धि होगी उसकी मात्रा के विषय में अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

मशीनी-औजार का कारखाना

836. **श्री वारियर :**
श्री प्रभात कार :
श्री द्वा०ना० तिवारी :
श्री दाजी :
श्रीमती विमला देवी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मशीनी औजार उद्योग का विकास करने के लिये कोई विस्तृत योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर कितना व्यय किया जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : चौथी पंच-वर्षीय योजना की अवधि में मशीनी औजारों के उत्पादन का लक्ष्य अभी निश्चित नहीं किया गया है । फिर भी चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में मशीनी औजारों की बढ़ती हुई आवश्यकता पूरी करने के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के पिंजौर, कलामसेरी तथा हैदराबाद स्थित कारखानों का विस्तार करने और कम्पनी द्वारा दो नये कारखाने स्थापित करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है । चेकोस्लोवाकिया की सहायता से भावनगर (गुजरात) तथा अजमेर (राजस्थान) में दो और मशीनी औजार कारखानों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है तथा इसके लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं । गैर-सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने की भी योजना बनाई जा रही है ।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के विस्तार कार्यक्रम तथा भावनगर और अजमेर के दो नये कारखानों पर 40 करोड़ रु० से भी अधिक व्यय होने की आशा है ।

जापान को लौह-अयस्क का निर्यात

837. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र०रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बागड़ी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र०चं० बरुआ :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम का एक प्रतिनिधिमण्डल जापान को लौह-अयस्क की बिक्री के लिये आगे ठेके करने के लिये जापान गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) इसके परिणाम काफी सन्तोषजनक रहे हैं । 20 लाख टन प्रति वर्ष का, किरीबुरु लौह-अयस्क का विज़गापटम द्वारा संभरण करने के करार के अतिरिक्त, जापान को अन्य प्रकार के लौह-अयस्क निर्यात करने के लिये भी संविदा कर लिये गये हैं जिनका योग 1965-66 के लिये 27.8 लाख मी० टन तथा 1966-67 और 1967-68 प्रत्येक के लिये 28.5 लाख मी० टन होगा। इनमें से बाद के 2 वर्षों के लिये दी गयी संख्या में, बेलाडीला क्षेत्र से विज़गापटनम द्वारा सम्भरण करने के लिये जो 40 लाख टन प्रति वर्ष का एक अन्य करार होने की आशा है, उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। इस करार का अयस्क 1966-67 वर्ष समाप्त होने से पहले भेजा जाने लगेगा ।

कोरबा एल्यूमीनियम संयंत्र

838. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री चांडक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 20 नवम्बर 1964 तथा 26 फरवरी, 1965 के क्रमानुसार तारांकित प्रश्न संख्या 104 तथा 181 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा में एल्यूमीनियम संयंत्र स्थापित करने के विषय में आगे क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) कोरबा (मध्य प्रदेश) एल्यूमीनियम परियोजना के लिए हंगरी एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बना रहे हैं जो एल्यूमिना अवस्था तक होगी (अर्थात स्फोदिज खनन तथा उससे एल्यूमिना प्राप्त करना) वे अक्टूबर 1965 तक परियोजना की अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । तद्उपरान्त 1966 तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जायेगी ।

प्रद्रावक के लिये (एल्यूमिना से एल्यूमीनियम धातु बनाने के लिए) तथा एल्यूमीनियम सीमिस बनाने की सुविधा के लिये यू० एस० एस० आर० ने तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

रेल रेडियो टेलीफोन प्रणाली

839. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी०चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेडा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले वर्ष से दिल्ली और आगरा के बीच गाड़ियों की रफ्तार तेज किये जाने पर संचालन सम्बन्धी संभावित कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने रेल रेडियो टेलीफोन प्रणाली चालू करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता।

भिलाई इस्पात कारखाने में दुर्घटना

840. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बागड़ी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात परियोजना में कारखाने के निर्माण और चलाने में दुर्घटनाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1964 में कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ग) राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में उपरोक्त अवधि में ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुई; और

(घ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (घ) : भिलाई इस्पात संयंत्र के परिचालन में दुर्घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है, यद्यपि निर्माण कार्यों में हुई कुल दुर्घटनाओं की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण निर्माण-कार्य में अत्याधिक वृद्धि और बड़ी संख्या में मजदूरों का काम पर लगाया जाना है। यह आवश्यक है कि इनमें से कुछ अकुशल होते हैं, इस लिये उनके दुर्घटना-ग्रस्त होने की सम्भावना अधिक होती है। दुर्घटनाओं की वर्गानुसार संख्या निम्नलिखित है :—

	घातक दुर्घटनाएं	अघातक दुर्घटनाएं
भिलाई	21	5,030
राउरकेला . . .	6	4,296
दुर्गापुर	13	3,100

दुर्घटनाओं को दूर करने के लिए किए गए उपायों में हैं :—

(1) जोखिमवाली परिस्थितियों को दूर करने के उद्देश्य से तथा असुरक्षित कार्यप्रणालियों को ठीक करने के लिए कारखाने के प्रत्येक अनुभाग में नियमित रूप से सुरक्षा-निरीक्षण किए जाते हैं।

(2) कामगारों को सुरक्षण के प्रति जागरूक करने तथा भाषणों, निदेर्शनों, पत्रिकाओं, सुरक्षा पोस्टरों, सुरक्षा सम्बन्धी चलचित्रों आदि द्वारा कामगारों को सुरक्षा सम्बन्धी शिक्षण देने के लिए सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(3) पर्यवेक्षी कर्मचारियों को सुरक्षा के तरीकों में जाब सेफटी विचार गोष्ठियों और पारस्परिक वार्तालाप आदि द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

(4) जहां यह देखा जाता है कि कामगारों को जोखिम परिस्थितियों में काम करना है वहां उन्हें सुरक्षा का सामान दिया जाता है।

(5) सभी दुर्घटनाओं की जांच की जाती है जिससे उनके कारणों का पता लगाया जा सके और ऐसी प्रत्येक दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कार्यवाही की जाती है।

कोटा में औजार कारखाना

841. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा में प्रस्तावित औजार कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक चालू होने की संभावना है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) कारखाने की बिल्डिंग और टाउनशिप का निर्माण हो रहा है तथा आयात किए जाने वाली मशीनों और पुर्जों में से काफी बड़ा भाग भारत पहुंच चुका है। ऐसी मशीनों के लिए जिनका उत्पादन देश में ही हो सकता है टेंडर मांगे गए हैं। इंजिनियरों का एक बैच प्रशिक्षण प्राप्त करके वापिस आ चुका है तथा दुसरा यू० एस० एस० आर० में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा तीसरा शीघ्र ही प्रशिक्षण के लिए चला जाएगा।

(ख) कारखाने में 1966-67 तक उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है।

इस्पात कारखानों का विस्तार

842. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस्पात कारखानों के विस्तार तथा नये कारखानों की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये विदेशों को दौरा किया; और

(ख) यदि हां, तो उनके इस दौरे का क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) यात्रिक देशों में जिन विशिष्ट प्रायोजनाओं पर उच्च-स्तर पर बातचीत हुई थी उनमें आगे प्रगति की जा रही है।

Late Running of Trains

843. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri S. C. Samanta :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti : **Shri Subodh Hansda :**
Shri M. L. Dwivedi : **Shri Daljit Singh :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the special measures adopted to avoid the late arrivals and late departures of trains in various Railway Divisions, particularly on the Northern Railway;

(b) whether it is a fact that the late running of trains is constantly on the increase on the branch lines of the Northern Railway as compared to the previous years; and

(c) whether Government propose to take some special remedial measures on these Railway lines to check this tendency ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c) . An analysis of the performance of Mail/Express and passenger trains on all the Railways during the six months ended June, 1965, had not shown much deterioration as compared with the corresponding period of last

year, except for a slight fall on some Railways during certain months. The performance of branch line trains on Northern Railway did not also reveal any setback during the period under review as compared to the corresponding period of last year except for a slight drop on the broad gauge during the months of May and June, 1965.

In the day-to-day operation, the punctual running of passenger carrying trains continues to receive the close and constant attention of the Railway Administrations. Some of the special steps taken in this regard are—

(i) Punctuality drives are instituted from time to time.

(ii) Officers and Inspectors are deputed to travel from time to time by Mail/Express and also passenger trains the performance of which is persistently bad.

(iii) The performance of all trains is watched daily by the Operating/Mechanical Officers at the District/Divisional levels.

(iv) Running of all Mail/Express trains is also daily watched at the highest level in the Head Quarters Office. The Divisional Superintendentsare also required daily to advise the performance of trains in their divisions to the Chief Operating Superintendent twice a day.

(v) Running of selected Mail/Express trains is also specially watched at Railway Board's level and all avoidable detentions are brought to the notice of the Railway Administrations concerned for remedial action.

अलौह धातुओं के लिए वैमानिक सर्वेक्षण के लिये अमरीकी सहायता

844. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री दे० जो० नायक :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या इस्पात और खान मंत्री 19 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ खनिजों वाले क्षेत्रों के वैमानिक सर्वेक्षण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण ने किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यह सर्वेक्षण कब और किस स्थान पर किया जायेगा ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) अमरीकी एड की ओर से 3.5 मिलियन डालर का ऋण प्राधिकृत हुआ है जो कि विशेष प्रावैधिक सेवाओं तथा उपकरणों के लिये प्रयोग किया जायगा।

(ख) सर्वेक्षण अक्तूबर 1965 के अंत तक आरम्भ होने की सम्भावना है, जिसमें राजस्थान का अरावली क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का पूर्वी कुडापा क्षेत्र, बिहार अबरक मेखला और बिहार का रांची पठार सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग

845. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने कुछ रकम मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1965 में कुल कितनी रकम मंजूर की गई;

(ग) राज्य सरकार ने इसमें से कितनी रकम खर्च की है; और

(घ) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कितने औद्योगिक एकक स्थापित किये गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख) : लघु उद्योगों के विकास के लिये केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को ऋण तथा सहायता के रूप में प्रतिवर्ष एक मुख्य राशि दी जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा योजनानुसार राशि का नियतन नहीं किया जाता है। इस प्रकार मिली राशि में से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में लघु उद्योगों के विकास की योजनाओं के समेत किसी भी विशेष योजना के लिये खर्च करने के लिए स्वतन्त्र है ।

(ग) और (घ) : उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा छांटे गए चार पूर्वी जिलों देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर तथा गाजीपुर में लघु उद्योग के कारखाने लगाने के लिए औद्योगिकों को 1964-65 में कुल 9,6500 रु० की राशि का नियतन ऋण तथा सहायता के रूप में किया गया तथा 1964-65 के वित्तीय वर्ष के अंत तक इस राशि का पूर्ण रूपेण उपयोग कर लिया गया था तथा इसके परिणाम स्वरूप इन जिलोंमें 325 औद्योगिक एककों की स्थापना हुई ।

यूरोपीय देशों को लोह-अयस्क का निर्यात

846. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
डा० पू० ना० खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय देशों को लौह-अयस्क के निर्यात की सम्भावना का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । भारतीय लोह अयस्क का निर्यात पहले से ही कई पूर्वी योरुपीय देशों को किया जा रहा है और इस निर्यात में वृद्धि करने की सम्भावनाएं खोजने के लिये सरकार तथा खनिज और धातु व्यापार निगम दोनों द्वारा ही नियमित रूप से प्रयास किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिये पिछले वर्ष ही निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक दल ने बात चीत करने के लिये कुछ पूर्वी योरुपीय देशों का दौरा किया और कुछ अतिरिक्त संविदा किये ; एक दल अगले माह योरुप के दौरे पर जाने वाला है। इन साधनों द्वारा विभिन्न देशों के प्रमुख खरीदारों से नियमित रूप में सम्पर्क रखा जाता है और विक्रय सम्भावनाओं के आकलन देशानुसार समीचीन आधार पर बने रहते हैं ।

(ख) योरुप को होने वाला हमारे लौह अयस्क का निर्यात 1962-63 में हुए 20 लाख मी०टन से बढ़ कर 1964-65 में 30 लाख मी० टन हो गया ; 1965-66 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में योरुप को 9 लाख मी०टन का निर्यात किया गया और अभी तक इस निर्यात की गति पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक रही है ।

छपाई की मशीनों का निर्माण

847. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में छपाई की मशीनें बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) 1964-65 में ऐसी मशीनों के आयात पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) छपाई की मशीनों का निर्माण करने के लिये अतिरिक्त क्षमता किस प्रकार उत्पन्न की जाय इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) 1964-65 में इस प्रकार की मशीनों का 3.83 करोड़ रु० के मूल्य का आयात किया गया था।

भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में सामान की चोरी

848. **श्री पोट्टेकाट्ट** :
श्री अ० व० राघवन :
श्री केप्पन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 मई, 1965 की रात को डाकूओं के एक गिरोह ने धनवाद में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग की विदेशों में बनी सूराख करने वाले पाइप लूट लिए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या वे हावड़ा के एक गोदाम में पाए गए;

(ग) पुलिस द्वारा अब तक गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के क्या नाम हैं; और

(घ) लूटी गई सम्पत्ति का मूल्य कितना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, महोदय। भारतीय भौमिकी विभाग के लोकपिती कैंप (मोहदा के पास) जहां पर कोयले के अन्वेषण के सम्बन्ध में व्यधन कार्य चल रहा था में 19 मई, 1965 को रात के सन्नाटे में एक डाका पड़ा। डाकूओं ने चौकीदार को वश में कर लिया और व्यधन उपकरण जिसमें व्यधन शलाकाएं, केसिंग, चालित नालिए और कुछ डाइमन्ड विटस तथा डाइमन्ड रिमर शैल शामिल थे ट्रक में लादकर ले गये।

(ख) और (ग): सम्पदा के प्राप्त होने की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) 3406.43 रु०।

एच० एम० टी० घड़ियों का निर्यात

849. **श्री पोट्टेकाट्ट** :
श्री अ० व० राघवन :
श्री केप्पन :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक लाख एच०एम०टी० घड़ियां निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनका निर्यात मूल्य क्या होगा; और

(ग) इन घड़ियों का निर्यात मूल्य इनके वर्तमान मूल्य की तुलना में कैसा है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड घड़ियों के निर्यात की सम्भावना का पता लगा रहा है। निर्यात का कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) मूल्यों के बारे में अभी भारी खरीदारों से पत्र-व्यवहार किया जाना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वोत्तर रेलवे में नियुक्तियां और पदोन्नतियां

850. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्वोत्तर रेलवे की प्रत्येक डिवीजन में 250–380 रुपये के वेतन-मान के पदों के लिये नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं,

(ख) क्या पूछताछ तथा आरक्षण क्लर्कों को नियुक्त करने तथा उनको पदोन्नति करने का अधिकार ज़ोनल रेलवे के मुख्यालय को है, और

(ग) क्या यह सच है कि पूछताछ तथा आरक्षण क्लर्कों कि वरिष्ठता सूची दोषपूर्ण है और पूछताछ कार्यालय पिछले 20 वर्ष से काम कर रहे कर्मचारियों को उन कर्मचारियों से जिनको पूछताछ तथा आरक्षण कार्यालय में आये अभी लगभग दस वर्ष ही हुए हैं, कनिष्ठ माना गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) यह पदों के वर्गीकरण पर निर्भर है। प्रवरण पद (Selection Posts) विधिवत गठित प्रवरण-मण्डलों द्वारा किये गये निश्चित प्रवरण के आधार पर भरे जाते हैं। अप्रवण पद (non-selection posts) पात्र कर्मचारियों की ज्येष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर भरे जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

Kotah-Chittorgarh Railway Line

851. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a new traffic survey has been sanctioned for the construction of a railway line from Kotah to Chittorgarh;

(b) if so, the time by which this work will be taken up;

(c) when it is likely to be completed; and

(d) the expenditure involved therein ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes.

(b) and (c). Survey work has already been taken up and is expected to be completed by the end of November, 1965.

(d) About Rs. 41,310.

तुर्की में अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार मेला

852. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 20 अगस्त से 20 सितम्बर, 1965 तक तुर्की में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग ले रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मेले में क्या क्या वस्तुएं प्रदर्शित की जायेंगी; और

(ग) इस पर कुल क्या व्यय होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) इजमीर मेले में प्रदर्शित होने वाली वस्तुओं की सूची संलग्न है ।

विवरण

टाट, जूट की बोरियां, चमड़ा, शल्यचिकित्सा के औजार, नारियल की सुतली, काली मिर्च, मसाले, महंदी पिसी हुई, अरण्डी का तेल, सोडियम बाइक्रोमेट, पोटेशियम बाइक्रोमेट, आबनस लकड़ी, सुतली, हाथ के औजार, सेफ्टी रेज़र, प्रतिदीप्त लेम्प, डीजल इंजन, पम्प, सिलाई मशीनें, फाल्तू पुर्जे, मशीनी औजार, साइकलों के फाल्तू हिस्से, फाउण्टेन पेन, बिजली के मोटर, चमड़े के पट्टे, सिलाई की मशीनें, बिजली की फिटिंग, इंजीनियरों की रेतियां, मीटर, ब्लेड तेज करने के औजार, इस्पात की छड़ें और पत्तरें, स्टेनलैस स्टील का सामान, केबिल, थर्मसफ्लास्क, वायर और फिगर कांच, रसायन, अंगराग सामग्री, प्रदर्शन के लिये माडल, रंगलेप और वारनिशें, छपाई की स्याही, प्रयोगशाला का कांच का सामान, हाथ बुनाई की मशीनें, पानी की छन्नी, बेटरियां, घरों में लगाने का बिजली का सामान, टेलीफोन उपकरण, जटा की वस्तुएं, काफी, चाय, प्लास्टिक का सामान, रेशम और रेयन के कपड़े, दस्तकारी की वस्तुएं आदि ।

(ग) केवल रु० 33,800·00 सरकारी लेखे पर । इस मेले में भारत के भाग लेने पर जो खर्च आयगा उसका अधिकांश तुर्की के आयातकों की एक संस्था द्वारा वहन किया जायगा ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर मालगाड़ी तथा ट्रक की टक्कर

853. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 मई, 1965 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के बिलासपुर–नागपुर सेक्शन पर खात और भंडारा रोड स्टेशनों के बीच एक रेलवे फाटक पर एक मालगाड़ी तथा ट्रक की टक्कर हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हानि हुई और दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) रेल सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची लेकिन मोटर ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया । इसके अलावा ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर मारे गये ।

यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती की वजह से हुई ।

Public Undertakings

854. **Shri D. N. Tiwari** : Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he visited some undertakings in the public sector recently;

(b) if so, the names of the undertakings visited by him; and

(c) the outcome of such visits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) Yes, Sir.

(b) 1. Heavy Engineering Corporation, Ranchi.
2. Coal Mining Machinery Project, Durgapur.
3. Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal.
4. Bharat Heavy Electrical Ltd., Hardwar.
5. Bharat Heavy Electricals Ltd., Tiruchirapalli.
6. Bharat Heavy Electricals Ltd., Hyderabad.
7. Hindustan Machine Tools Ltd., Bangalore.
8. Hindustan Machine Tools Ltd., Pinjore.
9. Hindustan Machine Tools, Ltd., Hyderabad.
10. Hindustan Photo Films Manufacturing Co. Ltd., Ootacamund.
11. National Instruments Ltd., Calcutta.

(c) Better appreciation of the problems and achievements of these enterprises which have been encouraged to rely more and more on indigenous resources not only to maintain but to improve upon the considerable progress already made.

दिल्ली में सीमेन्ट की कमी

855. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री बागड़ी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों से दिल्ली में सीमेंट की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भवन निर्माण कार्य लगभग बन्द हो गया है;

(ग) क्या सीमेंट की कमी के कारण जल व्यवस्था, गन्दी बस्तियों का निर्माण आदि महत्वपूर्ण कार्य नहीं किये जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जहां तक भवन निर्माण का संबंध है सीमेंट की कमी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) : दिल्ली प्रशासन प्रत्येक तिमाही में दिल्ली नगर निगम को सीमेंट का इकट्ठा आवंटन करता है जो प्रारम्भ की गई विभिन्न परियोजनाओं पर उनकी प्राथमिकता के अनुसार इस्तेमाल कर सकता है। हाल ही में जब निगम ने वाटर वर्क्स की आवश्यकता पूरी करने के लिये सीमेंट के अपर्याप्त आवंटन की शिकायत की थी तो तिमाही कोटे के अतिरिक्त 4,500 मीट्रिक टन का विशेष आवंटन दो बार में किया गया था। प्रशासन ने आवश्यक निर्माण कार्यों के लिये सीमेंट के आवंटन के मामले में कोई भी कठिनाई नहीं बताई है।

कांगड़ा-घाटी सेक्शन पर अतिरिक्त रेल गाड़ी

856. **श्री हेमराज :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी सेक्शन पर चौथी रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इसके लिये इंजन, डिब्बे आदि प्राप्त कर लिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो अतिरिक्त गाड़ी किस तारीख से चलनी शुरू हो जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अतिरिक्त इंजनों के उपलब्ध होने पर पठानकोट और बैजनाथ पपरोला के बीच।

(ख) और (ग) : 1-10-1965 से एक और गाड़ी चलाने का विचार है।

सीमेन्ट का उत्पादन

857. **श्री हेमराज :**
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के पहले पांच महीनों में देश में सीमेंट का कितना उत्पादन हुआ तथा विदेशों से कितना आयात किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में कितनी सीमेंट फैक्टरियां चालू थीं तथा कितनी बन्द कर दी गईं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र) : (क) चालू वर्ष के पहले पांच महीनों अर्थात् जनवरी, 1965 से मई, 1965 में सीमेंट का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है:—

मास	उत्पादन (हजार मीट्रिक टनों में)
जनवरी, 1965	861
फरवरी, 1965	800
मार्च, 1965	895
अप्रैल, 1965	841
मई, 1965	914

इस अवधि में सीमेंट का बिल्कुल आयात नहीं हुआ।

(ख) उत्पादन में लगे सीमेंट कारखानों की संख्या . . 38

बन्द हो गये सीमेंट कारखानों की संख्या . . . एक भी नहीं।

Derailment near Kanpur

858 **Shri Naval Prabhakar :** **Shri Bade :**
Shri Vishwa Nath Pandey : **Shri Brij Raj Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 111 Down Banda-Lucknow Passenger train was derailed between Hamirpur and Ghatampur at a distance of 45 Kilometers from Kanpur on the 8th June, 1965;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the estimated damage as a result thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes.

(b) The cause of the accident is under investigation.

(c) The cost of damage to the Railway property was estimated at approximately Rs. 5,617.

Exhibition in U. S. S. R.

859. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Indian Consulate in U. S. S. R. has established an Emporium for the exhibition of exportable goods; and

(b) if so, the nature and number of exhibits ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) A Trade Centre was opened in Moscow in June this year as a part of our Embassy to display our goods which have an export potential in the U. S. S. R. market

(b) Consumer goods, leather products, textile manufactures and light engineering items comprising in all over 100 types of exhibits are on display.

Reservation of Posts for Sons of Railway Employees

860 **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Brij Raj Singh :
Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the recommendation of the Kunzru Committee that 25 per cent of posts on the Railways should be reserved for the sons of Railway employees; and

(b) if so, the decision taken in the matter ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) The recommendation was not accepted.

रेलवे की संयुक्त-परामर्श समिति

861. **श्री गोकुलानन्द महंती :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ को हड़तालें न करने का सुझाव दिया है जिससे वे प्रस्तावित संयुक्त परामर्श समितियों की बैठकों में भाग ले सकें; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श और अनिवार्य विवाचन की जो योजना मूल रूप से गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी थी, उसे आल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन को भेजा गया था। इस योजना में, अन्य बातों के साथ, एक शर्त यह भी रखी गयी थी कि योजना को स्वीकार करने से पहले ट्रेड युनियनें हड़ताल न करने का वचन दें।

(ख) सरकार द्वारा बनायी गयी इस योजना पर आल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं हुई है।

तिरूर ऊपरी पुल

862. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालीकट के निकट तिरूर ऊपरी पुल के निर्माण-कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): इस योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार ने रखा है और इसे 1965-66 में अन्तिम रूप दिया जायेगा। रेलवे ने इस काम से सम्बन्धित नक्शों को अन्तिम रूप दे दिया है और उन्हें जून, 1965 में राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। अभी तक राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है।

केरल को सीमेन्ट का नियतन

863. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63 तथा 1963-64 में केरल सरकार को सीमेंट का कितना कोटा नियत किया गया; और

(ख) उस अवधि में उस राज्य को वास्तव में कितना सीमेंट दिया गया ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) तथा (ख) : निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा केरल के लिए (राज्य कोटे के अन्तर्गत) नियत किए गए और वहां भेजे गए सीमेंट का पता चलता है।

वर्ष	नियतन (मी० टनों में)	भेजा गया
1962-63	1,63,875	1,29,520
1963-64	1,63,965	1,28,935

कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र

864. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला अबाध क्षेत्र में जाने के लिये उद्यमियों का उत्साह उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उद्योगपतियों द्वारा इस योजना का लाभ उठाने की दृष्टि से उन्हें इस अबाध व्यापार क्षेत्र के आशय, उद्देश्य तथा प्रयोजन से अवगत कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने के लिये पिछले तीन महीनों (मई, जून, जुलाई 1965) में प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संख्या में जो कमी हुई है, वह मुख्यतः कच्छ रण की सीमा पर हुई गड़बड़ी के कारण है। परन्तु यह एक अस्थायी घटना है।

(ग) सरकार कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र सम्बन्धी एक प्रचार पुस्तिका पहले ही प्रकाशित कर चुकी है और इसकी प्रतियां देश में स्थित विभिन्न वाणिज्य और उद्योग मंडलों तथा व्यापार हितों को भेज दी गयी हैं। इसके लिये प्रमुख समाचार पत्रों, वाणिज्यिक दैनिकों और वित्तीय पत्रिकाओं में विज्ञापन दिये गये थे और इन्हें जारी रखा जायेगा। समाचार पत्रों में कुछ लेख भी प्रकाशित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, और अधिक विवरण देने वाली एक पुस्तिका भी जल्दी ही प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।

बम्बई में भूमिगत रेलवे

865. **श्री अ०व०राघवन :**
श्री प्र०चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री महेश्वर नायक :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में एक भूमिगत रेलवे के निर्माण के लिये एक "विशेष प्राधिकार" स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्राधिकार का गठन तथा कार्य क्या होंगे; और

(ग) बम्बई में भूमिगत रेल व्यवस्था की प्लान तैयार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) रेल मंत्रालय को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) भूमिगत और उपरिगामी रेलें आदि शहरों के अन्दर संचार की लाइनें होती हैं। सम्बन्धित नगरपालिका/निगम या राज्य सरकार को चाहिए कि वह इनकी संभावनाओं का पता लगाये और इनकी व्यवस्था करे। निगम की सीमा के अन्दर किसी रेलवे के निर्माण का प्रश्न निगम से सम्बन्धित होगा न कि रेल मंत्रालय से।

पूर्वी पाकिस्तान के रास्ते अगरतला को चावल भेजना

866. **श्री दशरथ देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरतला (त्रिपुरा) को भेजे जा रहे 10 माल डिब्बे चावल मई, 1965 में पूर्वी पाकिस्तान में रोक लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या रोक लिया गया चावल अब त्रिपुरा पहुंच गया है ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार विलम्ब को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, कुल 78 माल डिब्बे बेलोनिया के लिये बुक किये गये थे जिनमें से 12 अब भी रुके पड़े हैं। बाकी 66 माल डिब्बों को दूसरे रास्ते अखौरा भेजा गया और वे वहां खाली कर दिये गये।

(ख) और (ग) : जी नहीं। फेनी और बलोनिया के बीच रेलवे लाइन टूट जाने के कारण इन माल-डिब्बों को बेलोनिया से आगे भेजना ईस्ट पाकिस्तान रेलवे प्राधिकारियों के लिये सम्भव नहीं है। मौजूदा हालत को देखते हुए इन टूटी लाइनों की मरम्मत में दो या तीन हफ्ते लग सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे बोर्ड से भी अनुरोध किया गया है कि टूट-फूट की मरम्मत हो जाने पर इन मालडिब्बों को तुरन्त ही अखौरा भेज दिया जाय। इस बीच यह व्यवस्था कर दी गयी है कि त्रिपुरा राज्य के लिए बुक किया जाने वाला सभी यातायात केवल अखौरा के लिए बुक किया जाय, बेलोनिया के लिये नहीं।

त्रिपुरा में लुगदी उद्योग

867. **श्री दशरथ देव** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कुमारघाट में लुगदी उद्योग आरम्भ करने के लिए कोई योजना मंजूर की की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर किये जाने वाले व्यय की अनुमानित राशि क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : अभी नहीं। लेकिन त्रिपुरा में 50 मी०टन लुग्दी । कागज प्रति दिन तैयार करने के लिए राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम द्वारा तैयार की गई सम्भाविकता रिपोर्ट पर अभी विचार किया जा रहा है। स्वीकृत होने की अवस्था में इस योजना पर लगभग 6 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है।

रबड़ बोर्ड

868. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबड़ बोर्ड द्वारा उत्पादन-शुल्क के रूप में एकत्रित की गई राशि को समय पर सरकारी लेखे में जमा नहीं कराया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से०वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : रबड अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों और उनके अनुसरण में बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, निर्धारिती रबड़ पर लगे उत्पादनशुल्क की अदायगी बोर्ड के कोट्टयम स्थित कार्यालय में नगद रूप में अथवा मनीआर्डर या बैंक ड्राफ्ट या क्रास-चैक द्वारा, जो कि कोट्टयम में बोर्ड के सचिव को देय करना होती है। चूंकि इस राजस्व का अधिकांश भाग चैकों और ड्राफ्टों द्वारा प्राप्त होता है, इसलिये सम्बन्ध राशियों का नकदीकरण लेखा तैयार करने की पद्धति में विलम्ब हो जाता है, यद्यपि रबड़ बोर्ड द्वारा इन प्राप्तियों को प्रति सप्ताह भारत की संचित निधि में जमा करवाते रहने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार का विलम्ब रोकने के लिये भी सरकार नियमों में ऐसे संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिससे निर्धारिती कोट्टयम स्थित खजाने में अपनी उपकर राशि को ड्राफ्ट द्वारा सीधे ही भेज सकेंगे।

गोवा में इस्पात कारखाना

869. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में किसी जापानी फर्म के सहयोग से पांचवां इस्पात कारखाना आरम्भ करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गापुर में चश्मों के शीशों का संयंत्र

870. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर में चश्मों के संयंत्र का निर्माण समय सूची से पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : ड्राइंग और डिजाइन में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता इन कारणों से पड़ गई थी—(क) उस स्थान की भूमि संबंधी वास्तविक स्थिति पहले जैसा अनुमान लगाया गया था उससे कुछ भिन्न निकली और (ख) देश में उपलब्ध इस्पात के ढांचे रूसी स्टैंडर्ड से भिन्न हैं ।

उपयुक्त आकार की इस्पात की कुछ किस्मों की छड़े भी उपलब्ध नहीं थीं । इन कारणों से कार्यान्वित करने में कुछ विलम्ब हो गया है । फिर भी परियोजना अब तेजी से चलने लग गई है क्योंकि,

(क) कच्चे माल का समय के भीतर समाहार किये जाने का सुनिश्चय करने;

(ख) आयोजन तथा डिजाइन सेक्शनों को सुदृढ करने के लिये तबसे कारगर उपाय किये गये हैं ।

काजू उत्पादों का निर्यात

871. **श्री वारियर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत काजू उत्पादों के निर्यात में पूर्वी अफ्रीका के देशों के साथ कड़ी प्रतियोगिता का सामना कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अफ्रीकी काजू अमरीका तथा अन्य देशों में भारतीय काजू की तुलना में कम मूल्य पर बिकता है;

(ग) क्या भारत के लिए विश्व बाजार में काजू के निर्यात का एकाधिपत्य खोने का खतरा है ; और

(घ) यदि हां, तो अफ्रीकी की काजू उद्योग की बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सं० रा० अमरीका को कुछ अफ्रीकी देशों द्वारा कुछ परिमाण में काजू बेचा जा रहा है । फिर भी भारतीय काजू की किस्म बढ़िया होने के कारण उसकी मांग बहुत अधिक है ।

(ग) और (घ) : समापित काजू का निर्यात करने की अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये भारत इस समय मुख्य रूप में केनिया और तांगानीका से कच्चे काजू का आयात करता है । इनमें से कुछ देशों द्वारा मशीनी साधनों से काजू का समापन, करने का प्रयास किया जा रहा है, और यदि इसमें उन्हें सफलता प्राप्त हो गई तो भारत की काजू-निर्यात सम्बन्धी प्रमुख स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है । स्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है, और इसी दौरान में काजू बागानव को भारत के विभिन्न राज्यों में बढ़ाने और विकसित करने के लिये कदम उठा लिये गये हैं । काजू बोर्ड बनाने के विषय में भी विचार किया जा रहा है ।

कोट्टायम और कालीकट (केरल) में लोह-अयस्क के निक्षेप

872. **श्री वारियर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के कोट्टायम और कालीकट जिलों में लोह-अयस्क के निक्षेप मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मात्रा कितनी है और वे किस किस्म के हैं ;

(ग) क्या इन निक्षेपों को वाणिज्यिक तौर पर निकाले जाने की कोई सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, ो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, महोदय ।

(ख) भारतीय भौमिकी विभाग ने कालीकट (कोजीकोडी) प्रान्त में कच्चे लोहे के समस्त संचय 17 मिलियन मीटरी टन के स्तर के अनुमान किये है जिसमें 25 प्रतिशत लोहे का भाग है। इसी प्रान्त में एक वाणिज्य कर्म ने नदुवालुर पहाड़ियों में हाल ही में कुछ उच्च श्रेणी के अनयस्य प्राप्त किये है जिसमें 60 प्रतिशत से ऊपर लोहा है। कोटायम जिले में अनयस्य के संचयों का लगाया गया अनुमान बहुत नहीं है।

(ग) उच्च श्रेणी के अनयस्य की कुछ मात्रा को छोड़कर जिसे बाहर भेजा जा सकता है, बाकी संचय व्यापार की दृष्टि से निकालने योग्य नहीं है ।

(घ) पता चला है कि दो खनिज पट्टे केरल राज्य द्वारा 245-51 एकड़ क्षेत्र के लिए दो गैर सरकारी पक्षों को स्वीकार किये गये है। अन्य क्षेत्रों से भी खनिज के विदोहन की सम्भावना की परीक्षा की जा रही है।

सिगरेट बनाने के टिशू कागज का निर्यात

873. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगरेट बनाने के टिशू कागज के निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इसका निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) सिगरेट बनाने के टिशू कागज का निर्यात 1962-63 में हुए 63.4 लाख रु० से 1963-64 में घटकर 46.8 लाख रु० हो गया था। अब 1964-65 में इसका निर्यात फिर बढ़कर लगभग 61.7 लाख रु० पर पहुंच गया है।

(ख) इसके निर्यात में कमी होने के कारणों में से कुछ प्रमुख ये थे : विश्व में सिगरेट बनाने के कागज का अधिक उत्पादन होना, कुछ देशों में सिगरेट के कागज बनाने के कारखाने स्थापित होना तथा कुठ अन्य देशों में इसके आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जाना।

(ग) सरकार द्वारा सिगरेट के टिशू कागज के निर्यात में वृद्धि करने के लिये जो कदम उठाये गये हैं उनमें से कुछ ये है : निर्यात किये जाने वाले टिशू कागज के जहाज पर निःशुल्क लदान मूल्य के 40 प्रतिशत भाग के लिये आयात हकदारी की स्वीकृति देना, कुछ पूर्व योरुपीय देशों से होने वाली व्यापार योजनाओं में इसे सम्मिलित करना तथा निर्यातकों को विदेशों में इसका बाजार सर्वेक्षण करने की सुविधाएं देना।

ट्रांसफार्मरों का निर्माण

874. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल ने भारत में लगाने के लिये सबसे बड़े ट्रांसफार्मर का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह आयात किये जाने वाले ट्रांसफार्मरों के समान उपयोगी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे ट्रांसफार्मरों के निर्माण से विदेशी मुद्रा के अर्जन में सहायता मिलेगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० भोपाल ने भारत में निर्मित सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर बनाया है और यह अभी तक लगाए गए सबसे बड़े ट्रांसफार्मरों में से एक है ।

(ख) इस ट्रांसफार्मर की रैटिंग 75000 के० वी० ए०, 132 के० वी० ए० है और इसका कुल स्थापित भार 104 टन है ।

(ग) जी हां ।

(घ) वर्तमान स्थिति में इस प्रकार के ट्रांसफार्मर के निर्माण से विदेशी मुद्रा में बचत होगी जिसे इसी प्रकार के ट्रांसफार्मर को आयात करने पर खर्च करना पड़ता ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम

875. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात के लिए मद्रास में रखे गए लौह-अयस्क का स्टाक पुस्तकों में दिखाये गये स्टाक की मात्रा से कम पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस हानि के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) हानि कितनी हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) कुल भेजे गये 21.19 लाख मी० टन माल में से लेखा पुस्तकों के अनुसार 1,16,724 मी० टन की कमी थी ।

श्रीलंका से गोले का आयात

876. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका से आयात किये जाने वाले गोले के परिमाण में कमी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : आयात देशानुसार नहीं, वरन्, उक्त आयातों के लिये उपलब्ध विदेशी मुद्रा के आधार पर किया जाता है ।

लद्दाख में स्वर्ण-निक्षेप

877. **श्री हेमराज** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में कोई स्वर्ण-निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) इसका क्या परिणाम रहा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) भूतपूर्व काश्मीर राज्य सरकार द्वारा 1939-40 में तथा भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा 1955 में प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) सिंधु नदी तथा लद्दाख ज़िले में उसकी उपनदियों द्रास एवं सुरू के रेत और कंकरीली तलहटी में "अलुवियल" (जलोढ) सोना पाए जाने का इंगित मिला है परन्तु काम लायक कोई निक्षेप उपलब्ध नहीं है।

पंजाब में रेशम कीट पालन उद्योग का विकास

878. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 19 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1269 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार से पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र में रेशम कीट पालन उद्योग के विकास संबंधी पुनरीक्षित योजना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये 1965-66 में पंजाब सरकार को कितनी राशि नियत की गई थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं। जुलाई 1965 में केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने चंडीगढ़ में अपने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसका कार्य पंजाब के पहाड़ी ज़िलों में कीट पालन उद्योग के विकास के लिए ठोस योजना बनाने में पंजाब सरकार की सहायता करना था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में भारी उद्योग

879. **श्री हेमराज** : **श्री प्र० के० देव** :
श्री सोलंकी : **श्री नरसिम्हा रेड्डी** :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 5 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 697 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में पंजाब राज्य में भारी उद्योग स्थापित करने तथा स्थान के बारे में कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक किया जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विमुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : चौथी योजना में उद्योगों की स्थापना करने के संबंध में पंजाब सरकार द्वारा किये गये प्रस्तावों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। योजना आयोग का विचार राज्य सरकार के साधनों की स्थिति का पुनः पता लगाने के बाद उस पर होने वाले व्यय आदि के संबंध में राज्य सरकार से और आगे बातचीत करने का है। चौथी योजना में पंजाब राज्य में भारी उद्योगों की स्थापना किन-किन स्थानों पर की जानी है इसके बारे में अन्तिम निर्णय यह बातचीत हो जाने के बाद ही किया जायेगा।

कपड़ा मिलें

880. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात के लिये सरकारी क्षेत्र में बड़ी कपड़ा मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह मिलें कहां स्थापित की जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख) : निर्यात के लियें सूत तैयार करने वाले पांच मिल सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का एक प्रस्ताव सक्रियरूप से विचाराधीन है ।

सीमेंट की कमी

881. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीने में कृषि के लिए तथा कृषि के अतिरिक्त प्रयोजनों के लिए विभिन्न राज्यों को कुल कितना सीमेंट आवंटित किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को तिमाही इकट्ठा सीमेंट आवंटित किया जाता है और उसका विस्तारपूर्वक वितरण करने का निश्चय उन्हीं के द्वारा किया जाता है। जनवरी से जून, 1965 की अवधि में इनके द्वारा कृषि और गैर कृषि संबंधी कार्यों के लिये निर्धारित प्रयुक्त सीमेंट के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी गई है :—

राज्य	सीमेंट का परिमाण जिसका उपयोग	
	कृषि कार्यों	गैर-कृषि में किया गया
	(मीट्रिक टनों में)	
(1)	(2)	(3)
1. दिल्ली	645	97,655
2. जम्मू तथा काश्मीर	5,628	6,372
3. राजस्थान	37,620	87,780
4. गुजरात	68,100	1,73,400
5. दादरा तथा नगर हवेली	4	299
6. महाराष्ट्र	80,200	2,46,800
7. गोआ, दमन तथा ड्यू	150	20,599
8. मध्य प्रदेश	57,502	1,20,698
9. बिहार	27,941	1,99,759
10. उड़ीसा	35,373	72,327
11. प० बंगाल	7,325	2,80,675

1	2	3
12. नेफा	145	2,747
13. मणिपुर		6,000
14. नागालैण्ड	48	2,979
15. आन्ध्र प्रदेश	46,350	1,54,050
16. मद्रास	30,580	2,49,020
17. उत्तर प्रदेश	1,47,213	2,02,887
18. पांडिचेरी	238	5,762
19. केरल	8,000	88,900
20. लकादिव तथा मिनिकाय द्वीप समूह	1	604
21. पंजाब	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पंजाब में जिला अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे कृषि संबंधी कार्यों के लिये सीमेंट देने को उच्च प्राथमिकता दें और यह बता सकना कठिन है कि कितनी सीमेंट का उपयोग कृषि संबंधी कार्यों में तथा कितनी का गैर-कृषि संबंधी कार्यों में प्रयोग किया गया।	
22. मैसूर	मैसूर राज्य सरकार द्वारा कृषि संबंधी कार्यों के लिये सीमेंट का अलग से आवंटन नहीं किया जाता है। डिप्टी कमिश्नरों को सलाह दी गई है कि वे जिले का 10 प्रतिशत कोटा कृषि संबंधी कार्यों के लिये निश्चित कर दे।	
23. त्रिपुरा 24. हिमाचल प्रदेश 25. अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	इन सरकारों द्वारा उनके इकट्ठे कोटे में से कृषि संबंधी कार्यों के लिये अलग से कोई आवंटन नहीं किया जाता है।	
26. आसाम	सूचना उपलब्ध नहीं है। यह इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।	

सीमेंट के कारखानें

882. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गैर-सरकारी उपक्रमों को सीमेन्ट के कारखाने बनाने के लिए दिये गये लाइसेंसों के सम्बन्ध में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है ; और

(ख) इन कारखानों की प्रगति के सम्बन्ध में पिछले वर्ष के पुनर्विलोकन के बाद सरकार ने क्या पग उठाये हैं।

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : सीमेंट कारखाने की अनिर्णीत योजनाओं की प्रगति का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जा रहा है और इन अनिर्णीत योजनाओं के बारे में शीघ्रता करने के लिये सीमेंट निर्माताओं की समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं। वे योजनाएं जिनके लिये लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किये जा चुके हैं किन्तु जिनके कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना नहीं है उन्हें निरसित/रद्द कर दिया गया है । वर्तमान कार्य प्रणाली के अनुसार प्रारम्भ में केवल छः महीने के लिये मान्य आशय-पत्र ही जारी किये जाते हैं जिनके लिये जब तक प्रत्येक मामले के गुणावगुण को देखते हुए पार्टियों को यह अवधि बढ़ाने की मंजूरी न दी जाये तब तक उद्यमियों द्वारा समय के भीतर समुचित कार्रवाई न करने पर इनकी अवधि स्वतः ही समाप्त हो जाती है। 1965 में अभी तक प्रगति न होने के कारण दस योजनाएं रद्द कर दी गई हैं।

लाख का निर्यात

883. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री पें० वेंकटसुब्बया :

श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964–65 के दौरान भारतीय लाख का निर्यात बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) पिछले वर्ष की तुलना में 1964–65 में निर्यात 10 प्रतिशत कम रहा।

(ख) निर्यात में कमी होने का मुख्य कारण उत्पादन में कमी हो जाना था।

(ग) खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय और राज्य सरकारों द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने तथा गवेषणा कार्य को तीव्र करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। जहां तक सम्भव होगा उत्पादन की पूर्ति करने के लिये, लाख की कलमों/लाख बीजों को आयात कर के चपड़े में परिवर्तित किया जायेगा ।

मण्डी सेंधा नमक

884. **श्री हेमराज :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के पहाड़ी इलाकों तथा हिमाचल प्रदेश में मण्डी सेंधानमक की बहुत भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) डांग में सेंधा नमक की खानों मे से एक में जमीन के नीचे पानी होने के कारण धनबाद के खानों के निरीक्षक ने उसे असुरक्षित घोषित कर दिया था अतः 1963 में वहां काम बन्द कर दिया गया। गुमास्थित दूसरी खान भी खनन कार्य के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई थी अतः सेंधा नमक का उत्पादन सीमित ही रहा।

(ग) इनके अलावा सेंधा नमक के कुछ और क्षेत्र खोजे गए हैं तथा वहां गढ़ा खोद कर थोड़ी मात्रा में नमक प्राप्त किया जा रहा है। भारतीय खनिज ब्यूरो डांग तथा गुमा में ऐसे क्षेत्रों की ड्रिलिंग करके खोज कर रहा है जहां बड़ी मात्रा में नमक उपलब्ध हो सके। जैसे ही ड्रिलिंग कार्य पूरा हो जाएगा तो बड़े पैमाने पर सेंधा नमक का परिमाण मालूम करना सम्भव हो जाएगा।

साइकल के टायर तथा ट्यूब

885. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साइकल विक्रेताओं को वास्तविक साइकल प्रयोगकर्त्ताओं को देने के लिये साइकल टायरों तथा ट्यबों का कोटा नियत किया जाता है;

(ख) क्या ये विक्रेता टायर तथा ट्यूब वास्तविक साइकल प्रयोगकर्त्ताओं को न देकर उन्हें चोर बाजार में बेचते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे विक्रेताओं के कार्य पर कुछ नियंत्रण रखने के लिये कोई व्यवस्था करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) तथा (ख): साइकिल के टायर और ट्यूबों के उत्पादक अपने अधिकृत विक्रेताओं के लिए टायर और ट्यबों का नियतन करते हैं जो उन्हें अपने ग्राहकों और वास्तविक उपभोक्ताओं को देते है। टायर कम्पनियों और उनके विक्रेताओं द्वारा उनके वितरण के लिए किए गए प्रबन्ध के द्वारा उन वास्तविक उपभोक्ताओं को जो विक्रेताओं अथवा उनके द्वारा निर्धारित केन्द्रों पर जाते हैं, कम्पनी द्वारा प्रस्तावित किए गए विक्रय मूल्य पर टायर और ट्यूबें मिल जाती हैं।

(ग) तथा (घ) : सरकार ने साइकिलों के टायर और ट्यबों के उत्पादकों को यह परामर्श दिया है कि वह यह देख लें कि उनके विक्रेता टायर और ट्युबें उनके द्वारा प्रस्तावित खुदरा मूल्य पर ही बेचें।

टायर-कम्पनियां अधिक मूल्य लेने की उन विशिष्ट शिकायतों पर कार्यवाही करती हैं जो उनको की जाती हैं।

कलकत्ता और बम्बई के बीच डीलक्स रेल गाड़ियां

886. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर होकर कलकत्ता और बम्बई के बीच कम से कम अर्ध-साप्ताहिक डीलक्स रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ये गाड़ियां कब से चलाई जायेंगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : इस समय जो वातानुकूल गाड़ियां हफ्ते में दो बार चलती हैं उनमें से कुछ गाड़ियों को अधिक बार चलाने तथा जिन मुख्य मार्गों पर अभी तक इस तरह की वातानुकूल गाड़ियां नहीं चलायी जा रही हैं, उन पर भी ऐसी गाड़ियां चालू करने के उद्देश्य से चार और वातानुकूल रेक मंगाने का विचार है। परीक्षण के तौर पर जो नये मुख्य मार्ग चुने गये हैं, उनमें से एक नागपुर के रास्ते बम्बई वी० टी०—हवड़ा मार्ग है। इन चार अतिरिक्त वातानुकूल रेकों के उपलब्ध हो जाने के बाद, इस मार्ग पर हफ्ते में एक बार चलने वाली वातानुकूल गाड़ी चलाने का विचार है। बिजली जनित्र, वातानुकूल और बिजली उपस्कर के आर्डर दिये जा चुके हैं और आशा है कि ये सामान अगले वर्ष के मध्य तक मिल जायेंगे। इन सामानों के मिल जाने पर इन उपस्करों को सवारी डिब्बों में फिट करना होगा। इसलिए फिलहाल यह बताना सम्भव नहीं है कि यह गाड़ी कब चालू हो जायेगी।

रेल यात्रा में विद्यार्थियों को दी जाने वाली रियायत

887. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड की इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया है कि अखिल भारतीय रेशम-उत्पादन प्रशिक्षण संस्था, मैसूर में प्रशिक्षण पाने वालों को रेल यात्रा में वही रियायत दी जाये जो विद्यार्थियों को दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रशिक्षणार्थी राज्य सरकार के अफसर हैं जिन्हें वेतन के अलावा भत्ता मिलता है। इसके अतिरिक्त उनके शैक्षणिक भ्रमण का खर्च केन्द्रीय सिल्क बोर्ड देता है जो बदले में भारत सरकार से अनुदान के रूप में यह रकम पाता है।

गोले की कमी

888. **श्री सेझियान :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में आजकल गोले की बहुत कमी है और मूल्य भी बढ़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित तेल मिलों तथा कर्मचारियों को कोई सहायता दी है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) यह कुछ तो देश में चालू वर्ष में नारियल के उत्पादन में कमी होने तथा कुछ गोले के आयात में कमी हो जाने के कारण हुई है।

(ग) विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिन स्थिति को देखते हुए गोले का अधिक परिमाण में आयात करना सम्भव नहीं है। इस समय गोले का आयात राज्य व्यापार निगम के जरिये किया जाता है जो वास्तविक उपयोक्ताओं को कोटे का आवंटन करता है, मूल रूप से कोटे की हकदारी निश्चित करने में केरल में स्थित कारखानों को प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) इस समस्या का दीर्घ-कालिक हल यही है कि देश में नारियल का उत्पादन बढ़ाया जाये। इसके लिये सरकार ने अनेक प्रकार की कार्रवाई की है जिसमें उर्वरकों का वितरण, पौधों के संरक्षण संबंधी उपाय करना विस्तार संबंधी कार्य करना तथा अनुसन्धान के कार्य का विकास करना शामिल हैं।

माधोपुर-कठुआ रेलवे लाइन

889. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** **श्री समनानी :**
श्री अब्दुल गनी गोनी: **श्री राम हरख यादव :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माधोपुर-कठुआ रेलवे लाइन का काम कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जायेगा ;

(ख) क्या कठुआ रेलवे स्टेशन की श्रेणी के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या उन डाक गाड़ियों को कठुआ तक चलाने का कोई प्रस्ताव है, जो कि अब पठानकोट तक ही जाती हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, कठुआ 'बी' श्रेणी का अन्तिम स्टेशन होगा।

(ग) जी नहीं। फिलहाल डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों को पठानकोट से आगे कठुआ तक चलाने का कोई विचार नहीं है।

मैसूर में बिजली का कारखाना

890. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी की 'इलेक्ट्रो कमबाइन ए० ई० जी०' मैसूर राज्य में बिजली का एक कारखाना स्थापित करने में सहायता देने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : बंगलोर की नई गवर्नमेंट इलैक्ट्रिक फैक्टरी मसूर सरकार का एक प्रतिष्ठान है। फैक्टरी को बिजली का सामान जिसमें ट्रांसफार्मर, मोटरे तथा स्विच गियर आते हैं बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है। उन्होंने पश्चिम जर्मन फर्म मैसर्स ए०इ०जी० का संहयोग प्राप्त किया है। इस समय कारखाने में मशीनें लगाई जा रही हैं तथा शीघ्र ही वहां उत्पादन के शुरू हो जाने की आशा है।

राज्य सरकार ने इनके लिए एक पब्लिक लि० कम्पनी खोलने का सुझाव दिया है जिसमें मैसूर सरकार पश्चिमी जर्मनी के सहयोगी, दी आई० एफ० सी० वाशिंगटन तथा आम जनता शेयर होल्डर होंगे। यह सुझाव अभी विचाराधीन है।

Engineers of Bokaro Steel Plant

891. **Shri Kindar Lal :**
Shri Vishwa Nath Pandey :
Dr. Mahadeva Prasad :

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a team of Indian Engineers had gone to Moscow for the preparation of detailed outlines of the Bokaro Steel Plant;

(b) whether the team has submitted its report;

(c) if so, the main features thereof; and

(d) if not, when the report is likely to be received by Government ?

The Minister of Steel & Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) to (d). According to the Contract between Tjazhpromexport and Bokaro Steel Limited in connection with the establishment of the Bokaro Steel Plant, the Indian Engineers are to participate in the designing work contemplated in the Indo-Soviet Agreement signed on 25th January, 1965. Accordingly a team of 12 Indian Engineers have gone to U. S. S. R. in June, 1965 to participate in the preparation of the detailed project report. This detailed project report is now expected to be received by about the middle of October, 1965, slightly earlier than was envisaged in the Indo-Soviet Agreement.

मद्रास और विजयवाडा रेलवे लाइनका विद्युतीकरण

892. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में मद्रास-विजयवाडा रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) मोटे तौर पर जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार इस योजना पर (चल-स्टाक को छोड़कर) लगभग 18.35 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है।

(ग) इस प्रस्ताव पर विभिन्न अधिक व्यस्त मार्गों से सम्बन्धित अन्य प्रस्तावों के साथ अभी विचार किया जा रहा है।

दिल्ली और जोधपुर के बीच नई रेलगाड़ी का चलाया जाना

893. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोधपुर और दिल्ली के बीच रेलगाड़ियों के आने जाने के समय को कम करने के लिये फुलेरा और रींगस के रास्ते एक नई रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। आजकल सादुलपुर-रतनगढ़ और डेगाना के रास्ते दिल्ली और जोधपुर के बीच एक जोड़ी डाक गाड़ियां चलती हैं। ये गाड़ियां अपने वर्तमान मार्ग पर बड़ी लोकप्रिय और उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। यदि इनका मार्ग परिवर्तन करके इन्हें रींगस और फुलेरा के रास्ते चलाया गया तो वर्तमान मार्ग के यात्रियों को इन तेज़ गाड़ियों से वंचित होना पड़ेगा। इससे जनता से शिकायतें आयेंगी जो वांछनीय नहीं है। इसके अलावा, दिल्ली और जोधपुर के बीच रींगस और फुलेरा के रास्ते, खासतौर पर दिल्ली–रेवाड़ी खण्ड पर, लाइन-क्षमता उपलब्ध न होने के कारण सीधी गाड़ी चलाना सम्भव नहीं है।

कोयला

894. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाडीवा :
श्री चांडक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसी राज्य सरकार अथवा खनन निगम को कोयला, चाहे वह कोककर हो अथवा अकोककर, निकालने के लिये अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खनिज सर्वेक्षण

895. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** **श्री वाडीवा :**
श्री अ० सिं० सहगल : **श्री चांडक :**
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है जिसमें भारतीय खान ब्यरो तथा भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग से कुछ खनिज सर्वेक्षणों सम्बन्धी 1965–66 के चालू कार्यक्रम में जांच पड़ताल आरम्भ करने के लिये कहा गया है ; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने प्रार्थना स्वीकार कर ली है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, महोदय।

(ख) भारतीय भौमिकी विभाग के 1965–66 के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्भावत सिंहपुर जिले का प्रारम्भिक खनिज निर्धारण तथा रायगढ़ जिले का क्रमबद्ध भौमिकी मानचित्रण तथा खनिज निर्धारण शामिल है।

भारतीय भौमिकी विभाग की चौथी पंच वर्षीय योजना में पट्टे पर नहीं दी हुई मैंगनीज़ पट्टी के पूर्वेक्षण होने की सम्भावना है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये अन्वेषणों के अन्य प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

रायगढ़ में शैल-समूह

896. **श्री अ० सिं० सहगल :** **श्री वाडीवा :**
श्री विद्याचरण शुक्ल : **श्री चांडक :**
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के रांची पठार में पाये जाने वाले शैल-समूह के साथ साथ ही मध्य प्रदेश राज्य के रायगढ़ जिले में शैल-समूह बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रायगढ़ जिले में इस कार्य के लिये वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, महोदय।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने प्रार्थना की थी कि जो हवाई सर्वेक्षण होने का प्रस्ताव है उसमें रायगढ़ जिले के कुछ भागों को सम्मिलित किया जावे। लगभग 1,000 वर्ग किलोमीटर जशपुरनगर के रायगढ़ जिले का क्षेत्र हवाई सर्वेक्षण के कार्यक्रम में सम्मिलित होगा।

रेलवे पोत संगठन

897. **श्री अ० प्र० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोकामेह में राजेन्द्र पुल के निर्माण, फरक्क बांध के शेष निर्माण कार्य के पूरा होने और पाण्डू में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर पोत संगठन के बन्द होने के परिणामस्वरूप पूर्व, पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलों द्वारा चलाये जा रहे पोत संगठन का क्या भविष्य होगा ;

(ख) क्या इस बारे में कोई योजना अथवा कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि पोत संगठन बन्द कर दिया गया तो पोत कर्मचारियों को कैसे नौकरी पर लगाया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) मोकामा और पाण्डू में घाट उतराई व्यवस्था खत्म कर दी गयी है। मोकामा में चलने वाले जलयानों को कर्मचारियों सहित फ़रक्का भेज दिया गया है। पाण्डू के मैरीन कर्मचारियों में लगभग 50% कमी कर दी गयी और ब्रह्मपुत्र पुल का काम पूरा हो जाने के बाद उन्हें रेलवे में दूसरे कामों पर लगा दिया गया। फरक्का में बड़ी लाइन के माल डिब्बों की उतराई व्यवस्था बढ़ाने का निश्चय किया गया है। इस काम पर लगभग 200 कर्मचारियों और 50 प्रतिशत जलयानों को लगाये जाने की भी संभावना है। पाण्डू के बाकी जलयानों और उनको चलाने वाले कुछ कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर वहीं रखा जा रहा है ताकि किसी भी समय ज़रूरत आ पड़ने पर उनसे काम लिया जा सके। इन रेलों पर दूसरी सेवाओं और मोकामा के मैरीन कारखानों में पूरे कर्मचारी काम कर रहे हैं और ये कर्मचारी कुछ और वर्षों तक वहां काम करते रहेंगे।

(ख) जैसा कि ऊपर मद (क) में बताया गया है मैरीन संगठन कुछ वर्ष और काम करता रहेगा।

(ग) निकट भविष्य में मैरीन संगठन के बंद होने की कोई संभावना नहीं है। यदि घाट उतराई व्यवस्था में कोई कमी होगी तो वर्तमान हिदायतों के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों को रेलवे में दूसरे कामों पर लगा लिया जायेगा।

रेल की पटरी के निकट गिराया गया बम

898. **श्री कृष्णपाल सिंह :**

श्री राम हरख यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जून, 1965 को अथवा उसके आस-पास लखनऊ और रायबरेली के बीच रेल की पटरी के निकट भारी बम गिराया गया ;

(ख) क्या कोई जांच की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क), (ख) और (ग): इस घटना के बारे में अब तक की जांच से पता लगा है कि 22-6-1965 को टांडा ग्राम रक्षा समिति के कुछ सदस्यों ने गंगागंज के रेलवे प्राधिकारियों को सूचित किया था कि उन्होंने रेल-पथ के पास आसमान से किसी लाल वस्तु को गिरते हुए देखा था। रायबरेली कोतवाली की पुलिस घटनास्थल के लिए फौरन चल पड़ी और जिलाधीश को भी सूचित कर दिया। पुलिस और सेना के प्राधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं।

राजेन्द्र पुल

899. **श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोकामेह घाट पर गंगा नदी के रुख से यह पता चलता है कि मुख्य धारा गत तीन वर्ष से धीरे-धीरे उत्तरी किनारे की ओर खिसक रही है और 1964-65 में कम पानी वाले मौसम में स्तम्भ संख्या 7 तक राजेन्द्र पुल के नीचे मिट्टी जमा हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बाढ़ के निकट नदी के तल को साफ करके तथा मोकामेह घाट से आगे बहाव के लिए दक्षिणी धारा को खोलने की कोई योजना है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 1961 की बाढ़ के बाद से गंगा नदी की धारा में कुछ परिवर्तन देखे गये हैं। नदी धीरे-धीरे उत्तरी किनारे की ओर खिसक रही है और जाड़े के दिनों में इसकी मुख्य धारा स्पैन नं० 2 से स्पैन नं० 10 के बीच बहती है। पुल के उत्तरी पहुच-मार्ग के बचाव और

नदी की मुख्य धारा को मोड़ कर ठीक पुल के नीचे से ले जाने के उद्देश्य मात्र से पुल के उत्तरी सिरे पर एक 6,600 फुट लम्बा निर्देशक बंध बना हुआ है। 1964–65 में कम पानी वाले मौसम में यह देखा गया कि पुल के नीचे प्रायः गाद जमा नहीं हुई थी।

(ख) नदी के तल से गाद निकालने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि पुल के नीचे गाद जमा नहीं है।

पूर्व तथा पूर्वोत्तर रेलों का नौ (मैरीन) संगठन

900. **श्री अ० प्र० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व तथा पूर्वोत्तर रेलों के नौ (मैरीन) संगठन में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ख) इस विभाग में कुल कितने कर्मचारियों को रखा गया है; और

(ग) इस पर प्रति वर्ष कुल कितना व्यय किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सूचना मंगायी जा रही है।

(ख) इस समय निम्नलिखित रेलों पर कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

पूर्व रेलवे	2,810
पूर्वोत्तर रेलवे	1,219

(ग) सूचना मंगायी जा रही है।

रेलवे "स्लीपर"

901. **श्री अब्दुल गनी गोनी :**
श्री समनानी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार तथा रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों के बीच राज्य के वन विभाग द्वारा रेलों को दिये गये स्लीपरों के मूल्य में वृद्धि करने के बारे में समझौता हो गया है ; और

(ख) क्या रेलवे बोर्ड जम्मू तथा काश्मीर वन विभाग द्वारा रेलों को दिये गये स्लीपरों के मूल्य में भी उतनी ही वृद्धि करने के बारे में विचार कर रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ): (क) रेलवे बोर्ड इससे सहमत हो गया है कि वन विभाग के केन्द्रीय बोर्ड की तदर्थ समिति, जिसकी बैठक इस वर्ष हुई थी, की सिफारिशों के अनुसार, स्लीपर सप्लाई करने वाले विभिन्न राज्यों को बढ़ी हुई दर पर कीमतों का भुगतान किया जाय।

(ख) जी हां।

Railway Accident at Charbagh Station

902. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Kindar Lal :**
Dr. Mahadeva Prasad : Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that eight persons were injured in an accident to the Dehra Dun Express at Charbagh Railway Station , Lucknow on the evening of the 27th June, 1965 ; and

(b) if so, the causes of the accident and the extent of damage to Railway Property ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The accident occurred on 26th June, 1965 at Lucknow station. Seven Passengers of Howrah-Dehra Dun Express sustained minor injuries.

(b) The cause of accident is under investigation. There was no damage to railway property.

निम्बुघास तेल का निर्यात

903. **श्री मणियंगाडन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम किसानों से निम्बूघास तेल खरीद रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस निम्नतम मूल्य पर खरीदा जाता है ;

(ग) इस वर्ष कितना तेल खरीदा गया तथा पिछले दो वर्षों में कितना खरीदा गया ;

(घ) क्या कोई गैर-सरकारी व्यापारी या निर्यातकर्ता सीधे निम्बूघास तेल खरीद सकता है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) निम्बुघास तेल की खरीद तथा निर्यात के लिये राज्य व्यापार निगम की क्रमश: कौन सी एजेन्सियां हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) चालू फसल में उत्पादकों को दिया जाने वाला मूल्य कम से कम 78 प्र० श० निम्बू अंश वाले निम्बूघास तेल के लिये रु० 10.50 प्रति किलो और 82 प्र० श० निम्बू अंश वाले तेल के लिये रु० 11.00 निश्चित किया गया है।

(ग) चालू मौसम के लिये प्राप्ति का कार्य 7 जून 1965 से शुरू किया गया और 31 जुलाई 1965 तक राज्य व्यापार निगम ने लगभग 611 किलो प्राप्त कर लिया। 1963–64 और 1964–65 में प्राप्त किये गये निम्बूघास तेल का परिणाम क्रमश: लगभग 906 मी० टन और 733 मी० टन था।

(घ) उत्पादकों से निम्बूघास तेल खरीदने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) राज्य व्यापार निगम के लेखे पर निम्बूघास के तेल की खरीद और निर्यात राज्य व्यापार निगम का दायित्व है। तेल की खरीद राज्य व्यापार निगम अपने 12 भण्डारों की मार्फत करता है जो केरल राज्य के निम्बूघास उत्पादक क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। ये भण्डार राज्य व्यापार निगम के एक कर्मचारी के अधीन हैं और 3 अथवा 4 भण्डारों के निरीक्षण के लिये निगम का एक निरीक्षक रहता। विभिन्न मुफस्सिल भण्डारों में माल रखने, इन भण्डारों से कोचीन के केन्द्रीय भण्डार में माल पहुचाने और एगमार्क लगाने, पीपों में भरने आदि के कुछ कार्य निगम द्वारा नियुक्त किये गये कुछ ऐसे एजेण्ट करते हैं जो पहले निम्बूघास तेल का ही काम करते थे। इस कार्य के लिये उन्हें वास्तविक खर्च तथा नाम मात्र को कुछ कमीशन दिया जाता है।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है रुपया भुगतान क्षेत्रों को माल भेजने की अनुमति प्रत्येक पार्टी को दे दी जाती है। इसके लिये केवल यह शर्त होती है कि निर्यात मूल्य की स्वीकृति राज्य व्यापार निगम से ले ली गई हो और माल भी निगम के स्टाक में से लिया जाय। जिन क्षेत्रों में रुपये में भुगतान नहीं होता वहां माल भेजने का काम राज्य व्यापार निगम के साथ की गई एक विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत बम्बई की एक फर्म को सौंप दिया गया है।

चीनी का निर्यात

904. **श्री व० वा० गांधी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के निर्यात को बढ़ाने के आवश्यक उपायों की जांच करने तथा सरकारी क्षेत्र में चीनी के कारखाने स्थापित करने की सम्भावना पर विचार करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चीनी मिल संस्था को इस समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है ; और

(ग) क्या सरकार को निर्यात करने के अपने प्रयत्नों में चीनी उद्योग से प्रोत्साहन मिलता रहा है, और यदि नहीं, तो किस प्रकार की कठिनाइयां है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) निर्यात कार्यों के लिये चीनी उत्पादन के विकास से सम्बद्ध समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति वर्तमान औद्योगिक कारखानों में अथवा पूर्णत: ऐसे नये कारखानों में नवीन क्षमता स्थापित करने के बारे में विचार करेगी जो कि निर्यात की दृष्टि से उपयुक्त स्थान पर स्थित होने की विशिष्ट सुविधा युक्त होंगे।

(ख) भारतीय चीनी मिल संस्था को इस समय इस समिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। किन्तु चीनी उद्योग के एक अथवा दो प्रतिनिधियों को इस समिति में सम्मिलित करने के लिये निर्णय कर लिया गया है।

(ग) चीनी के निर्यात सम्बर्द्धन में चीनी उद्योग अपना सहयोग प्रदान कर रहा है।

आम का निर्यात

905. **श्री दे० जी० नायक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि आम के निर्यात की संभावना का अध्ययन करने के लिए एक व्यापार शिष्टमंडल ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी भेजा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल में कौन-कौन व्यक्ति हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों को अगले साल के शुरू में एक ऐसा शिष्टमण्डल भेजे जाने की वांछनीयता पर भारत के राज्य व्यापार निगम की सलाह लेते हुए विचार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव अभी छानबीन की अवस्था में ही है।

Construction Allowance to Railway Staff

906. **Shri Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishan Pattnayak :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway employees working in the Farakka Project are granted project allowance like other employees working on that project ; and

(b) if not, the reasons thereof.

Minister of state in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a)& (b). No Railway staff are engaged in the construction of Farakka Barrage project The question of grant of construction allowance, therefore, does not arise.

रेशम उद्योग

907. **श्री बासप्पा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अब भी रेशम उद्योग के विकास के लिए विदेशी बीजों पर निर्भर करता है; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 21,000 औंस प्रतिवर्ष ।

रेशम कोट पालन उद्योग का विकास

908. **श्री बासप्पा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में रेशम कोट पालन उद्योग के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित धन राशि में से कितनी राशि खर्च नहीं की गयी ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4661-65]**

(ख) निधि का कम उपयोग किये जाने के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) भूमि के अधिग्रहण और भवन निर्माण में देरी होना ;

(2) राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं पर स्वीकृति दिये जाने में प्रशासनिक विलंब होना ;

(3) तृतीय योजना काल के द्वितीय वर्ष में आपतकाल की घोषणा होने के परिणामस्वरूप रेशम कीट पालन उद्योग के लिये किये गये आवंटनों में कमी हो जाना, और

(4) रेशम उत्पादन करने वाले विभिन्न राज्यों में प्रतिकूल मौसम रहना।

एवरेस्ट पर्वतारोहियों के लिये निःशुल्क रेल यात्रा

909. **श्री बासप्पा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एवरेस्ट अभियान के विजयी दल के सदस्यों को रेल के पहले दर्जे में यात्रा करने के लिये निःशुल्क पास दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और ये पास कितने समय के लिये दिये गए हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) : रेल-प्रशासनों को हिदायत दी गयी है कि अभियान के 20 सदस्यों को पहले दर्जे का मानार्थ पास दें जिससे 1965 में एक महीने की अवधि के अन्दर किसी स्टेशन से किसी स्टेशन तक जाया जा सके। यह पास उस प्रमाण-पत्र को दिखाने पर जारी किया जायेगा, जो प्रत्येक सदस्य को दिया गया है।

हसन-मंगलौर रेलवे लाइन

910. **श्री बासप्पा :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हसन-मंगलौर रेलवे लाइन पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस लाइन को बड़ी लाइन न बना कर मीटर गज़ लाइन क्यों बनाया जा रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (डा० शाम नाथ): (क) इस लाइन पर 23.74 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

(ख) इस लाइन को बनाने के सम्बन्ध में प्रगति का कार्यक्रम इस तरह तैयार किया जा रहा है ताकि इसका निर्माण-कार्य मंगलूर बन्दरगाह की मुख्य परियोजना पूरी होने के साथ ही समाप्त हो।

(ग) इस लाइन पर मुख्यतः मंगलूर बन्दरगाह होकर निर्यात किये जाने वाले खनिज लोहे के यातायात की सम्भावना है। जिन क्षेत्रों से खनिज लोहा आयेगा वहां इस समय केवल मीटर लाइन है। स्वभावतया खनिज लोहे के बडे पैमाने पर यानान्तरण से बचने के लिए यह आवश्यक है कि मंगलूर-हसन रेलवे लाईन को मीटर लाईन के आमान का बनाया जाय। फिर भी, पुलों के निचले ढांच, सुरंगों की रूपरेखाएं और साथ ही बड़े पुलों के लिए गर्डरों की व्यवस्था बड़ी लाईन मानक के अनुसार की जा रही है ताकि यदि बाद में आवश्यकता पड़ी तो इस लाईन को आसानी से बड़ी लाइन में बदला जा सकेगा।

भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

911. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **इस्पात और खनन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कनाडा सरकार के साथ भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के लिए खुदाई के काम में आने वाले उपकरणों के खरीदने के बारे में एक समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) अभी तक इस प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है। तथापि, बात चीत चल रही है।

(ख) अनुमान है कि बातचीत द्वारा भारतीय भौमिकी विभाग तथा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अन्वेषण कार्य के लिए कुछ आवश्यक उपकरण मंगाये जायेंगे ; कनेडा के विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की जायेंगी तथा कनेडा में भारतीय भौमिकी विज्ञों का प्रशिक्षण होगा।

हिमाचल प्रदेश के उद्योग

912. **श्री जं० ब० सिं० विष्ट** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जून में शिमला के अपने दौरे में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के कारखाने, कागज की लुगदी बनाने के कारखाने और अन्य औद्योगिक एकक स्थापित करने के संबंध में घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इन एककों में कितनी राशि लगाई जायेगी; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार इस प्रकार की योजनाओं पर विचार कर रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) तथा (ख) : जी नहीं, लेकिन इस विषय पर हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ कुछ विचार-विमर्श हुआ था। अभी इतनी जल्दी इन सुझावों के बारे में विस्तार से बताना सम्भव नही है।

(ग) चौथी योजना के दौरान सरकार पहाड़ी इलाकों के विकास के बारे में विशेष रूप से ध्यान दे रही है।

राजस्थान में संगमरमर

913. **श्री राम हरख यादव :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के सिरोही जिले में अलम कोटि का संगमरमर विविध रंगों में पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) इन निक्षेपों की मात्रा कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, महोदय ।

(ख) भौमिकी रूप से यह उच्चतम सर्वजातीय ोलोमाइट है जो कुछ मामूली तत्वों तथा वैरूप्य के कारण एक आकर्षक रंग का प्रतिरूप पा गया है।

(ग) संचयों के परिमाण का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है।

Incident at Bhatinda Station

914. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 30th June, 1965 a Constable of the Railway Protection Force opened fire on some workers at Bhatinda Station resulting in the death of one Khallasi and injuries to several others ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken against the Constable ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). Two armed Rakshaks of Railway Protection Force were detailed for cash escort duty with the cashier, who arrived at Bhatinda on the morning of 30th June, 1965 and were scheduled to leave by another train the same day at 14-20 hrs. The cashier, after making payment in the Kachery, returned to the Railway Station at about 12-45 hours to make payment to the Carriage & Wagon staff. The staff did not agree to take payment in the train compartment and insisted that the cashier should make payment in the cash office. Since the time was short at the disposal of the cashier and he also did not possess the key of the cash office, he could not agree to the suggestion. The staff became very rowdy and turbulent, posing danger to Govt. cash and the cash party. In the commotion that followed, it is reported that one of the muskets of the armed guard went off accidentally, resulting in the death of one carpenter and injury to another. The Government Railway Police Bhatinda has registered a case which is still under investigation.

Theft of Goods at Agra Station

915. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on or about the 15th June, 1965, some railway employees of Agra Station had stolen iron and steelware worth nearly Rupees four lakhs from a goods train;

(b) whether any enquiry has been made into the matter; and

(c) if so, the outcome thereof ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No. But on 15th June, 1965, some Guards and Brakesmen of Agra Station were arrested by Government Railway Police, Delhi, in connection with changing of labels and fraudulent diversion of wagons containing iron and steel materials during 1964.

(b) and (c). 6 cases have been registered by Government Railway Police, Delhi under Sections 420/468/471 I.P.C. and are still under investigation.

Cotton & Spinning Mills in Assam & Manipur

916. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a study team was deputed by Government to explore the possibilities of setting up Cotton Spinning Mills in Assam and Manipur States;

(b) if so, the main outlines of the report submitted by the team; and

(c) the names of places where studies were undertaken by the team?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) to (c). Government deputed a survey team of the experts of Textile Commissioner's Office for exploring the possibility of setting up cotton spinning mills in Manipur and Assam in the public sector. The survey team visited Imphal in Manipur and Gauhati and Shillong in Assam ; and has submitted a preliminary report. Certain further investigations have been ordered. The outlines of the scheme will become clear only when those investigations have been completed.

रूई का आयात

917. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जुलाई, 1965 तक कितनी रूई का आयात किया गया है;

(ख) 1965–66 में कितनी रूई का आयात होने का अनुमान है; और

(ग) इस आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० वी० रामस्वामी) : (क) 7,12,000 गांठ (सितम्बर, 1964 अर्थात् रूई वर्ष के आरम्भ से मई 1965 तक)।

(ख) 8 से 9 लाख गांठ।

(ग) प्राय: 47 करोड़ रु० (पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात होने वाली रूई का मूल्य इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसका भुगतान रुपयों में होता है)।

पटसन का आयात

918. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में थाईलैण्ड, पाकिस्तान और अन्य देशों से भारतीय जूट मिलों में खपत के लिए कितनी मात्रा में पटसन का आयात किया गया और 1965–66 में कितना पटसन आयात किया जायगा ; और

(ख) इस के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख) : कच्चे जूट/पाट जिनमें कतरनें भी सम्मिलित हैं, का पाकिस्तान और थाईलैण्ड से वास्तविक आयात जो कि (जुलाई 1964 से मई 1965 तक) जट वर्ष 1964–65 (जुलाई से जून) के 11 महीनों में किया गया, इस प्रकार है :–

वर्ष	देश	परिमाण	मूल्य
		000 गांठें	करोड़ रु० में
1964–65	1. पाकिस्तान	467.00	8.84
	2. थाईलैण्ड	50.00	0.98
	योग	525.00	9.82

जूट वर्ष 1965–66 (जुलाई, 1965 से जून, 1966) के लिये 5 लाख गांठों कच्चे जूट/पाट/कतरनों के आयात की अनुमति दी गयी है। कुछ और अधिक आयात करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड

919. **श्री शं० ना० चतुर्वेदी :**
श्रीमती रेणुका राय :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड ने छोटे तथा माध्यमिक स्तर के उद्योगों के लिये उपयोगी आविष्कारों को प्रोत्साहन देने की एक योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ मिश्र) : (क) और (ख): आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड ने देश में गवेषण निपुणता को औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी और अन्य तकनीकी क्षेत्रों की समस्याओं पर केन्द्रित करने के लिए एक योजना तयार की है। इस योजना का उद्देश्य निम्न प्रकार है।

(1) विभिन्न उद्योगों और अन्य तकनीकी क्षेत्रों की उन समस्याओं का अनुमान करने के लिए खोज और सर्वेक्षण करना जिनके समाधान के परिणाम स्वरूप सम्बधित क्षेत्रों में उन्नति होगी।

(2) इन समस्याओं के बारे में भारतीय गवेषण को और अनुसंधान आदि करने वालों को बतलाना।

(3) समस्याओं के समाधान के लिए किए गए सुझावों की जांच तथा जहां उन्हें कार्य करने योग्य समझा जाए वहां सहायता देना।

Gorakhpur-Barabanki Broad Gauge Rail Line

920. **Shri Sarjoo Pandey :**
Dr. Mahadeva Prasad :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the scheme for laying a broad gauge railway line from Gorakhpur to Barabanki is under consideration; and

(b) if so, the time by which the scheme will be implemented and the total outlay thereon?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) and (b). The Railway Board have been considering that, in the Fourth Plan a somewhat greater programme of conversions than in the earlier Plans may have to be taken up. With this in view some studies are being carried out to assess the financial viability and resources required for conversion of certain sections. Barabanki-Gonda-Gorakhpur M. G. section of the N. E. Railway is one such section. These studies, however, are yet only of a very preliminary nature, and are still in progress. It is, therefore, premature to say at this stage whether the conversion of this section will be taken up at all, and if so when and what it is likely to cost.

निर्यात से होने वाली आय

921. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 और 1965-66 में रुपये में भगतान किये जाने वाले देशों को किए गए निर्यात से कुल कितनी आय हुई है; और

(ख) रुपये में भुगतान किए जाने वाले देशों से भिन्न देशों को कौन कौन सी मुख्य वस्तुएं निर्यात की गयी जिनसे उपरोक्त अवधि में निर्यात में वृद्धि हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) रुपया भुगतान क्षेत्र से हुए कुल निर्यात व्यापार उमार्जनों का मूल्य इस प्रकार है :—

1964-65	143.79 करोड़ रु०
1965-66 (जून 1965 के अन्त तक	37.24 करोड रु०

(ख) गैर-रुपया भुगतान क्षेत्रों जिन वस्तुओं के निर्यात में 1964-65, 1963-64 में हुए निर्यात की तुलना में वृद्धि दिखाई दी है वे ह : जूट की वस्तुएं, सूत और सूती वस्त, काजू, मैगनीज़ अयस्क, लौह-मैंगनीज और लौह-मिश्र, लौह अयस्क, रंगा और साफ किया चमड़ा और काफी।

जहां तक 1965-66 में हुए निर्यात के मूल्य का सम्बन्ध है, इसकी गणना वर्ष की समाप्ति पर ही की जा सकती है।

तूतीकोरीन में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

922. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र में मकान बनाने के लिये तूतीकोरिन शहर के दक्षिण की ओर केन्द्रीय नमक विभाग के अन्तगत बेकार पड़ी बहुत सी भूमि के एक भाग के आवंटन के बारे में तूतीकोरिन (मद्रास) में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) इस केन्द्रीय नमक भूमि का विभिन्न कार्यों के लिये आवंटन करने के संबंध में केन्द्रीय/राज्य सरकार, प्राइवेट पार्टियों तथा सहकारी समितियों ने निवेदन किया है। अपेक्षित भूमियों का निपटारा करने के प्रश्न पर विचार करते समय तूतीकोरीन के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के निवेदन को ध्यान में रखा जायेगा।

डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी

923. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में वाराणसी के डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स में कितने डीज़ल रेल इंजन बनाये गये; और

(ख) चौथी योजना में इसका अनुमानित लक्ष्य क्या होगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 18 रेल इंजन ।

(ख) प्रति वर्ष बड़ी लाइन के 150 रेल इंजन बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसकी प्राप्ति चौथी योजना में हो जाने की आशा है।

राज्य व्यापार निगम प्रतिनिधिमंडल का जापान का दौरा

924. **श्री महादेव प्रसाद :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान टैक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साथ करार करने के लिए राज्य व्यापार निगम का एक प्रतिनिधिमंडल जन के अंतिम सप्ताह में टोकियों गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) जापानी टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साथ राज्य व्यापार निगम ने 5 जुलाई, 1965 को एक संविदा पर हस्ताक्षर किय हैं जिसके अनुसार विलम्बित भुगतान की शर्तों पर 100 लाख डालर की बुनाई मशीनों का आयात किया जायेगा ।

Transistor Radios in Railway Compartments

925. **Dr. Mahadeva Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some Railways have prohibited the use of transistor radios without ear phones in the railway compartments;

(b) if so, the names of such Railways; and

(c) the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). Yes, in the Chair Cars on Air-conditioned Express trains, which run on Central, Eastern, Northern, Southern and Western Railways, passengers are not allowed to use transistor radios except with an ear-phone, so that other passengers are not disturbed.

Handicraft Centres for Railway Employees

926. **Dr. Mahadeva Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that handicraft centres have been opened at various places with a view to increasing the income of railway employees, particularly those in the low income groups ;

(b) if so, the names of places on the various Railways where these centres are functioning; and

(c) the amount of expenditure incurred on the running of these centres and the income therefrom ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) A statement is attached. **[Placed in the Library, See No. L.T. 4662/65]**

(c) Expenditure incurred by the Railways during 1964-65.	Rs. 1·6 lakhs (approximately).
Income of the families of Railway Staff working in the Handicraft Centres by fabrication of garments etc. during 1964-65.	Rs. 7·6 lakhs. (approximately).

Production of Pig Iron, Copper and Zinc

927. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact the Poland has offered assistance to India for the setting up of pig iron, copper and zinc furnaces ; and

(b) if so, the terms and conditions of the assistance ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) & (b). Poland has shown interest in the setting up of blast furnaces for the production of pig iron. The proposal will be considered after examination of the feasibility reports on blast furnace complexes for pig iron which have already been obtained and also keeping in view the fact that the Heavy Engineering Corporation is in a position to build blast furnaces.

A proposal for the development of the Agnigundala Copper prospect (Andhra Pradesh) with Polish assistance is under consideration.

A project for the setting up of a zinc smelter with a capacity of 30,000 tonnes of metal per annum based on imported zinc concentrates at Vishakapatnam will be financed under Polish credit. A contract for the preparation of the detailed project report by Messrs. Centrozap is presently under examination and is likely to be finalized very shortly.

The zinc smelter will be financed under the Polish credit Agreement, signed between the two Governments on 16th November, 1962 under which a credit of Rs. 15·5 crores was made available by Poland to India. The broad terms and conditions of the Agreement are as under :—

(a) The credit shall bear an interest of 2½% per annum, the amount of interest payable will be calculated as on 30th June and 31st December each year.

(b) The principal is repayable in 8 equal yearly instalments, the first instalment being payable on the expiry of one year after the date of invoice or other stipulated documents concerning the last lot of shipment of machinery and equipment for putting the project in question into operation.

(c) The repayments towards the principal and the payments of interest shall be credited to an Indo-Polish Credit account and the amount so tendered into this account shall be used for the purpose of purchasing Indian goods for export to Poland.

रेशम कीट पालन उद्योग का विकास

928. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 के दौरान जम्मू तथा काश्मीर राज्य में रेशम कीट पालन उद्योग के विकास की अनेकों योजनाओं पर कितना धन व्यय किया गया;

(ख) इन योजनाओं की क्रियान्विति में धीमी प्रगति के क्या कारण है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने क्या कार्यवाही की ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) 20.13 लाख रु० के नियतन में से 11.23 लाख रु०।

(ख) इन योजनाओं की क्रियान्विति में धीमी प्रगति होने के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब होना;

(2) राज्य निर्माण विभाग द्वारा इमारतें बनाने में विलम्ब किया जाना;

(3) जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा योजनाओं को स्वीकृति देने में प्रशासन सम्बन्धी विलम्ब होना; और

(4) आलोच्य वर्ष में प्रतिकल मौसम रहना।

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा की गयी कार्यवाही इस प्रकार है :—

(1) बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने लिखित रूप में, राज्य के कीट पालन उद्योग मंत्री का ध्यान, योजनाओं की क्रियान्विति में हो रही धीमी प्रगति की ओर आकृष्ट किया था।

(2) बोर्ड के उपाध्यक्ष द्वारा जम्मू और काश्मीर के संसद सदस्यों की एक विशेष बैठक 28-3-65 को बुलाई गयी, और इसमें उन्हें, रेशम कीट पालन उद्योग के विकास के लिये स्थापित कोश राज्य द्वारा बहुत ही कम उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी।

(3) बोर्ड द्वारा अभी हाल ही में अपना एक सम्पर्क कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया गया है, जिससे कि रेशम कीट पालन उद्योग सम्बन्धी योजनाओं की तीव्र गति से क्रियान्विति करवाने के लिये राज्य अधिकारियों से निकट सम्पर्क रखा जा सके।

(4) बोर्ड के प्रविधिक अधिकारी प्रगति देखने के लिये समय समय पर राज्य में जाते भी हैं।

चिक-बल्लापुर-कोलार-बंगलौर रेलवे लाइन

929. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिक–बल्लापुर–कोलार–बंगलौर छोटी रेलवे लाइन कब बिछायी गयी थी;

(ख) क्या इस बड़ी रेलवे लाइन से बदलने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और इस कार्य में कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) बंगारपेट्टै–कोलार–चिक–बल्लापुरा खण्ड को यातायात के लिए 1913 और 1916 के बीच कई चरणों में खोला गया था। चिक-बल्लापुरा–बैंगलुरू खण्ड के यातायात के लिए 1915 और 1918 के बीच कई चरणों में खोला गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

टिन प्लेट

930. **श्री रा० बरुआ** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आधान पात्रों (कन्टेनर्स) के लिए टिन प्लेटों की वर्तमान आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या यह स्थानीय उत्पादन से पूरी की जा सकती है ;

(ग) यदि नहीं तो इसे प्राप्त करने का दूसरा स्रोत कौन सा है; और

(घ) क्या सरकार का अनुमान है कि इन प्लेटों का पर्याप्त संभरण न होने से डिब्बे-बंद भोजन की कीमत बढ़ जायेगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

जहानाबाद में ट्रक और रेलगाड़ी की टक्कर

931. **श्री अ० प्र० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बागड़ी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहानाबाद (गया जिला) में बिना चौकीदार वाले एक फाटक पर 7 जुलाई, 1965 को एक ट्रक एक सवारी गाड़ी से टकरा गयी;

(ख) यदि हां, तो इससे धन-जन की कितनी क्षति ई; और

(ग) यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) यह दुर्घटना मखदूमपुर-गया और जहानाबाद स्टेशनों के बीच एक समपार पर हुई थी, जिस पर चौकीदार तैनात रहता है।

(ख) तीन व्यक्ति मारे गये। रेल-सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची।

(ग) दुर्घटना चौकीदार द्वारा समपार के फाटक को ताला लगाकर बन्द न रखने और मोटर ट्रक के ड्राइवर की असावधानी के कारण हुई।

भिलाई में कच्चा लोहा

932. **श्री टे० सुब्रह्मण्यम :**
श्री रामसेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई में कच्चा लोहा भारी मात्रा में इकट्ठा हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से ढलाई घरों को अपना कोटा पूरा नहीं मिल रहा है और वे इस की बहुत अधिक कमी महसूस कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) गत दो महीनों में भिलाई में कच्चे लोहे का ढेर लग गया था। यह लोहा पन्द्रह और तेईस हज़ार टन के बीच था जो केवल दो सप्ताह के उत्पादन के बराबर है। यद्यपि यह स्टाक सामान्य स्टाक से कुछ अधिक है, एक बड़े सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने के लिए इतना स्टाक कोई असा रण नहीं है।

(ख) और (ग) : आवंटन आदेश जारी करने तथा कुछ दिशाओं में रेल द्वारा माल ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने में कुछ देर हो गई। ये दोनों कठिनाइयां दूर कर दी गई जिसके परिणाम स्वरूप अगस्त के मध्य के लगभग स्टाक सामान्य स्तर पर आ गया। अभी हाल ही में अर्थात् 20 अगस्त, 1965 से कच्चे लोहे पर से मूल्य और वितरण नियंत्रण हटा लिए गए हैं जिससे उपलब्ध स्टाक की वितरण समस्या और आसान हो जानी चाहिए।

लौह अयस्क का निर्यात

933. **श्री टे० सुब्रह्मण्यम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1965 में लौह अयस्क के निर्यात में काफी कमी हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अवधि में होस्पेट-बेलारी क्षेत्र से खनिज लोहे के निर्यात की स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : यह ठीक है कि देश के कुछ भीतरी भागों में इस वर्ष मई और जून में अनेक कारणों से हाई स्पीड डीज़ल आयल के संभरण में अस्थायी रूप से कमी हो गई थी। मई में 13.2 लाख मी० टन का निर्यात हुआ जबकि गत वर्ष मई में 7.9 मी० लाख टन का निर्यात हुआ था। जून में डीज़ल आयल की कमी का प्रभाव मालूम पड़ने लगा और निर्यात 6.0 लाख मी० टन हुआ जबकि पिछले वर्ष की जून में 6.4 लाख मी० टन का और इस वर्ष के पिछले महीने में 13.2 लाख मी० टन का हुआ था। खानों और रेल स्टेशनों के बीच की बहुत सी सड़कों पर अब भी पुल नहीं हैं। इस लिये वर्षा से पहले के दो महीनों में सदा से न केवल सामान्य परिमाण में निर्यात करने के लिये माल ढोया जाता है बल्कि इतना अतिरिक्त माल भी रेल स्टेशनों तक ले जाया जाता है कि जिससे वर्षा के कारण सड़कों के बन्द हो जाने पर भी कुछ महीनों तक निर्यात ठीक तौर से होता रहे। इस लिये मई और जन में हुई डीज़ल आयल की अस्थायी कमी का प्रभाव केवल मई और जून में ही हुए निर्यात के आंकड़ों से ही नहीं बल्कि बाद के महीनों में होने वाले निर्यात के आंकड़ों से अधिक स्पष्ट होगा। मई और जून के शुरू में जहाजों पर लादा गया अयस्क डीज़ल आयल की कमी पड़ने से पूर्व ही खानों से रेल स्टेशनों को ले आया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन इस तथ्य से भी हो जाता है कि गोआ क्षेत्र में इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा है क्योंकि वहां मोटर ट्रकों की अपेक्षा अयस्क को नौकाओं द्वारा अधिक ढोया जाता है।

(ग) मई और जून के महीनों में ऊपर बताये गये कारणों से विवश हो कर ही बेलारी होसपेट क्षेत्रों से 3.26 लाख मी० टन से अधिक अयस्क नहीं भेजा जा सका। सुनियोजित निर्यात कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष अधिक परिमाण में अयस्क का निर्यात किया जाने वाला था। गत वर्ष मई और जून में इस क्षेत्र से 3.37 लाख मी० टन अयस्क का निर्यात किया गया था।

राजस्थान में संगमरमर

934. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में मकरंड संगमरमर खानों में खनन कार्य में कुछ सुधार किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): राजस्थान सरकार ने एक समिति बनाई है जिसमें राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि, एक विदेशी संगमरमर विशेषज्ञ जो इस समय भारत में है तथा संगमरमर खानों के पट्टाधारी सम्मिलित हैं। यह समिति इस क्षेत्र से सम्बन्धित अन्वेषण उत्पादन के विकास के ढंगों के साधनों पर का अन्वेषण और उन पर मंत्रणा देगी तथा समस्त सम्बन्धित समस्याओं की परीक्षा करेगी जैसे विद्युत शक्ति, पानी और पहुंचने की सड़क की सुविधाओं कोयला खदानों के पट्टे पर देने के छोटे से छोटे परिमाप का नियत करना कोयला निकालने और चूर्ण बनाने और ककचन विधियों का आधुनिकरण, किस्मों का स्तर निश्चय करना, ऋण के रूप में वित्तिय सहायता तथा यांत्रिक उपकरण भाड़े पर देना और परावैधिक मार्ग दर्शन करना।

पटना तथा दिल्ली के लिये गुआ (दक्षिण-पूर्व रेलवे) से सीधा डिब्बा

935. **श्री ह०चं० सोय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता जाने वाले प्रथम श्रेणी के यात्रियों की सुविधा के लिये गुआ-राजखारस्वान सवारी गाड़ी के साथ गुआ से प्रथम दर्जे की एक बोगी जोड़ी जाती है परन्तु पटना तथा दिल्ली जाने वाले यात्रियों को कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर इस स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख): इस समय हवड़ा और गुआ के बीच चलने वाली 323 अप एक्सप्रेस/413 अप सवारी और 414 डाउन सवारी/324 डाउन एक्सप्रेस गाड़ी में पहले और तीसरे दर्जे का एक मिला-जुला सीधा डिब्बा जुड़ा रहता है।

एक ओर तो गुआ तथा दूसरी ओर पटना और दिल्ली के बीच होने वाले सीधे यातायात की मात्रा इतनी नहीं है कि उससे इन स्टेशनों के बीच एक सीधा डिब्बा चलाने का औचित्य बन सके। इसके अलावा एक अतिरिक्त डिब्बे को नियमित रूप से चलाने के लिए मुख्य लाइन पर चलने वाली तेज़ सवारी गाड़ियों में इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि उनमें कोई अतिरिक्त डिब्बा जोड़ा जा सके।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास बोर्ड

936. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास बोर्ड की स्थापना से भारत को क्या लाभ पहुंचा है;

(ख) क्या यह सच है कि बोर्ड निष्क्रिय सा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जेनेवा में मार्च/जून, 1964 में हुए संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा उद्योग सम्मेलन में की गयी सिफारिश के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में अपने पिछले सत्र में, सम्मेलन के स्थायी अंग के रूप में एक 55 राष्ट्रीय व्यापार और विकास बोर्ड का गठन किया। भारत, इस बोर्ड का एक सदस्य है। इस बोर्ड का प्रमुख कार्य है अपनी कार्य सीमा के भीतर रहते हुए, सम्मेलन द्वारा की गयी सिफारिशों, घोषणाओं, संकल्पों और अन्य निर्णयों को कार्यान्वित कराना, उनका पुनरविलोकन कराना तथा उसका कार्य जारी रहे इसे सुनिश्चित करना। बोर्ड के पहले सत्र में, जो कि अप्रैल, 1965 में हुआ, मुख्यतः सम्मेलन द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार साधन निश्चित किये गये, जिससे कि सम्मेलन की उन सिफारिशों को लागू करने के विषय में पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके, जो कि विकासशील देशों के व्यापार और विकास सम्बन्धी समस्याओं के विषय में की गयी है। बोर्ड का दूसरा सत्र जेनेवा में 24 अगस्त, 1965 से आरम्भ हुआ है और 14 सितम्बर, 1965 तक जारी रहने का कार्यक्रम है। इस लिये, ऐसी स्थिति में बोर्ड के निष्क्रिय हो जाने तथा व्यापार और विकास बोर्ड की स्थापना से भारत तथा अन्य विकासशील देशों को कितना लाभ हुआ है, के बारे में प्रश्न का अभी उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

बोर्ड के पहले सत्र में स्थापित वस्तु तथा निर्माण सामग्री की समितियों के पहले सत्र हो चुके हैं और उनके प्रतिवेदनो पर जेनेवा मे हो रहे बोर्ड के दूसरे सत्र में विचार किया जा रहा है। परन्तु अन्ततः यू० एन० सी० टी० ए० डी० की सफलता विकासशील देशों में सहयोग होने तथा सम्मेलन की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में विकसित देशों द्वारा किए गए वायदों पर आधारित है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Appointments in Public Sector Undertakings

937. **Shri Sinhasan Singh :**
Shri Gauri Shankar Kakkar :
Shri Rameshekhar Prasad Singh :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state the number of Corporations set up so far in the public sector and the number of I. C. S. and I. A.S. officers and also retired officers who have been appointed as their Managing Directors and Chairmen ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : Number of Public Sector Undertakings set up so far is 72. The number of I. C. S., I. A. S. and Retired Officers appointed as their Chairmen and Managing Directors/General Managers is indicated below :—

	Chairman	Managing Director/ General Manager/ Executive Director.
I.C.S.	17	1
I.A.S.	5	6
Retired Officers	10	6

रेलवे अधिकारी

939. **श्री सिंहासन सिंह :**
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में 1952 में तथा मार्च, 1965 में सेवा कर रहे प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की संख्या क्या थी;

(ख) उपरोक्त अवसरों पर भारतीय रेलों में सेवा कर रहे तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या क्या थी; और

(ग) ऐसे प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की संख्या क्या है जो सेवा निवृत्त होने की आयु पार कर चुकने के बाद भी अभी नौकरी में है तथा ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है जो सेवा-निवृत्त होने के बाद पुनर्नियुक्त किये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क)

1952		मार्च, 1965	
पहले दर्जे के	दूसरे दर्जे के	पहले दर्जे के	दूसरे दर्जे के
1,342*	950	3,189*	2,516

*इसमें अस्थायी अफ़सर भी शामिल हैं।

(ख)

1952		मार्च, 1965	
तीसरे दर्जे के	चौथे दर्जे के	तीसरे दर्जे के	चौथ दर्जे के
2,89,215	6,31,694@	5,32,788	7,97.987@

@इसमें अनियत मज़दूर (Casual labour) भी शामिल हैं।

(ग) अपनी अधिवर्षता आयु पर पहुंच जाने के बाद भी नौकरी कर रहे अफ़सरों की संख्या		सेवानिवृत्त होने के बाद पुनर्नियुक्त अफ़सरों की संख्या	
पहल दर्जे के	दूसरे दर्जे के	पहले दर्जे के	दूसरे दर्जे के
26†	27†	6	2

(†) इसमें भूतपूर्व कम्पनी और भूतपूर्व रियासती रेलवे के वे अफ़सर भी शामिल हैं जो विलयन से पूर्व वाली नौकरी की शर्तों और प्रतिबंधों से शासित होते हैं और जिनके सम्बन्ध में अधिवर्षता आयु 55 वर्ष है।

भारी इंजीनियरी निगम रांची

940. **श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या **उद्योग** तथा **सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची स्थित भारी इंजीनियरी निगम के उच्च पदाधिकारियों के रहने के लिए क्वार्टर बड़ी संख्या में खाली पड़ हैं क्योंकि निगम में वे पदाधिकारी नहीं हैं जिनके लिये ये क्वाटर बनाए गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने क्वार्टर तथा कितने समय से खाली पड़े हैं; और

(ग) इन क्वार्टरों के निर्माण पर कितना व्यय हुआ है और क्या गलत योजना तथा आवश्यकता का गलत अनुमान लगाने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभधेन्द्र मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

संश्लिष्ट तन्तु (सिंथेटिक फैब्रिक्स) का उत्पादन

941. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसार में संश्लिष्ट तन्तुओं का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा 5.57 लाख टन बढ़ गया है और इससे एक प्रकार से सामान्य तन्तु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन के इस क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है; और

(ग) क्या सन और पटसन जैसे प्राकृतिक तन्तु के निर्यात पर इसका असर पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) 1963 में संसार में मानव निर्मित रेशों का उत्पादन 43.94 लाख टन था। अनुमान है कि 1964 में यह बढ़ कर 49.50 लाख टन हो गया जोकि गत वर्ष के उत्पादन से 5.56 लाख टन अधिक है।

(ख) भारत में 1961 से 1964 तक की अवधि में मानव निर्मित रेशों का उत्पादन इस प्रकार हुआ है :—

वर्ष	उत्पादन (हजार मीट्रिक टनों में)
1961	49.6
1962	60.2
1963	66.0
1964	75.1

(ग) जी, नहीं। कुछ नकली बदल निकल आने की सूचना मिलने के बावजूद भी गत वर्ष भारत से हुए जूट तथा सन के माल के निर्यात में उससे पहले वर्ष की अपेक्षा 11.58 करोड़ रु० की वृद्धि हुई है।

हिन्दुमलकोट-हनुमानगढ़ रेलवे लाइन

942. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **रेल्वे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के हिन्दूमलकोट तथा हनुमानगढ़ स्टेशनों के बीच बड़ी लाइन के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : हिन्दूमलकोट और हनुमानगढ़ के बीच बड़ी रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शायद माननीय सदस्य का आशय हिन्दूमलकोट-श्रीगंगानगर रेल-सम्पर्क के निर्माण से है। हिन्दूमलकोट और श्रीगंगानगर के बीच बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में एक बयान नत्थी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–4695/65**]

भू-समावृत्त (लैण्ड लोक्ड) देशों के बीच पारगमन (ट्रांजिट) व्यापार सम्बन्धी सम्मेलन

943. **श्री सोलंकी :** **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री प्र० के० देव : **श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने भू-समावृत्त देशों के बीच पारगमन व्यापार सम्बन्धी 58 राष्ट्रों के सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) सम्मेलन में क्या निर्णय किय गये; और

(ग) क्या भारत ने सम्मेलन में तैयार किये गय अभिसमय पर हस्ताक्षर किये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में भू-समावृत्त देशों से पारगमन व्यापार करने के लिये एक परम्परा तथा उससे सम्बद्ध दो संकल्प स्वीकृत किये गये हैं।

(ग) अभी नहीं।

'कोल बेनिफिकेशन प्लान्ट'

944. **श्री सोलंकी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने कोयले के उत्पादन का वैज्ञानिकीकरण करने के लिये पश्चिम जर्मनी से एक नया कोल 'बेनिफिकेशन प्लांट' प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र से किन किन कोयला खानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा ;

(ग) इस संयंत्र को चलाकर वैज्ञानिकीकरण करने से कितनी बचत होगी ; और

(घ) संयंत्र कब से चालू होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) अभिशोधन प्लांट कोयले में राख की मात्रा को कम करने के लिये उसे धोने में काम आता है। यह प्लांट कोयला उत्पादन के वैज्ञानीकरण में काम नहीं आते हैं।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम नें कारगली कोयला धावनशाला के विकास के लिये पश्चिमी जर्मनी से कुछ उपकरण मंगाये थे। इसी प्रकार के कुछ उपकरण सवांग कोयला धावनशाला के लिय मंगवाने का प्रताव है।

(ख) विकास के बाद कारगली धावनशाला कारगली बोकारो तथा झिलकारी कोयला खानों के लिये कोयला धोयेगी। सवांग धावनशाला अपने ही नाम की खान के कोयले को साधन बनायेगी।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि, उत्पादन का वैज्ञानीकरण संनिहित नहीं है।

(घ) जनवरी से मार्च 1966 के दौरान कारगली विकास प्लांट की चालन परीक्षाएं होने की आशा है। सवांग कोयला धावनशाला 1968 में चालू होगी।

नमक का निर्यात

945. **श्री सोलंकी]:**　　　　**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री प्र० के० देव :　　　　**महाराजकुमार विजय आनन्द :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नमक की बिक्री के लिये बाजार की खोज करने के हेतु सरकार राज्य व्यापार निगम के समर्थन से एक प्रतिनिधिमंडल ब्राज़ील तथा नाइजीरिया जैसे देशों में भेजने को सहमत हो गई थी;

(ख) क्या इस बीच प्रतिनिधिमंडल इन देशों में गया; और

(ग) यदि हां, तो उसके वहां जाने के परिणाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) भारतीय नमक के लिये बाजार खोजने के उद्देश्य से सरकार ने राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रायोजित एक शिष्ठमण्डल ब्रजील भेजना स्वीकार कर लिया है। नाइजोरिया को एसा शिष्ठमण्डल भजने का कोई निश्चय नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने वाले रेलवे अधिकारी

946. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी काम पर सैलून से यात्रा करने के हकदार रेलवे अधिकारी प्राय: उपयुक्त डाक अथवा एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में अपने स्थान बुक करा लेते हैं और साथ-साथ यात्री गाड़ियों के साथ लगाये जाने वाले सैलून भी बुक करवा लेते हैं जब कि वह प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करते हैं और सैलून या तो खाली जाते हैं या उनमें उनका सामान तथा कर्मचारी जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रेलवे खण्डों पर 1962-63, 1963-64 तथा 1964-65 में उसी यात्रा अथवा प्रयोजन के लिये एक साथ सैलून तथा प्रथम श्रेणी के डिब्बों में स्थान बुक कराने के मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) इस कारण रेलवे को अनुमानत: कुल कितनी वार्षिक हानि होती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) :

विवरण

(क) यह सच नहीं है कि ड्यूटी के दौरान निरीक्षण डिब्बों में यात्रा करने के हकदार रेलवे अधिकारी आमतौर पर डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के पहले दर्जे में अपने लिए स्थान बुक करा लेते हैं और साथ ही अपने निरीक्षण डिब्बों को सवारी गाड़ियों के साथ लगवा लेते हैं जो या तो खाली चलते हैं या उनमें उनका सामान और कर्मचारी जाते हैं।

ऐसा बहुत कम अवसरों पर होता है, जबकि सम्बन्धित अफसर को बिना समय खोये किसी विशेष स्थान पर पहुंचने के लिए तेज़ गाड़ी से जाना पड़ता है। ऐसा निम्नलिखित परिस्थितियों में करना पडता है :—

(1) जब कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई दूसरी आपाती स्थिति आ जाती है और किसी अफसर को बिना समय खोये तुरंत घटनास्थल पर पहुंचना होता है और तेज़ गाड़ियों के साथ निरीक्षण डिब्बों को लगाने पर पाबंदी होने के कारण उन्हें बाद में आने वाली धीमी गाड़ी के साथ लगाना पड़ता है। साथ ही गन्तव्य स्टेशन पर आराम घर की सुविधाएं उपलब्ध न होने पर भी ऐसा करना पड़ता है।

(2) जब अफ़सर को तेज़ गाड़ी की ही जांच करनी होती है और उपर्युक्त (1) में बताये गये कारणों से उसके निरीक्षण डिब्बे को बाद में आने वाली धीमी गाड़ी के साथ लगाना पड़ता है।

(3) जब अफसर को लाइन पर अपना काम समाप्त करने के बाद अपने कार्य-दिवस का हर्जा किये बिना प्रधान कार्यालय लौटना होता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि मण्डल स्तर तक के अफसरों के डिब्बों को साधारणतया मालगाड़ियों के साथ लगाया जाता है।

(ख) इसके आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) नुकसान का सवाल नहीं उठता।

रूरकेला में उर्वरक संयंत्र

947. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला के उर्वरक संयंत्र में पूरा उत्पादन प्राप्त करने के प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त तकनीकी समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ख) इन सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख) और (ग) : रूरकेला उर्वरक संयंत्र तकनीकी समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट जनवरी, 1965 और अन्तिम रिपोर्ट मार्च, 1965 में दी थी। समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) फिनाइल को भाप द्वारा अच्छा बनाने के लिए एक इकाई स्थापित करना,

(2) इस्पात पिघलाने वाले कारखाने की भट्टियों और इस्पात कारखाने की पुनः गर्म करने वाली भट्टियों को आयल फाईरिंग में परिवर्तित करना; और

(3) कोक भट्टी की गैस में कार्बन डाईआक्साइड का अपद्रव्यता के स्तर को ध्यान में रखते हुए कार्बन डाईआक्साइड स्क्रबर की क्षमता को दूना करना।

ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से सन्तुलन परिवर्धन के लिए प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने को कहा गया है। प्रायोजना प्रतिवेदन के शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है।

भिलाई में छटी धमन भट्टी

948. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई में छटी धमन भट्टी के लिये आवश्यक सामान समझौते की शर्तों के अनुसार समय पर सप्लाई किया गया है;

(ख) इस की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) स्थापना कार्य कब तक पुरा हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) भिलाई में छटी धमन भट्टी के लिए सोवियत संघ से उपकरण मंगवाने के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लि० ने 3 अगस्त, 1965 को जाजप्रोमएक्सपोर्ट के साथ एक करार किया है। हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन द्वारा उपकरणों की सप्लाई का ठेका देने के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लि० हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन से बातचीत कर रहा है। 1960 की दूसरी तिमाही से सोवियत संघ से उपकरण प्राप्त होने आरम्भ हो जायेंगे।

(ख) और (ग) : प्रायोजना से सम्बद्ध प्राथमिक सिविल इंजीनियरी काम हाल ही में आरम्भ किया जा चुका है। धमन भट्टी के 1967 के अन्त तक चालू होने की संभावना है।

आन्ध्र प्रदेश में हीरों के निक्षेप

949. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर जिलें में हीरों के निक्षेप हैं;

(ख) क्या सरकार इन निक्षेपों से लाभ उठाना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य से कोई योजना तैयार की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 1961–63 वर्षों के दौरान में भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा अनन्तपुर जिले में हीरों के विस्तृत अन्वेषण का कार्य किया गया जिस में बड़े पैमाने पर मानचित्रण, गढ़े तथा खाईयाँ खोदना, तथा न्यायदर्श करना शामिल थे और बाजरा क्रम क्षेत्र में भूभौतिकी सर्वेक्षण किये गये हैं। चार नलिकार्य के नमूने दिये गये हैं जिसमें से एक 265 मीटरी टन चट्टान पदार्थ में बिना सफलता के हीरों की खोज की गयी।

(ख) नहीं महाशय।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Hindi Code for Railway Telegrams

950. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the date when the work for evolving a parallel Hindi Code used for transmitting railway telegrams was undertaken;

(b) the reason for delay in completing this work and the time by which it is expected to be completed; and

(c) to which Department this work has been entrusted ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c) : Presumably, the Hon'ble member is referring to the Hindi rendering of the Railway Telegraph Code. This Code was sent to the Central Hindi Directorate (Ministry of Education) for Hindi rendering in 1963. The non-technical portion of the Code has been translated by that Directorate. The work of evolving parallel Hindi codes for transmitting Railway telegrams will be taken in hand shortly, and efforts will be made to complete the work early.

Parcels Bearing Hindi Addresses

951. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at certain Railway stations, railway employees hesitate or refuse to accept parcels bearing addresses in Hindi;

(b) if so, whether Government have issued any clear orders to the staff concerned in this behalf ; and

(c) whether any action has been taken against such employees ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c): Regarding marking of parcels by consignors, Rule 705(1)(a) of I.R.C.A. Coaching Tariff No. 18—Part I provides as under :—

> "All parcels tendered for despatch must in all cases be fully and clearly addressed in English showing the name of the consignee, his full address, station of destination and Railway ."

No instructions have yet been issued to Railway Administrations regarding acceptance of parcels bearing addresses in Hindi, but parcels addressed in Hindi are generally accepted. No instances of staff having refused to accept parcels bearing addresses in Hindi have come to notice.

The policy issue as regards booking of parcels bearing addresses in Hindi is under consideration.

सिकन्दराबाद का गांधी अस्पताल

952. **श्री लक्ष्मी दास :**
श्री कोल्ला वेंकेया :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह मांग की है कि सिकन्दराबाद के गांधी अस्पताल को रेलवे प्रशासन अपने हाथ में ले ले; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

इस्पात पुनर्वेलन उद्योग

953. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात पुनर्वेलन उद्योग के घाटे वाले एककों के बारे में विचार करन के लिए एक तकनीकी समिति नियुक्त की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निर्देश पद क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उद्योग के छोटे एककों का कोई भी प्रतिनिधि समिती में शामिल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) छोटें एककों का कम से कम एक प्रतिनिधि समिति में शामिल करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): भारत सरकार के संकल्प संख्या इंण्ड-3 (24)/64 दिनांक 7 अप्रैल 1965 की एक प्रति संलग्न है जिसमें समिति के गठन और इसके निर्देश-पद के बारे में बताया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या/एल०टी०**-4663/65]

(ग) से (ड.) : समिति के गठन का किसी हितों अथवा ग्रुपो से सम्बन्ध नही है अतः छोटे पुनर्वेलन उद्योग अथवा किसी दूसरें का प्रतिनिधि शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो तीन सदस्य नियुक्त किए गए है वे ऐसे व्यक्ति है जिनका इस्पात पुनर्वेलन उद्योग में व्यापक अनुभव है और वे इसी हैसियत में कार्य करेंगे।

दातेवाड़ा-भद्राचलम लाइन का सर्वेक्षण

954. **श्री कोल्ला वेंकेया :**
श्री म०ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **रेलवे** मंत्री 19 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1286 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दांतेवाड़ा-भद्राचलम रेलवे लाइन के बारे में क्षेत्र-कार्य (फील्ड-वर्क) पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन के निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी;

(ग) इसकी अन्तिम स्थिति क्या है; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) दांतेवाड़ा-भद्राचलम् रोड लाइन का क्षेत्र-कार्य पूरा हो चुका है। कुछ वैकल्पिक मार्ग निर्धारण की छानबीन करना अभी बाकी है।

(ख) अनुमान तैयार हो जाने के बाद ही निर्माण की लागत मालूम होगी। अनुमान तैयार करने का काम हो रहा है।

(ग) सर्वेक्षण के अनुसार दान्तेवाड़ा-भद्राचलम् रोड का रेल मार्ग नकुलनार, गड्डिरास, सुकमा रोड, एर्राबोरु, कोंटा, भद्राचलम् और पलवन्चा होकर गुजरता है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

राजस्थान ऊन का निर्यात

955. **श्रीमती लक्ष्मी बाई :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में राजस्थान ऊन का निर्यात किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितनी ऊन का निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख): कई दर्शकों से राजस्थानी ऊन का निर्यात विभिन्न देशों को होता आया है। यह हमारे निर्यात की परम्परागत वस्तुओं में से एक है। चालू वर्ष में लगभग 130 लाख कि० ग्रा० या अधिक राजस्थानी उन का निर्यात होने की आशा है।

लौह अयस्क का निर्यात

956. **श्रीमती लक्ष्मी बाई :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में डीजल तेल की कमी के कारण लौह अयस्क का निर्यात काफी कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना कम हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : यह ठीक है कि इस वर्ष मई और जून में देश के कुछ भीतरी भागों में अनेक कारणों वश ट्रकों में प्रयुक्त होने वाले हाई स्पीड डीजल आयल के सम्भरण में अस्थायी कमी हो गई थी और इसका हमारे निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा। मई में 13.2 लाख मी० टन का निर्यात हुआ जबकि गत वर्ष मई में 7.9 लाख मी० टन का निर्यात हुआ था। जून में इसका प्रभाव प्रकट होने लगा और निर्यात 6.0 लाख मी० टन रह गया जब कि पिछली जुन में 6.4 लाख मी० टन और उससे भी पहले महीने में 13.2 लाख मी० टन रहा था। चूंकि देश के भीतरी क्षेत्रों की खानों से रेल स्टेशनों तक आने वाली बहुत सी सड़कों पर अब भी पुल नहीं बने हैं इसलिये वर्षा से पहले के दो महीनों में सदा से इतना अतिरिक्त माल स्टेशनों तक लाया जाता है कि न केवल वर्षा के दिनों में ही वरन उसके बाद भी कुछ महीनों तक बन्दरगाहों में निर्यात के लिये जहाजों पर लदान निर्बाध रूप से होती रहे। इसलिये इस वर्ष मई और जून में तेल की अस्थायी रूप से कमी हो जाने का प्रभाव मई और जून के महीनों के ही नहीं वरन् बाद के महीनों के निर्यात सम्बन्धी आंकड़ों को देखकर ज्ञात होगा। मई और जून के प्रारम्भ में जहाजों पर जो माल लादा गया था वह तेल की आकस्मिक कमी के कारण बाधा उत्पन्न होने से पहले ही रैल स्टेशनों तक पहुंच गया था। अप्रत्यक्ष रूप से इस बात की पुष्टी इस तथ्य से भी हो जाती है कि गोआ क्षेत्र में यह कुप्रभाव कम हुआ है, क्योंकि वहां ट्रकों की अपेक्षा नौकाओं द्वारा अधिक माल ढोया जाता है।

शीशा बनाने वालों की कठिनाइयां

957. **श्री हेडा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जुलाई, 1965 के 'इकानमिक टाईम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि माल उतारने के घंटों के कम होने और कोयला छोट-छोटे माल डिब्बों में भंजन के कारण शीशा निर्माताओं को कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। लेकिन जांच से पता चला है कि पश्चिम बंगाल के शीशा बनानेवाले कारखानों को कोयला ब्लाक रेक में नही मिलता।

(ख) और (ग) : भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

कमला बालन बांध में दरारें

958. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि बिहार के सिंचाई और विद्युत मंत्री नें कमला-बालन बांध में आई दरारों के लिए रेलवे अधिकारियों को दोषी ठहराया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) समाचार-पत्रों में यह खबर छपी थी कि बिहार के सिंचाई और विद्युत मंत्री न कमला-बलान बांध में दरारों के लिए पूर्वोत्तर रेलवे प्राधिकारियों को दोषी ठहराया है। रेलवे राज्य मंत्री इन आरोपों का पहले ही खण्डन कर चके ह। कमला-बलान बांध की दरारों के लिए रेल-प्रशासन बिल्कुल दोषी नहीं है।

तटीय बांधों म दरारें 8 जुलाई, 1965 की रात और 9 जुलाई, 1965 की सुबह को पड़ी। य दरारें तटीय बांधों के बीच के तीनों रेलवे पुलों से पूरी तरह पानी की निकासी शुरू होनें के बहुत बाद पड़ीं। इसके अलावा रेलवे बांध में पड़नें वाली दरारों सें होकर भी काफी पानी निकल रहा था। इस बात को और सबसे अधिक बाढ़ आने के समय पानी के चढ़ाव को देखनें सै स्पष्ट है कि 1964 की तुलना में इस स्थान पर जल-निकास मार्ग में कोई कमी नहीं हुई है और न ही इस वजह से पुल से ऊपर नदी के मुहाने की ओर पानी एकट्ठा हुआ। फलस्वरूप तटीय बांधों की दरारों के नये पहुच-मार्गों और पानी के चढाव तथा चढ़ाव-बांधों के निर्माण से, या रेलवे स्पिल पुल संख्या 87 और 89 से कोई सम्बन्ध नहीं है।

1964 की तुलना मे इस वर्ष नदी में बाढ़ का पानी निश्चित रूप से अधिक था। तटीय बांध बनानें से घाटी के सभी जल भण्डार कट गये और रेलवे पुल के नीचे से पानीं की निकासी बहुत बढ़ जाने के कारण स्थिति और भी खराब हो गयी। इस बात का सुझाव दिया गया है कि वहां अतिरिक्त जलमार्ग बनाना आवश्यक है। इस सुझाव की जांच की जा रही है।

चमड़ा उद्योग

959. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चमड़ा उद्योग के व्यापक विकास के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के सहयोग से अथवा बिना सहयोग के, राज्य व्यापार निगम द्वारा कोई आधुनिक ढग का चमड़ा रंगने का कारखाना स्थापित किये जाने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभघेन्दु मिश्र): (क) चमड़ा उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(1) कम मात्रा में उपलब्ध होने वाली कच्ची खालों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(2) रड के अतिरिक्त चमड़ा कमाने के काम आने वाले सभी पदार्थों के निर्यात को अनुत्साहित किया जा रहा है।

(3) चमड़े तथा चमड़े से बने माल के निर्यात पर से नियंत्रण पूर्ण रूपण हटा लिय गया है।

(4) वस्तु विनिमय के आधार पर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में चमड़ा और चमड़े से बने सामान को भी शामिल कर दिया गया है।

(5) आयातीत वस्तुओं पर वापसी शुल्क की अदायगी के ऐवज में उस माल से तैयार होने वाले माल को निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है।

(6) निर्यात संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत कच्चे माल तथा रसायनों का आयात करने की अनुमति दी जा रही है।

(7) भेड़ की कच्ची खालों में पैपराज के अलावा सभी प्रकार की खालों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। पैपराज का उत्पादन देश में भेड़ों की खालों के कुल उत्पादन का केवल ·1 प्रतिशत होता है।

(8) बकरे की कच्ची खालों के निर्यात को सीमित कर दिया गया है। कच्ची और अर्ध तयार बकरे की खालों को फिर से कमाया जाता है और तैयार करके निर्यात कर दिया जाता है।

(9) देश में चमड़ा के काम आने वाले पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के विचार से बड़ी संख्या में बबूल के पेड़ लगाए जा रहे हैं।

(10) देश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा चमड़ा उद्योग के लिए खोज सुविधाए और प्रशिक्षण दिया जाता है।

(11) चमड़ा कमाने के उद्योग के द्वारा तैयार माल का निर्यात करने में सहायता देने के लिए मद्रास में चमड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद कार्य कर रही है।

(12) चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तूओं के उद्योग द्वारा उत्पादित माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए कानपुर में एक और निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना की गई है।

(13) अन्य लघु उद्योगों के समान ही इस उद्योग के लिए भी भारत सरकार की विभिन्न एजैन्सिया द्वारा तकनीकी आर्थिक तथा हाट सम्बन्धी सहायता दी जाती है।

(14) चमड़े तथा चमड़े से बनी वस्तुओं का आयात अत्याधिक सीमित कर दिया गया है।

(ख) पश्चिमी बंगाल या किसी अन्य राज्य में यंत्रों द्वारा जूतों का उत्पादन करने और चमड़ा कमाने के लिए एक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर राज्य व्यापार निगम द्वारा विचार किया जा रहा है।

ऊनी कालीनों का निर्यात

960. **श्री रा० बरुआ :** **श्री बसुमतारी :**
श्री द्वारकादास मंत्री : **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1 अगस्त, 1965 से ऊनी कालीनों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल गाड़ी का रोका जाना

961. **श्री बागडी :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10 जुलाई, 1965 के 'ब्लिट्ज़' में "आयल ट्रेन किडनैपड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार को देखा है;

(ख) क्या इस बीच इस घटना की कोई जांच की गयी है ;

(ग) यदि हाँ, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क), (ख), (ग) और (घ) : 10 जुलाई, 1965 के 'बिलट्ज़' में प्रकाशित समाचार में जिस तरह की गाड़ी का विवरण दिया गया है वैसी कोई गाड़ी बम्बई से दिल्ली तक नहीं चलायी गयी थी ।

सरकारी क्षेत्र में अल्यूमिनियम कारखाने

962. **श्री रा० बरुआ :** क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता से सरकारी क्षेत्र में दो अल्यूमीनियम कारखानें स्थापित करने के लिए कोई समझौता कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : यद्यपि सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में दो एल्यूमीनियम परियोजनायें, एक महाराष्ट्र में कोयना में तथा दूसरी मध्य प्रदेश के कोरबा में पूरी करने का निश्चय किया है, तथापि कोई तकनीकी अथवा वित्तीय सहायता के समझौते का अभी तक अन्तिम निर्णय नही हुआ है ।

गोआ से लौह-अयस्क का निर्यात

963. **श्री रा० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष 31 जुलाई तक गोआ से कितनी मात्रा में लौह-अयस्क का निर्यात किया गया है; और

(ख) यह किन-किन देशों को निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनभाई शाह) : (क) इस वर्ष की 31 जुलाई तक 432 लाख मी० टन ।

(ख) जापान, इटली, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलण्ड, यूगोस्लाविया, ग्रीस, चेकोस्लोवाकिया, बल्जियम, रूमानिया, कनाडा, स्विटजरलैण्ड, फ्रांस, बल्गारिया और संयुक्त राज्य अमरीका ।

विश्व बैंक के ऋण से कोयला निकालने की मशीनों का आयात

964. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के ऋण से 29 लाख रुपये मूल्य की आयात की गयी मशीनों की डिलीवरी कोयला खानों ने नहीं ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार उपेक्षा करने वाली खानों के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : हां । विश्व बैंक ऋण के अन्तर्गत जो रु० 25.10 लाख के मूल्य की मशीनें आयात की गईं वे अब तक कुछ कोयला कम्पनियों द्वारा नहीं उठाई गई हैं । दोषी बहुधा छोटी खानों के स्वामी हैं, जिन पर कोयले की मांग की कमी का प्रभाव पड़ा है ।

Suburban Passenger Train accident near Bombay

965. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an accident occurred to Suburban NS 4 passenger train on the 27th July, 1965 between Vasind and Khadavali Stations near Bombay while carrying railway sleepers in the passenger compartments;

(b) if so, the extent of the loss suffered and the persons responsible therefor; and

(c) the action taken against them?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) :

(a) Yes.

(b) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 100. The Guard of the train and a Gangman have been held responsible for the accident.

(c) Disciplinary action is being taken against the delinquent staff.

बाक्स कारें

966. **श्री कजरोलकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन पर पड़े आयात किये गेहू के स्टाक को उठाने के लिए रेलवे के पास काफी बाक्स कारें हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मौजूदा ढंग के माल डिब्बे मद्रास पत्तन में आ रहे जहाजों से अनाज ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं;

(ग) क्या मद्रास पत्तन पर पड़े अनाज के स्टाक के समुचित माल गाड़ियों की उपलब्धि के अभाव में नष्ट हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को जहाजी समवायों को विदेशी मुद्रा में काफी विलम्ब-शुल्क देना पड़े; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। विदेशों से मद्रास बन्दरगाह पर आने वाले अनाजों का लदान बन्द माल-डिब्बों तथा बाक्स माल-डिब्बों में किया जाता है। जब अनाज बाक्स माल-डिब्बों में योजना होता है तो उसे तिरपाल से ढक कर ब्लाक रेक में भेजा जाता है और उसके साथ पहरेदार रहता है।

(ग), (घ) और (ङ): सवाल नहीं उठता।

बिहार में औद्योगिक कारखानों को कच्चे माल का आवंटन

967. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में औद्योगिक कारखानों को कच्चा माल उनकी 1955 की क्षमता के आधार पर दिया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी वर्तमान क्षमता के आधार पर उनको कब तक कच्चा माल दिया जा जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी नहीं, बिहार में भी अन्य राज्यों के समान ही स्थापित क्षमता तथा वर्तमान उत्पादन के आधार पर कच्चे माल का नियतन होता है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नही उठता।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम

968. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत क्रमश: 1963 तथा 1964 के वर्षों के दौरान बिहार से कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं; और

(ख) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं।

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) तथा (ख): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

बिहार को इस्पात के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन

969. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो विदेशी मद्रा बिहार को इस्पात तथा धातु मिश्रित इस्पात के आयात के लिए दी गई है, वह बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो इस आवंटन का आधार क्या है; और

(ग) अक्तूबर, 1960 से मार्च, 1965 तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा इस उद्देश्य के लिए नियत की गई है?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) विदेशी मुद्रा की अत्याधिक कठिनाई होने के कारण लघु उद्योग क्षेत्र को इस्पात के आयात के लिए मिली विदेशी मुद्रा बहुत सिमित है। अन्य राज्यों के समान ही बिहार को भी स्पात के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का नियतन उस राज्य के कारखानों की आवश्यकताओं की तुलना में काफी कम है।

(ख) अक्टूबर 1960—मार्च 1961 के काल के लिए नरम स्पात के आयात के लिए राज्यानुसार विदेशी मुद्रा का नियतन किया गया है। प्रारम्भिक नियतन राज्यों के उद्योग निदेशकों द्वारा प्रस्तावित प्रार्थना-पत्रों और लौह तथा स्पात नियंत्रण द्वारा अक्टूबर, 1957 से मार्च, 1958, अप्रैल 1958—सितम्बर, 1958 तथा अक्तूबर, 1958—मार्च, 1959 की अवधियों में दिए गए लाईन्सेसों के आधार पर किया गया है। आगे की अवधियों का नियतन अक्टूबर 1960—मार्च 1961 के नियतन पर आधारित रहा है।

औजारों और मिश्रित स्पात के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का नियतन अप्रैल—सितम्बर, 1962 की अवधि से ही किया गया है। राज्यानुसार नियतन अप्रैल-सितम्बर, 1961 तथा अक्टूबर 1961—मार्च 1962 की अवधि में औजारों और मिश्रित स्पात के आयात के लिए दिए गए लाईसेंसों की राशि के अनुरूप हो है।

(ग) बिहार राज्य को स्पात के (अप्रैल—सितम्बर 1962 के बाद औजारों तथा मिश्रित स्पात के समेत) आयात के लिए अक्टूबर 1960—मार्च, 1961 की अवधी से अक्टूबर 1964—मार्च, 1965 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा की राशि का निम्न प्रकार से नियतन किया गया है।

अवधि	नियतन (लाख रु० में)
अक्टूबर, 1960–मार्च, 1961	20.00
अप्रैल, 1961–सितम्बर, 1961	11.78
अक्टूबर, 1961–मार्च, 1962	15.71
अप्रैल, 1962–सितंम्बर, 1962	16.13
अक्टबर, 1962–मार्च, 1963	14.065
अप्रैल, 1963–सितम्बर, 1963	12.691
अक्टूबर, 1963–मार्च, 1964	14.50
अप्रैल, 1964–सितम्बर, 1964	21.11
अक्टूबर, 1964–मार्च, 1965	17.23

गाड़ियों की रफ्तार तथा इनका समय पर आना जाना

970. दी० चं० शर्मा : **श्री यशपाल सिंह :**

श्री रा० बरुआ : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने और उनका समय पर चलना सुनिश्चित करने के लिए उपाय करन और तरीके निकालने के लिए मंत्रालय में एक विशेष "सैल" स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस "सैल" की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) आजकल इसके कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने से संबन्धित अनुसंधान करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय के अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन में एक "सैल" खोला गया है। गाड़ियां अपने समय पर चलती हैं या नहीं इस बात की देख-रेख के लिए कोई नया विशेष "सैल" नहीं खोला गया है क्योंकि इसपर रेलवे बोर्ड तथा विभिन्न स्तरों पर रेलों के वर्तमान परिचालन संगठनों द्वारा रोजाना निगरानी रखने की व्यवस्था पहले से ही है।

(ख) इस सैल के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :-

भारतीय रेलों में गाड़ियों को अधिक तेज रफ्तार से चलाने के लिए आवश्यक अन्वेषण तथा अनुसंधान करना। इस दिशा में पहला कदम गाड़ियों को 120 किलोमीटर प्र० घं० (75 मील प्र० घं०) की रफ्तार से चलाना है।

(ग) अधिक रफ्तार पर क्षेत्र-परीक्षण करने के लिए दिल्ली-आगरा खंड में रेल-पथ के एक हिस्से को तैयार किया जा रहा है। आशा है, ये परीक्षण 1966 के शुरू में आरम्भ हो जायेंगे।

बीना और इटारसी के बीच रेलगाड़ियों का चलना

971. **श्री पाराशर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बाढ़ के परिणामस्वरूप कहीं-कहीं रेलवे लाइन के टूट जाने के कारण बीना और इटारसी स्टेशनों के बीच रेलगाड़ियों का चलना अभी तक फिर से चालू नहीं किया गया है; और

(ख) हाल की बाढ़ के दौरान दिल्ली तथा बम्बई और दिल्ली तथा मद्रास के बीच कितने दिनों तक कितनी गाड़ियां देर से चलीं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) 28-7-65 को बीना-इटारसी खण्ड की भोपाल-इटारसी लाइन में जो दरारें पड़ गयी थीं वे "छोटी-मोटी" न होकर काफी बड़ी थीं और उनमें बड़े पैमाने पर मरम्मत करना ज़रूरी था मरम्मत का काम तत्काल शुरू कर दिया गया और 4-8-65 को काम पूरा होने पर, इस खण्ड पर गाड़ियों का आना-जाना फिर से शुरू हो गया। 29-7-65 की सुबह बीना-भोपाल खण्ड में पड़ने वाली दारें छोटी-मोटी थीं और उन्हें उसी दिन शाम से पहले ठीक कर दिया गया।

(ख) 28-7-65 से 3-8-65 तक, जबकि इटारसी-भोपाल खण्ड पर गाड़ियों का आना-जाना बन्द रहा दिल्ली और बम्बई के बीच 16 तथा दिल्ली और मद्रास के बीच 36 गाड़ियां देर से चलीं।

डीज़ल तेल के इंजन

972. **श्री लिंग रेड्डी**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल भारत में कितनी रेल गाड़ियां डीजल तेल से चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या देश में भाप से चलन वाले इंजनों के स्थान पर डीज़ल तेल से चलने वाले इंजन चलाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(घ) डीज़ल तेल से चलने वाले इंजन की लागत भाप से चलने वाले इंजन की लागत से कम है या अधिक ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस समय डीज़ल रेल इंजन केवल थ्रू मालगाड़ियों में ही लगाये जाते हैं। डीज़ल रेल इंजनों से चलने वाली इन गाड़ियों की दैनिक औसत संख्या 1964–65 में 638 थी।

(ख) रेलवे में उत्तरोत्तर डीज़ल कर्षण प्रणाली लागू की जा रही है, लेकिन जब तक किसी भाप इंजन की उपयोगिता यातायात के काम के लिए समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उसकी जगह डिज़ल रेल इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

(ग) सवाल नही उठता।

(घ) बडी लाइन पर मुख्य लाइन के लिए एक डीजल रेल इंजन की पूंजीगत लागत लगभग 14 लाख रुपये है, जबकि बड़ी लाइन पर मालगाड़ी के एक भाप रेल इंजन की पूंजीगत लागत 4.5 लाख रुपये है। लेकिन लागत की सही-सही तुलना के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिनसे डीज़ल रेल इंजन भाप रेल इंजन से कहीं अधिक कारगर साबित होता है।

(i) डीज़ल रेल इंजन की अश्व शक्ति भाप इंजन से दुगनी होती है और इसकी शक्ति/भार का अनुपात भी सोलह गुना अधिक है; इससे डीज़ल रेल इंजन अधिक भारी गाड़ियों को अधिक रफ्तार से खींच सकता है। इसके अलावा डीज़ल रेल इंजन की रफ्तार भी अपेक्षाकृत जल्दी बढ़ायी और घटायी जा सकती है।

(ii) डीज़ल रेल इंजन को रास्ते में पानी और ईंधन लेने के लिए रुकना नहीं पड़ता।

(iii) इंजन के निरीक्षण के लिए डीज़ल रेल इंजन को शेड में अपेक्षाकृत देर के बाद भेजा जाता है। इसलिए डीजल रेल इंजन यातायात के काम के लिए कारगर तौर पर प्रतिदिन कई घंट अधिक उपलब्ध रहता है।

(iv) डीज़ल रेल इंजनों में शक्तिशाली ब्रेक व्यवस्था होने के कारण लम्बे ढलानों पर गाडी को अधिक कारगर तौर पर नियंत्रण में रखा जा सकता है।

इन विशेषताओं के कारण डीज़ल रेल इंजन का इस्तेमाल करने से खण्ड की लाइन-क्षमता बढ़ जाती है। डीज़ल रेल इंजन के इस्तेमाल से परिचालन-सम्बन्धी कई लाभों के साथ-साथ कर्षण पर भी कम खर्च आता है।

कुनैन का निर्यात

973. **डा० सारादीश राय**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कुनैन सल्फेट तथा सिंकोना की मांग बढ़ गई है;

(ख) इन दोनों वस्तुओं का आजकल विदेशी तथा देशी मण्डियों में क्या मूल्य है;

(ग) क्या इन वस्तुओं का निर्यात केवल निजी संस्थानों द्वारा किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां, जहां तक भारत से संभरण का प्रश्न है।

(ख) कुछ विदेशों में कुनैन सल्फेट का मूल्य 220.00 रु० तथा 250.00 रु० प्रति कि० ग्रा० के बीच घटता रहता है, जबकि कुनैन हाइड्रोक्लोराइड का मूल्य 245.00 तथा 260.00 रु० प्रति कि० ग्रा० के बीच रहता है। भारत में कुनैन सल्फेट का वर्तमान सूची मूल्य 85.00 प्रति कि० ग्रा० है।

(ग) जी, नहीं। इन वस्तुओं का निर्यात प० बंगाल सरकार द्वारा भी किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सिगनल कारखाना (रेलवे)

974. **श्री पालीवाल :**
श्री सिंहासन सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटना जांच समिति ने एक केन्द्रीय सिगनल कारखाना स्थापित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कारखाना स्थापित किये जाने के लिये कोई निर्णय किया जा चुका है;

(ग) सिगनल कारखाने की स्थापना के संबंध में आगे कार्यवाही करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं और इसमें अब तक क्या प्रगति हुई हैं; और

(घ) प्रस्तावित कारखाने की कब तक चालू होने की संभावना है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : जी हां, आधुनिक ढंग के सिगनल-उपस्कर तैयार करने के लिये सिकन्दराबाद में एक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

(ग) कारखाना बनाने के लिए तकनीकी सहयोग देने का सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से जो टेण्डर मांगे गये थे वे 1-4-1965 को खोले गये हैं। इन टेण्डरों की जांच की जा रही है।

(घ) 1968 में।

Steel for Automobile Industries

975. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) the steps taken for the production of special steel required for automobile industries during the Third Five Year Plan;

(b) the amount of foreign exchange being spent annually on its import; and

(c) the steps proposed to be taken for its production during the Fourth Five Year Plan?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) Special steels are broadly classified into seven categories. These are :

(1) Alloy constructional steel;

(2) Free cutting steel;

(3) Spring steel;

(4) High speed tool and die steel;

(5) Stainless steel;

(6) Low alloy high strength steel;

(7) Electrical steel.

All these categories are used in the automobile industries. The demand for alloy and special steels in 1965-66 as estimated by N. C. A. E. R. is 461,600 tonnes. A capacity of about 600,000 tonnes has been licensed for the manufacture of alloy and special steels and a number of schemes are under implementation, including the public sector plant at Durgapur which has already commenced production in a small way and is likely to increase its production in 1966.

(b) Foreign exchange expenditure on all imports of special steels during the the last two years was :

1963-64	Rs. 123,262,000
1964-65	Rs. 147,613,069

(c) The demand for alloy and special steels in 1970-71 as estimated by N. C. A. E. R. is 891,400 tonnes. This estimate is now being reviewed and a decision is expected to be taken shortly. However, steps are already being taken to create further capacity to meet the demand for alloy and special steels in 1970-71.

Paper Mill in Nangal

976. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme in the private or in the public sector to set up paper mills in the Eastern part of India and in Nangal (Punjab); and

(b) whether Government will have shares in the paper mill to be set up in Nangal in the Private sector ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : **(a)** Yes, Sir ; two schemes have been approved for the Eastern part of India and one for Nangal in Punjab. All the three are in the private sector.

The possibilities of having one or more additional units in public sector in Eastern part of India are being explored.

(b) No, Sir.

पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण

977. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि पटसन उद्योग के अनुसंधान निदेशकों की एक बैठक हाल ही में पटसन उद्योग की भावी संभावनाओं का पता लगाने के लिये हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) संयंत्र आधुनिकीकरण योजना को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) भारतीय जूट मिल्स एसोसियेशन के तत्वावधान में संसार के बड़े जूट उद्योगों का एक जूट अनुसंधान सम्मेलन नवम्बर-दिसम्बर 1964 को कलकत्ते में हुआ था। सम्मेलन का उद्देश्य ऐसे ढंगों और साधनों के विषय मे विचार करना था जिनकें द्वारा वैज्ञानिक अनुसन्धान और तकनीकी विकास का प्रभावशाली रूप में समन्वय किया जाय जिससे संसार में जूट के प्रयोग का विस्तार करने में उनका तेजी से लागू किया जाना निश्चित हो सके।

(ख) सम्मेलन ने ऐसी अनेक बड़ी बड़ी समस्याओं पर प्रकाश डाला जिनकी ओर जूट उद्योग को समष्टि रूप से अपना ध्यान देना चाहिये। सम्मेलन ने कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की हैं।

(ग) जूट मिलों के कटाई विभाग का अब लगभग पूरी तौर पर आधुनिकीकरण हो चुका है। चौथी योजना अवधि में मिलों द्वारा बुनाई विभाग का भी आधुनिकीकरण करने की योजनाएं चालू किये जान की आशा है।

कैलसियम कार्बाइड

978. **डा० सरोजिनी महिषी :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कैलसियम कार्बाइड की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) क्या इस बात की कोई जांच की गई है कि लाईसेंस प्राप्त योजनाओं ने अधिक उन्नति क्यों नहीं की ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) सरकार ने देश में कैल्सियम कार्बाइड की कमी को पूरा करन के लिये निम्नलिखित कार्रवाई की है :-

(1) केल्शियम कार्बाइड कारखानों को पूरा उत्पादन बनाये रखने के लिये आयात किये जान वालें कच्चे माल की उनकी सम्पूर्ण आवश्यकता पुरी करने के लिये विदेशी मुद्रा देकर उनकी सहायता की जा रही है।

(2) राज्य व्यापार निगम के जरिये कैल्सियम कार्बाइड का आयात करके मध्यवर्ती भंडार बनाने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ख) कोई भी जांच-पड़ताल करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि केल्सियम कार्बाइड के लिये लाइसेंस प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत उत्पादन हो रहा है।

Bombay–Mangalore Rail Line

979. Shri Madhu Limaye:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to take up the construction of the Mangalore-Bombay Railway line during the Fourth Five Year Plan period; and

(b) if so, when the construction of this Railway line will be taken up ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) & (b). A.B.G. rail link from Diva to Apta with a branch line to Uran is under construction. Diva-Panvel section has already been completed and opened to traffic, Panvel-Apta section is expected to be opened by March, 1966. The feasibility/viability of extending the line in stages upto Dasgaon/Ratnagiri is now being examined. Whether this scheme will find a place in the Fourth Plan will, ultimately depend on the funds available for new lines and the priority that this scheme merits amongst other similar proposals. Further projection of the line upto Mangalore is not contemplated immediately.

Poona—Miraj Broad Gauge Line

980. Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to extend the Poona-Miraj broad gauge Railway line upto Goa via Lathon;

(b) if so, whether any survey work has been carried out for that purpose; and

(c) if not, the time by which it is likely to be carried out ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) and (b). A proposal for conversion of the existing Miraj-Londa-Mormugao Metre Gauge line into broad gauge is under consideration. Preliminary Engineering and Traffic surveys for the same have been carried out and the survey reports are being examined.

(c) Does not arise now.

औद्योगिक बस्तियां

981. **श्री शिवमूर्ति स्वामी:** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक राज्यवार कितनी औद्योगिक बस्तियां बसाई गई हैं;

(ख) नये उद्यमियों को, जो इन औद्योगिक बस्तियों में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, क्या प्रोत्साहन दिये जायेंगे;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है कि केवल उन्हीं उद्योगपतियों को औद्योगिक गृह-निर्माण तथा कारखाने के लिये स्थान दिया जाता है जो पुराने तथा प्रसिद्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो नये उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) 169 राज्यानुसार ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

राज्य का नाम	तीसरी पंच वर्षीय योजना में अब तक पूरी की गई बस्तियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	10
आसाम	1
बिहार	..
दिल्ली	1
गुजरात	3
हिमाचल प्रदेश	..
जम्मू और काश्मीर	16
केरल	3
महाराष्ट्र	18
मद्रास	8
मध्य प्रदेश	9
मैसूर	6
उडीसा	6
पांडेचेरी	1
पंजाब	33
त्रीपुरा	1
राजस्थान	9
उत्तर प्रदेश	43
पश्चिम बंगाल	1
कुल	169

(ख) औद्योगिक बस्तियों में कारखाने स्थापित करने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन इस प्रकार हैं :—

1. बने बनाए शेड किराए पर या किराया-खरीद के आधार पर दिए जाते हैं ।
2. पांच वर्ष तक सहायता प्राप्त किराया लिया जाता है ।
3. औद्योगिक बस्तियों के इलाकों में टूल रूम सुविधा सामान्य सेवा के रूप में प्रदान की जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय-कोयला विकास निगम की कोयला खानें

982. **श्री कनकसैब :**
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन तीन कोयला खानों में कोयलों का उत्पादन बन्द कर दिया गया है जबकि तीन अन्य खानों में काम धीरे-धीरे किया जाने लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इससे उत्पादन कितना कम हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख) और (ग) : कोयले के उत्पादन और उसके उपक्रय (आफ टैक) के सतत असन्तोष से बचने के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने अपनी चार खानों में उत्पादन स्थगित कर दिया है और अन्य सात खानों में मन्दा कर दिया है। चूंकि उत्पादन का कोयले की मांग के साथ मेल रखा जाता है और धीरे धीरे जैसे ही मांग बढे उस भी बढाया जाता है, अतएव उत्पादन में कमी होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। तथापि क्षमता का मुकाबला करते हुए उत्पादन में समस्त रोक थाम राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा लगभग 3 मिलियन मीटरी टन के स्तर की होगी।

रेशम के कपड़े का निर्यात

983. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेशमी कपड़े विदेशों में अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं ;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान इन कपडों का निर्यात बढा है; और

(ग) क्या अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए इन कपड़ों के विषय में कोई निर्यात संवर्धन योजना सरकार के विचाराधीन है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) हां। गत दो वर्षों में निर्यात का मूल्य इस प्रकार रहा है :

वर्ष	मूल्य (लाख रु० में)
1963	216.11
1964	222.96

(ग) प्राकृतिक रेशमी वस्त्रों के निर्यात संवर्द्धन की एक व्यापक योजना 1 जनवरी 1958 से चल रही है।

ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात

984. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन को भारतीय सूती कपड़े का निर्यात करने संबंधी करार की अवधि 1965 में समाप्त हो जायेगी;

(ख) इस करार की अवधि क्या थी और क्या सरकार इस को बढ़ाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हा, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : वर्तमान समझौते की अवधि तीन वर्ष की है अर्थात् 1963 से 1965 तक। भारत सरकार तथा ब्रिटेन सरकार इस बात पर विचार कर रही हैं कि 1966 से आगे ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जाने चाहिये।

Wagons of Tin Sheets taken into custody

985. **Shri Kindar Lal :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the District officials of Kanpur (U.P.) took into custody about half a dozen wagons containing tin sheets which were about to be sent to Pakistan from the railway yard at Kanpur during the first week of August, 1965; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). No. However, on 7th July, 1965 two consignments comprising of 50 and 52 bundles respectively of iron galvanized corrugated sheets were booked ex-Cooper Ganj to Naroda by a Forwarding Agent of Kanpur. On the orders of the District Magistrate, the local police seized the goods at Cooper Ganj, as they suspected that this material might be sold in the black market at Naroda and thereafter smuggled into Pakistan. The police have registered a case under section 3/7/ BC/125 DIR and the case is under investigation by CID U.P.

Theft of Refrigerators from Railway Electric Workshop, Delhi

986. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2138 on the 9th April, 1965 and state :

(a) whether the Special Police Establishment of the Ministry of Home Affairs has since completed the investigation into the theft of refrigerators from the Electric Work-shop, Delhi;

(b) if so, the result thereof; and

(c) the action taken against the delinquent employees ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Special Police Establishment of the Ministry of Home Affairs have since completed their enquiries into the case of irregularities in the maintenance and disposal of costly impotted and indigenous spares for refrigeration and air-conditioning equipment in the Air-conditioning Workshop, Northern Railway, Delhi.

(b) and (c). S.P.E.'s final report is still awaited, and appropriate action will be taken on receipt thereof.

Dead Body in a Goods wagon at Kanpur

987. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2115 on the 9th April, 1965 and state :

(a) whether the Police have since completed their investigation regarding the dead body found in a goods train wagon at Kanpur Station on 16th January, 1965; and

(b) if so, the findings thereof ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). The identity of the dead body which was found in a box-wagon loaded with coal on 13th January, 1965, could not be established. The police have closed the investigation. Photograph of the deceased was sent for publication in the CID Gazette.

पारसखेड़ा के पास यात्री गाड़ी में डकैती

989. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री रामहरख यादव :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सशस्त्र डाकुओं ने 10 अगस्त, 1965 को उत्तर रेलवे की रामपुर बरेली लाइन पर स्थित पारसखेडा के पास मुरादाबाद से लखनऊ जाने वाली यात्री गाड़ी के रुकने पर गाड़ी के गार्ड और दो अन्य व्यक्तियों को लूटा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बरेली की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच हो रही है। एक अभियुक्त गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसी वारदातों की ओर सरकारी रेलवे पुलिस का ध्यान तुरन्त दिलाया जाता है और रेल सुरक्षा दल तथा सरकारी रेलवे पुलिस के बीच निकट सहयोग कायम रखा जाता है। जिन खंडों में ऐसी वारदातें ज्यादा होती हैं, उनमें खासतौर पर रात के समय मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए हथियारबन्द सुरक्षा दल का पहरा लगा दिया जाता है।

मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस गाड़ी का ग्वालियर के निकट पटरी से उतर जाना

990. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 अगस्त, 1965 को ग्वालियर के बाहरी सिगनल के निकट दिल्ली आ रही 17 डाउन जनता एक्सप्रेस गाड़ी के आगे के दो पहिये पटरी से उतर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां। ग्वालियर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर सिथौली और ग्वालियर के बीच गाड़ी पटरी से उतर गयी थी।

(ख) दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है।

कोटा रेलवे कारखाने के लिए भूमि

991. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री ओंकार सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा के रेलवे वेगन मरम्मत कारखाने के लिए जिन किसानों की भूमि का अर्जन किया गया था, उन्हें मुआवजा दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां, जमीन की कीमत के मुआवजे के रुप में 2,89,811 रुपये दिये गये हैं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

पांचवां इस्पात संयंत्र

992. **श्री शिव मूर्ति स्वामी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी और ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने दक्षिण में पांचवे इस्पात संयंत्र के स्थान के सम्बन्ध में अपना पूर्ण प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या कहा गया है और संयंत्र के लिये उपयुक्त समझे गये अन्य दो स्थानों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को मैसूर के राज्य मंत्रि-मण्डल से ऐसा कोई विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है कि यदि पांचवा इस्पात संयंत्र मैसूर राज्य में होसपेट में स्थापति नही किया गया तो वे त्याग पत्र दे देंगे; और

(घ) यदि हां, तो विशेषज्ञ किन कारणों से इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट में छः स्थानों में से विशाखापतनम् और होसपेट को बहुत उपयुक्त बताया गया है लेकिन इन दोनों स्थानों में भी अंग्रेज और अमरीकी विशेषज्ञों ने विशाखापत्तनम को अधिक उपयुक्त माना है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) विशेषज्ञों ने विशाखापत्तनम को अधिक उपयुक्त मानने के निम्नलिखित कारण बताये हैं –

(1) गत पन्द्रह वर्षों में विश्व भर में सर्वतोमुखी इस्पात संयंत्रों की सर्वाधिक विकास गहरे पानी के पास हुआ है ।

(2) इन देशों के इस्पात उद्योग ने गहरे पानी के सन्निकट इस्पात कारखाने स्थापित करने की बढ़ती हुई महत्ता को समझा है और उसे महत्व दिया है । गहरे पानी के पास इस्पात संयंत्र की स्थापना से भारत को जिसमें इस्पात उद्योग भीतरी भाग में केन्द्रित है, आवश्यकतानुसार कोयले और कच्चे माल का पूर्ण और आंशिक आयात और भविष्य में उत्पादित माल का निर्यात

अधिक सुगम और मितव्ययी होगा। तटवर्ती कारखाने में यह सुविधा रहती है कि कोकिंग कोयला में अंशतः अथवा पूर्णतः जल मार्ग से आयात किया जा सकता है। इस तरह भारतीय कोयला खानों, शोधनशालाओं और रेलवें के बढ़ते हुए काम को कम किया जा सकता है। इसलिए गहरे पानी के निकट लगाया गया कारखाना आर्थिक सहायता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से अधिक अच्छा होता है।

(3) अमरीका और यूरोप की जनता और निजी वित्तीय स्त्रोतों को यह मालूम है कि इस्पात उद्योग ने गहरे पानी के निकट संयंत्र स्थापित करने के प्रति वास्तविक अभिरुचि दिखाई है। तटवर्ती संयंत्र जिसमें आयात-निर्यात की सुविधाएं होती हैं वित्तीय स्त्रोतों को आकर्षित करने की अधिक क्षमता रखता है क्योंकि इसमें ऐसे विकल्प होते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि संयंत्र बदलती हुई अवस्थाओं में भी सफल रहेगा।

(4) तटवर्ती संयंत्र बिल्कुल समय-अनुसूचि के अनुसार बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें बड़ी और भारी मशीनों का देश के भीतर यातायात करने की आवश्यकता नहीं रहती।

(5) कम ढुलाई होने तथा पुलों को अधिक मज़बूत बनाने और उनमें परिवर्तन करने में कम पूंजीगत लागत से देश में यातायात पर कम खर्च होने से रुपए के खर्च में बचत होगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर एक अज्ञात विमान की उडान

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं असैनिक उड्डयन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह उस बारे में एक वक्तव्य दे :—

"महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर 16 अगस्त, 1965 को एक अज्ञात विमान की उड़ान।"

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : 17 अगस्त, 1965 को भारतीय समय के अनुसार रात्रि के 8 बजे रत्नागिरी के पुलिस अधिकारीयों से एक सुचना मिली कि 17 अगस्त, 1965 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 6.25 बजे आसमानी रंग का एक विमान मुरुड की ओर जाता हुआ जमीन से 50–60 फुट की ऊंचाई पर उत्तर-दक्षिण में उड़ता हुआ दिखाई दिया। हेड कांस्टेबल ने राष्ट्रीय चिह्न या नम्बरों के बारे में कोई सूचना नहीं दी। बम्बई में नागर विभाजन विभाग के अधिकारीयों ने इस रीपोर्ट की जांच की और बतलाया कि 17 अगस्त, 1965 को इस क्षेत्र में कोई जाना पहचाना नागरीक या सैनिक विमान नहीं उड़ा। बाद में इस बात की भी पुष्टि की गयी कि एयरोड्रोम सर्वीलेंस राडार पर कोई अज्ञात विमान नहीं दिखाई दिया। इस क्षत्र में बतलाये गये समय पर ऐसी उड़ान के बारे में उड़ान सूचना रिकार्डो में भी कोई सूचना नहीं थी। साथ के उड़ान सूचना केन्द्रो को सिगनल दिये गये और मंगलौर, गोआ, पूना, अहमदाबाद, जामनगर और बड़ौदा स्थित आसपास के हवाई अड्डों से पूछताछ की गयी लेकिन वे भी इस उड़ान के बारे में कोई सूचना नहीं दे सके। इस घटना के बारे में आप्रव्रजन, सीमा-शुल्क, स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारीयों को बता दिया गया। राज्य के खुफिया विभाग के अनुसार विमान महाराष्ट्र राज्य में नहीं उतरा। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को उत्तर गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिये था।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि हमारे देश में मुरुड से भुवनेश्वर तक विदेशी विमानों के, संभवतः तस्करी के लिये, आने की अनेक घटनाये हुई हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इन अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापारियों से देश की रक्षा करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न सु रक्षा के बारे में है । जहां तक असैनिक उड्डयन और हवाई अड्डों का सम्बन्ध है, उनका मख्य कृत्य नौवहन और उड़ने वाले विमानों की सहायता करना है और हमारे हवाई अड्डों को उसी के अनुरूप सज्जित किया गया है लेकिन समूचा समुद्र-तट राडार प्रणाली में अथवा असैनिक उड्डयन अधिकारीयों के नियंत्रण में नहीं आता है ।

श्री हेम बरुआ : इसमें देश की सुरक्षा निहित है, इसीलिये मैंने कहा था कि इसका उत्तर गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिया जाये । यह काम गृह मंत्री का है कि वह हमें इस उड़ान के बारे में बतायें और यह भी बताये कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये उन्होंने क्या कदम उठाये हैं । मुरुड से भुवनेश्वर तक ये घटनाये कई बार हो चुकी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी गृह-कार्य मंत्री को कोई सूचना नहीं थी ।

श्री रंगा : मंत्री महोदय के उत्तर से मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री जी इसका ठीक से उत्तर देते ।

अध्यक्ष महोदय : उनका यह कहना नहीं है। जहां तक उनके विभाग का सम्बन्ध है ऐसे किसी विमान की उड़ान का पता नहीं लगा है । ऐसी कई बातें होती हैं जो असैनिक उड्डयन विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं आतीं । उनके वक्तव्य से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है ।

श्री हेम बरुआ : लेकिन मने मूल सूचना गृह मंत्री जी के नाम दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : यह गृह मंत्रालय को ही भेजा गया था लेकिन संभवतः गृह मंत्रालय और असैनिक उड्डयन विभाग के बीच कोई आन्तरीक व्यवस्था है जिसकी वजह से यह उस विभाग को भेज दिया गया । लेकिन यदि गृह मंत्री इसका उपयुक्त उत्तर दे सकते हैं तो हम उनसे किसी अन्य दिन उत्तर देने को कह सकते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ति (बैरकपूर) : ऐसी सभी मामलों में जिसका एक से अधिक मंत्री से सम्बन्ध हो, सभी सम्बन्धित मंत्रियों को प्रश्नों का उत्तर देने के लिये उपस्थित रहना चाहिये । उदाहरणतः इस प्रश्न में तीन पहलू हैं : एक आन्तरीक सुरक्षा का, दूसरे बाह्य सुरक्षा का और तीसरे असैनिक उड्डयन का । ऐसे मामले में सदस्य इन सभी पहलूओं पर प्रश्न पूछना चाहेगे । अतः तीनों मंत्रियों को इसका उत्तर देने के लिये तैयार रहना चाहिये ।

श्री रंगा : या एक मंत्री तीनों की ओर से उत्तर दे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या गृह-कार्य मंत्री एक या दो दिन में इसका उत्तर दे सकते हैं ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ति : प्रतिरक्षा मंत्री को भी यहां होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बाद में उठाया जा सकता है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यदि मुझ से सम्बन्धित किसी प्रश्न का उत्तर देने को कहा जायेगा तो मैं निश्चय ही उत्तर दूंगा ।

श्री सुरेन्दनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : इस बारे में हम चिन्तित हैं । अब भी वह इसको टाल रहे हैं । मेरे मित्र श्री हेम बरूआ ने जो जानकारी मांगी है वह गृह मंत्रालय के उत्तर दायित्व में आती है। यह जानते हुए भी उनका कहना है कि यदि उनके लिए कुछ उत्तर देने का बात है तो वह जरुर उत्तर देंगे । मैं इस बात को नहीं समझा । यह प्रश्न उनको स्वीकार करना चाहिये था और कहना चाहिये था कि वह किसी अन्य दिन इसका उत्तर देंगे :

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं ही यह बात पुछ रहा हूं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मैं समझता हूं कि सरकार एक होकर काम करती है । इस प्रश्न अर्थात हमारे प्रदेश में, मुरुड से भुवनेश्वर तक अज्ञात विमान के दिखाई देने का सुरक्षा के पहलू से निश्चित ही सम्बन्ध है, लेकिन सु रक्षा के प्रभारी मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी टाल कर इसको असैनिक उड्डयन मंत्री पर छोड़ दिया है जिनको इस बारे में कुछ पता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि इसमें कुछ सु रक्षा का पहलू भी शामिल है और इसलिये गृह-कार्य मंत्री को भी यह जानकारी होनी चाहिये ताकि वह भी प्रश्नों का उत्तर दे सकें । पता नहीं यह सूचना अन्य विभाग को कैसे चली गयी लेकिन यह हमें प्राप्त हुई और हमने पहले इसे गृह-मंत्री को भेजा । यह संभवत: मंत्रालय की आन्तरीक व्यवस्था के कारण असैनिक उड्डयन विभाग को भेज दी गई ।

श्री नन्दा : इसको देखते हुए हमने समझा कि असैनिक उड्डयन विभाग को इसका पता होगा कि किस विमान को अनुमति दी गई है और किसको नहीं ।

श्री अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री इस पर गौर करे और सोमवार या मंगलवार को इसका उत्तर देने को तैयार रहें ।

श्री नन्दा : जी, हां । मैं उत्तर दूंगा ।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । यह सूचना मूलत: गृह मंत्री के नाम भेजी गयी थी । उन्होंने इसको पढ़ा और फिर असैनिक उड्डयन मंत्री को भेज दिया । इस प्रश्न में देश की सुरक्षा का प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से निहित है । गृह मंत्री ने इस पर ध्यान न देकर विदेशी विमानों द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध देश की सुरक्षा बनाये रखने के प्रमुख उद्देश्य में वह असफल रहे हैं । मैं समझता हूं कि वह सभा से और आप से क्षमा-याचना करे . . . . .

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई प्रश्न नहीं है । संभवत: इसमें सुरक्षा का प्रश्न निहित है । लेकिन जैसा गृह मंत्री ने कहा इसके शब्दों को पढ़ कर इसको असैनिक उड्डयन विभाग को भेज दिया गया । अब वह उत्तर देने को तैयार हैं ।

श्री हेम बरुआ : वास्तव में इसमें प्रतिरक्षा मंत्री भी शामिल हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । प्रतिरक्षा मंत्री से अनुरोध है कि वह भी उस दिन यहां उपस्थित रहें ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : वैदेशिक-कार्य मंत्री भी क्यों नहीं ?

श्री राज बहादुर : मैं बतलाऊं कि मैंने इस सूचना को क्यों स्वीकार किया । यह प्रश्न महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर एक अज्ञान विमान की उड़ान के बारे में था । और इसमें सान्ताक्रुज हवाई अड्डा, लोनावाला क्षेत्र और बडौदा उड्डयन सर्किल शामिल है । इसमें अन्य उड्डयन सर्किल भी शामिल हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक है । लेकिन इस में मुरुड में विमान के उतरने की बात सदा रहती है ।

श्री हेम बरुआ : भुवनेश्वर भी ।

अध्यक्ष महोदय : यही तो कठिनाई है । क्यों कि पहले विमान उतरे हैं, अत: इस बारे में उन्हें चिन्ता है ।

अध्यक्ष महोदय : सोमवार को या मंगलवार को, जिस दिन उन्हें सुविधा हो, उत्तर दें ।

श्री नन्दा : मंगलवार ।

श्री हरी विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सभी उस दिन गृह मंत्री और असैनिक उड्डयन मंत्री—दोनों सभा में उपस्थित रहेंगे ?

श्री हेम बरुआ : प्रतिरक्षा मंत्री भी ।

अध्यक्ष महोदय : यह मैं बतला चुका हूं कि ये तीनों मंत्री यहां उपस्थित रहेंगे ।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTIONS OF PRIVILEGE

(1) इन्दौर पुलीस द्वारा लोकसभा को भेजी जान वाली याचोका का जब्त किया जाना ।

अध्यक्ष महोदय : किसी दिन पूर्व गृह-कार्य मंत्री विशेषाधिकार के एक प्रश्न के सम्बन्ध में सभा में कुछ तथ्य रखना चाहते थे ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : 24 अगस्त, 1965 को श्री होमी दाजी ने विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रस्ताव पेश किया जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि सन्तोष खरडे नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय इन्दौर शहर के सर्राफा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने इन्दौर में विद्यार्थियों की रीहाई और कालिजों को फिर से खोलने के बारे में लोक सभा के नाम याचिका के दो प्रपत्र (फार्म) अपने कब्जे में ले लिये । श्री दाजी ने यह भी आरोप लगाया था कि सब-इंस्पेक्टर ने, उनको यह बताया जाने के बाद भी कि ये प्रपत्र इन्दौर से संसद सदस्य की मार्फत लोक-सभा को भेजे जायेंगे, यह कार्यवाही इसलिय की ताकि श्री खरडे को हस्ताक्षर एकत्र करने से रोका जा सके और अन्य व्यक्तियों को ऐसा करने से डराया जा सके ।

मैंने जिला अधिकारियों की मार्फत तथ्यों का पता लगाया । यह पता लगा कि 15 अगस्त, 1965 को सांय लगभग 8 बजे बसन्त खरडे के पुत्र सन्तोष को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया । उसको गिरफ्तार करते समय उसके पास से तीन कागजात पकड़े गये ; उनमें से एक लोक-सभा के नाम याचिका का छपा हुआ प्रपत्र था, जिस पर हस्ताक्षरों के लिये कुछ जगह खाली छोड़ी हुई थी । इस प्रपत्र पर कोई भी हस्ताक्षर नहीं था । इस गिरफ्तारी का लोक-सभा को भजे जाने के लिये याचिका पर हस्ताक्षर कराने से कोई सम्बन्ध नहीं था । सन्तोष खरडे को उसी दिन 11 बजे रात्रि में जमानत पर छोड़ दिया गया । उसके विरुद्ध 16 अगस्त, 1965 को दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 107 और 112 के अन्तर्गत इन्दौर के सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रट की अदालत में मुकदमा दायर किया गया । उसकी गिरफ्तारी के समय जो छपा हुआ प्रपत्र मिला था वह अब न्यायालय-अभिलेख का एक अंग हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री दाजी इन तथ्यों को स्वीकार करते हैं ?

श्री दाजी (इंदोर) : जी, हां । लेकिन यह प्रपत्र गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के पास से नहीं बल्कि उसके निवास-स्थान से पकड़ा गया था । जब प्रपत्र पकड़े गये तो उसने उन्हे बताया कि उन्हें हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिये रखा गया है और इसके बावजद भी उन्होंने प्रपत्र ले जाने पर जोर दिया । जहां तक मुझे पता है उसको उसके घर से पकड़ा गया । अत: निश्चित ही धारा 151 के अन्तर्गत कार्यवाही करना बड़ी अजीब बात है क्यों कि धारा 151 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी को किसी अपराधी को अपराध करते हुए ही पकड़ने का अधिकार है ।

दूसरे पुलिस को जब यह बता दिया गया था कि ये प्रपत्र लोक-सभा को भेजे जाने हैं तो उनको प्रपत्र लेने का कोई अधिकार नहीं था । प्रपत्र में लिखा था "लोक सभा, नई दिल्ली । हम, इन्दौर के निवासी निम्नलिखित याचना करते हैं ....."

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : यह प्रपत्र जो कि स्पष्टत: नागरीकों के संसद को याचिका देने के मूलभूत अधिकारों के अनुसरण में लोक-सभा को भेजा जाना था—लिया गया और अब यह इस मामले में एक अभिलेख बना दिया गया है । समझ में नहीं आता कि पुलिस प्रस्तावित याचिका को कसे मुकदमे के रीकार्ड में सम्मिलित की जा सकती है । यह बड़ी गंभीर बात है ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझा हूं, लोक-सभा को भजे जा सकने वाली याचिका का एक छपा हुआ प्रपत्र पकड़ा गया । उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं था ।

श्री दाजी : याचिका में दो प्रपत्र थे । एक कोरा और दूसरा हस्ताक्षर वाला । अब गृह मंत्री के वक्तव्य से पता चलता है कि हस्ताक्षर वाला प्रपत्र गायब कर दिया गया और बिना हस्ताक्षर वाला प्रपत्र अदालत में पेश कर दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : अब केवल प्रश्न यह रह जाता है कि यदि पुलिस तलाशी के दौरान कोई ऐसा प्रपत्र पकड़ती है जो संसद को याचिका देने में काम आता हो तो क्या उस प्रपत्र का पकड़ना भी विशेषाधिकार का उल्लंघन है । इस सीमित प्रश्न को मैं समिति को प्रयषित कर दूंगा ।

श्री स० गो० बनर्जी (कानपूर) : यह पता लगाया जाये कि क्या अन्य धाराओं को विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किये जाने के बाद जोड़ा गया था ।

अध्यक्ष महोदय : उससे मुझे कोई मतलब नहीं है ।

(2) संसदसदस्यों को गिरफ्तारी तथा रिहाई की सुचना के बारे में

Shri Ram Sevak Yadav (Barabanki) : Shri Bagri and Shri Kishan Pattnayak, two membrs of the House were arrested on the 16th August, 1965 and the intimation thereof was sent to the Speaker. But when they were released, the intimation of their release was not conveyed. It is a violation of the requirement of Rule 230 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the House and is, therefore, a breach of privilege of the House. Necessary steps should be taken in the matter.

Mr. Speaker : It is certainly a breach of the rule but is it also a breach of privilege.....

Shri S. M. Banerjee : I would like to draw your attention to a similar case. When I and my friend were released on bail by Jamshedpur Court, the fact was not intimated to the Lok Sabha. I raised a privilege motion and the Home Minister of Bihar and the District Magistrate concerned both had apologised. I think that this case be sent to the Privilege Committee or written to the State Govt. so as to fix the responsibility in the case.

Mr. Speaker : I will bring it to the notice of the Home Minister to enquire as to why the intimation of release was not sent.

There is a decision of the Privilege Committee in the case of Shri Halder in which they held that the non-intimation of fact to the Speaker regarding the release of a Member of Parliament on bail pending trial does not constitute a breach of privilege because Rule 230 does not make it incumbant upon the authority concerned to intimate the fact regarding the release of a Member of Parliament on bail pending trial, to the Speaker.

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, Sir, the rules requiring the intimation of arrest as also release on bail have, after all, been made with some purpose. In this case, non-intimation of the release created some difficulty for Shri Bagri to draw his allowance. These rules should be followed strictly. If there is no breach of privilege, then why the intimation of arrest was sent. So, I submit that the matter should be referred to the Privileges Committee.

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे समझ में नियम 230 समाज्ञापक है कि सदस्य की जमानत पर रिहाई की सूचना अध्यक्ष को भेजी जाये। सभा को यह जानने का अधिकार है कि किसी सदस्य के साथ क्या बीत रही है। अतः यदि सभा को यह जानने से वंचित रखा जाता है तो यह सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। अतः इस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपूर) : मेरा अनुरोध है कि आप इस पर पुनर्विचार करें क्यों कि नियमों द्वारा ही हमारे विशेषाधिकारों का संरक्षण होता है। अन्यथा यदि इसको केवल नियमों का उल्लंघन ही समझा जाये तो इन नियमों का उन अफसरों पर कोई असर नहीं होता। अतः जिन लोगों ने इसका उल्लंघन किया है, उन्हें दण्ड दिया जाये और दण्ड तभी दिया जा सकता है जब इसको विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला समझा जाये। अतः इस मामले पर पुनर्विचार कर इसे विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला समझा जाना चाहिये।

श्री दे० द० पुरी (कैथल) : इस नियम के विवेचन में कुछ कठिनाई है। प्रश्न यह है कि क्या इसमें वे मामले भी आते हैं जिसमें सदस्य की दोष-सिद्धि न हुई हो परन्तु उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया हो **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): जैसा कि नियम 230 इस समय है, वह समाज्ञापक नहीं है, जैसा कि विशेषाधिकार समिति का पूर्व निर्णय था। वह केवल तभी समाज्ञापक होता है जब किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है और दोष-सिद्धि के बाद जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। **(अन्तर्बाधा)** दोष-सिद्धि के बाद चाहे उसने अपील न भी की हो, फिर भी उसको छोडा जा सकता है। जेल मैनुअल में ऐसा खण्ड है। ऐसे उदाहरण भी हैं।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : एक व्यक्ति की न्यायालय द्वारा दोष-सिद्धि के बाद यदि वह कहता है कि वह अपील करना चाहता है तो उसे जमानत पर छोड दिया जाता है ताकि वह अपील कर सके। दंड प्रक्रिया संहिता में यह एक संशोधित उपबन्ध है। **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। मैं इस बात को समझने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री जगन्नाथ राव : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की दोष-सिद्धि की गई हो तो उसको, यदि वह न्यायालय को बताता है कि वह अपील करने को तैयार है, जमानत पर रिहा किया जा सकता है क्यों कि इस अपराधी की जमानत हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यहां 'अपील' केवल एक विशेषण मात्र है "अथवा अन्यथा" का।

श्री जगन्नाथ राव : "अन्यथा" प्रत्येक वस्तु के लिए है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मुझे याद है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री स० मो० बनर्जी के मामले में इस तरह की बात सरकार को और अधिकारियों को बतायी गयी थी और उन्होंने माफी मांगी थी। अधिकांश लोगों ने यह मत व्यक्त किया है कि यह विशेषाधिकार का विषय है।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : हमें ऐसा पूर्वोदाहरण नहीं स्थापित करना चाहिये जिससे यह प्रथा स्थापित हो कि प्रत्येक नियम-भंग सदन के विशेषाधिकार के भंग के समान होगा।

दंडात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त दूसरे रास्ते भी सरकार के सामने हैं जैसे अधिकारीगण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपसे सुझायें कि नियमों का पालन किया जाय, और शक्तिशाली अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दें।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : आप इस पहलू की जांच कर रहे है कि वह विशेषाधिकार का भंग है या नहीं। हम आपको निश्चित आश्वासन देते हैं कि इसका पालन करने के लिए हम सभी कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इसे नियम भंग से अधिक नहीं मानता। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सभी न्यायालय भविष्य में ऐसी जानकारी भेजा करेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : लेकिन गृह मंत्री ने इसके लिए सदन से क्षमा नहीं मांगी। अन्तर्कालीन संसद् में एकबार जब श्री शिब्बनलाल सक्सेना को अधिवेशन के दौरान दिल्ली से हटाया गया था तब प्रधान मंत्री नेहरू और श्री वल्लभभाई पटेल ने सदन से क्षमा मांगी थी। क्या गृह मंत्री में क्षमा मांगने का सौजन्य अब नहीं है ?

अध्यक्ष : मैं गृह मंत्री को एक नियमित पत्र लिखूंगा। सर्व प्रथम गृह मंत्री मजिस्ट्रेट से यह स्पष्टीकरण मांगे कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। बाद में हम देखेंगे।

श्री अ० क० गोपालन के सम्बन्ध में

RE : SHRI A. K. GOPALAN

अध्यक्ष महोदय : मुझे आज कई तार मिले हैं और एक तार मैंने गृह मंत्री के पास भेज दिया है। श्री मुकर्जी और अन्य कई सदस्यों ने श्री गोपालन की बीमारी के बारे में मुझसे पूछा है। क्या मंत्री महोदय के पास कोई आगे जानकारी है ?

श्री नन्दा : राज्यपाल ने डाक्टर से पूछ कर मुझे टेलीफोन किया था कि डाक्टर को इस बारे में कोई चिन्ता नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या उन्हें पैरोल पर रिहा किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग बात है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

खान तथा खनिज पदार्थ (विनियन तथा विकास) अधिनियमन, 1957 के अधीन अधिसूचनाएं

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : श्रीमन्, मैं खान तथा खनिज पदार्थ (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक 24 अप्रैल, 1965 का एस० ओ० 1258

(दो) दिनांक 29 मई, 1965 का एस० ओ० 1656

(तीन) खनिज पदार्थ रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 5 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 793 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दिनांक 5 जून, 1965 की जी० एस० आर० 794

(पांच) दिनांक 12 जून, 1965 का एस० ओ० 1861

(छः) खनिज पदार्थ रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 24 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1011 में प्रकाशित हुए थे।

[**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी** 4643/65]

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 और रबड़ (संशोधन) नियम, 1965 के अधीन अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : श्रीमन्, मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उप-धारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 20 अप्रैल, 1965 का एस० ओ० 1345

(दो) दिनांक 3 जून, 1965 का एस० ओ० 1838

[**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी**-4644/65]

(2) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन रबड़ (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 8 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 698 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी**-4645/65]

रबड़ बोर्ड (भविष्य निधि) नियम, 1965

श्री सें० वें० रामस्वामी : श्रीमन्, मैं रबड़ अधिनियम, 1947, की धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन रबड़ बोर्ड (भविष्य निधि) नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 12 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1840 में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी**—4646/65]

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : श्रीमन, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(क) (1) नमक उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन नमक उपकर (संशोधन) नियम, 1965, की एक प्रति, जो दिनांक 26 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2038 में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी**—4647/65]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन सीमेंट (किस्म नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965, की एक प्रति, जो दिनांक 26 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2041 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी**—4648/65]

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अधीन वर्ष 1963-64 के लिए हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर, का वार्षिक प्रतिवेदन, और लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी** 4649/65]

(4) (क) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, की बहिर्नियमावली (मैमोरेंडम आफ एसोसियेशन)।

(ख) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, की अन्तर्नियमावली (आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन) ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या** 4650/65]

रसायनिक उर्वरकों के उत्पादन तथा सम्भरण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : PRODUCTION AND SUPPLY OF CHEMICAL FERTILISERS

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : श्रीमन्, अभी हाल में देशमें उर्वरक के उत्पादन का काफी प्रचार हुआ है और इस लिए मैं इस मामले में सदन को वर्तमान स्थिति बताना चाहता हूं। वह लगभग 8 पृष्ठ हैं। क्या मैं उन्हें पढ़ दूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। उसे सभापटल पर रख दिया जाये ।

श्री हुमायुन कबिर : मैं वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी**–4651/65]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद्कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 30 अगस्त, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1965 पर विचार तथा पास करना ।

(2) आज के सरकारी कार्यक्रम की किसी अवशिष्ट मद पर विचार ।

(3) निम्न मांगों पर चर्चा तथा मतदान :

वर्ष 1961-62 के लिये केरल राज्य सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगें ।

वर्ष 1965-66 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल) ।

वर्ष 1965-66 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) ।

वर्ष 1962-63 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) ।

(4) अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों पर आग्रह करने लिये आयोजित आन्दोलन और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित शिक्षा उप मंत्री के 26 फरवरी, 1965 के वक्तव्य पर श्री प्रकाश वीर शास्त्री के प्रस्ताव पर गुरुवार, 2 सितंबर, 1965 3 म० प० चर्चा ।

श्री हरि विष्णु कामत: (हौशंगाबाद) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन तीन या चार मंत्रालयों के, जीनकी अनुदानों की मांगें गत अधिवेशन बिना चर्चा के स्वीकृत की गयी थीं, प्रतिवेदनों पर कब चर्चा होगी। क्या उन्हें मालूम है कि राजधानी में यह अफवाह है कि अगला अधिवेशन 3 नवम्बर से शुरु होगा ? यदि ऐसा हो तो अधिवेशन बढाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, अन्यथा वह बढ़ाना होगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आप देश की खाद्य स्थिति पर चर्चा के लिए कुछ समय देने के बारे में विचार करेंगे। हमने यह प्रार्थना की थी कि देशमें किरोसीन तेल के अभाव पर चर्चा की जाये। आगे, उत्तर प्रदेश विधान मंडल बनाम न्यायपालिकाके मामले में उच्चतम न्यायालय की राय के बारे में प्रस्ताव भी कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष विचाराधीन पड़ा है। अतः मंत्री महोदय से हमारी प्रार्थना है कि वे इस विषय पर चर्चा के लिए कुछ समय निकालें।

अध्यक्ष महोदय : अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खाद्य स्थिति पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई थी। कुछ समय बाद मैं इस पर विचार करूंगा कि चर्चा आवश्यक है या नहीं। जहां तक श्री रामन के प्रश्न का संबंध है, कार्यसंत्रणा समिति को इस पर विचार करना होगा कि उन मंत्रालयों के कार्यों पर चर्चा के लिए समय मिल सकता है या नही।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Sir, you had given an assurance in the beginning of this Session that time woud be allocated for discussion on Kashmir, if hon. Members demanded, but it is not clear from the Statement of the Minister of Parliamentary Affairs whether it has been taken into Consideration. I want that some time be given for discussion on Kashmir Situation.

Mr. Speaker : During the discussion on the no-confidence motion these last four days, all these topics have been discussed. It is not possible that all these subjects are taken up for discussion again so soon.

Shri Praksh Vir Shastri : I would also like to say that in view of the deteriorating situation in Punjab as a result of Sant Fateh Singh's threats for hungerstrikes and suicides, it must be taken up for discussion.

Mr. Speaker : The hon. Member is aware that calling attention notices are there in this regard and the hon. Minister is to make a statement thereon on Monday.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं समझता हूं कि कश्मीर के बारे में जो कुछ कहना हो वह अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के दौरान कहा जाय। खास तौर से कश्मीर पर यहां सदन में कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिये क्योंकि उससे सरकार के लिए एक उलझन पैदा होगी और किसी को कोई लाभ न होगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (बैरकपुर) : कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष रखे गये सुझाव के अनुसार हम खाद्य, किरोसीन और अन्य दो बातों पर चर्चा चाहते थे। अब हमें यह बताया जाता है कि समय बहुत कम है। ऐसी स्थिति में क्या हम कार्यमंत्रणा समिति की उपसमिती द्वारा सूझाये गये विषयों को प्राथमिकता देंगे या अन्य संकल्प लेंगे ?

श्री भागवत झा आझाद (भागलपुर) : क्या सरकार विदेशी मामलों पर, खासकर कश्मीर के संबंध में, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र के रवैये को देखते हुए, चर्चा के लिए कोई अवसर देगी ?

श्री सत्यनारायण सिंह : अधिवेशन बढ़ाये जाने के संबंध में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता लेकिन संभव है कि कुछ दिनों के लिए वह बढ़ा दिया जाये। ठीक ठीक स्थिति मैं अगले शुक्रवार को बताऊंगा। कार्य मंत्रणा समिति की उप समिति ने तीन विषयों का सुझाव दिया था जिसमें से एक विषय चर्चा के लिए रखा जा चुका है। किरोसीन की स्थिति पर अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे। जहां तक कश्मीर के प्रश्न का संबंध है, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के समय सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिलेगा। पंजाब के बारे में माननीय गृहमंत्री ध्यान दिलाने वाली सूचना का उत्तर देने वाले हैं। उसके बाद यदि सदन चाहे या आपका सुझाव हो कि इस विषय पर चर्चा की जाये, तो सरकार उस पर विचार करेगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It was stated in this house that the hon. Minister would make statements on Kashmir from time to time. Certain facts about Kashmir have been brought to the notice of the House but there are certain others as U. N. Secretary General's report in regard to which Government have not made any statement. There have been press reports that a letter from the Prime Minister of Russia has been received. Some activity is being resorted to even by Enligsh people. Will the hon. Minister not state the position authoritatively before the House ? I would only like to submit that the hon. Minister may explain to the House the various facets of the Kashmir Question —the international aspect and the other aspects.

Mr. Speaker : Statement cannot be made in regard to every press report. It has already been instructed to the Government to make a statement if it thinks necessary and it has been doing so.

अलिगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प और अलिगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE : ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

Shri Yashpal Singh (**Kairana**) : Sir, I move the following resoution :

"This House disapproves of the Aligarh Muslim University (Amendment) Ordinance, 1965 (Ordinance No. 2 of 1965) promulgated by the President on the 20th May, 1965."

Sir, I may be allowed to say that this ordinance is meaningless. The hon. Minister has today brought forward a bill which is against the spirit of our Constitution, I fail to understand the propriety of issuing this ordinance when the Vice Chancellor of Aligarh University was vested with full powers. It has been admitted by our late Prime Minister and also by the present Prime Minister that Aligarh Muslim University has a record of fine discipline and I fail to understand how the situation has worsened during the period of last six or seven months as to call for the withdrawal of Vice Chancellors powers. I have full sympathy for the Vice-Chancellor. I would respectfully like to tell him that there is no campus in the University where a trial of strength could be held. He is the son of a Nawab and he does not fit in that University which is meant for poor students and poor professors.

Mr. Speaker : You may criticise the Minister as you like but you should not say such things about that gentlemen.

Shri Yashpal Singh : I would like to state to the hon. Minister that it is against our Constitution to frame a separate law, to introduce a separate Bill for this University. A statement by the Education Minister has been published stating that the Aligarh Muslim University has been made a recruiting ground for Pakistan. I may remind that this University has produced great patriots and personalities like Shri Rafi Ahmad Kidwai, Dr. Zakir Hussain, Dr. Mujeeb, and Dr. Syed Mahmud. I fail to understand how you can call it a recruiting ground for Pakistan. I may urge upon the hon. Minister to produce sufficient proof therefor or publicly apologise for this wrong statement. Dr. Shrimali has....

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मुझे समझ में नहीं आता कि यह द्वेषपूर्ण प्रचार क्यों किया जाता है। पार्श्वभूमि सूचना के तौर पर मंत्रालय की ओर से एक वक्तव्य जारी किया गया था लेकिन दूसरे ही दिन मैंने उसका खंडन किया। मैंने बताया कि वह अप्रामाणिक है, गलत है फिर भी आये दिन यह प्रचार किया जा रहा है। मुझे हैरानी है कि माननीय सदस्य ने इस सभा में भी यह द्वेषपूर्ण प्रचार जारी रखा है।

Shri Yashpal Singh : He should definitely give a statement in that regard and state that this statement has not been issued by his Ministry.

Mr. Speaker : He says that he has repudiated it.

Shri Yashpal Singh : I thank him for that.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय): एक लेख-याचिका के उत्तर में एक हलकनामा मेरे पास पडा हुआ है। शिक्षा मंत्री ने उसका खंडन किया है। उसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय में जो उपद्रव हुए हैं वे वास्तव में काफी पुराने साम्प्रदायिक, मदान्ध और प्रतिक्रियावादी तत्वों के कारनामे हैं। लेख-याचिका के उत्तर में मंत्रालय की ओर से यह शरारत भरा हलकनामा दायर किया गया है।

श्री मु० क० चागला : हलकनामे के प्रत्येक शब्द का मैं समर्थन करता हूं लेकिन उसमें 'पाकिस्तान' का एक शब्द भी नहीं है। वह उच्चतम न्यायालय में याचिकादाता के वकील हो सकते है लेकिन इस समय वह संसद में हैं और उनमें जिम्मेदारी की कुछ भावना होनी चाहिये। मैं फिर यह कहता हूं कि अध्यादेश इस कारण जारी किया गया कि अलोगढ़ में प्रतिक्रियावादी, फासिस्ट और सुधार विरोधी तत्व क्रियाशील हुए हैं।

Shri Yashpal Singh : It was stated in this very House that there was a recruiting ground for Pakistan. Our former Education Minister, Shri Shrimali had appointed an official Committee known as Chatterjee Committee. It has stated in its report that "this University has never imposed a ban on the admission of non-muslim students in as much as it was never Communal in its outlook". Regarding the malicious propaganda of "Communal and anti-national activities" in the Muslim University, it has been stated in the Report that the denial of wild rumours and allegations is not always readily possible nor does it carry conviction to minds already prejudiced. Further in regard to the character of Aligarh University, the Report says that although a minority institution, it should be looked upon as the nations contribution to the promotion of that composite culture in which all the people of this land can take legitimate pride.

Our Education Minister has no respect for public feelings. 45 crores of people in India support secularisim. In India, everything like Parliament and Assembly runs on election but there can be no greater injustice than the fact that you want to nominate the court. It is strange that the Executive Council is suspended due to the mischief of a few students. Government says that it was preplanned but it is wrong. I condemn the action of students but they too are responsible for this state of affairs, who have created this sort of situation and atmoshphere there.

The hon. Minister had said in this House that in the cases of Biju Patnaik and Biren Mitra, he would not believe the police reports, but here he immediately promulgates the ordinance in the case of Aligarh Muslim University. He never

[Shri Yashpal Singh]

bothered to conduct a judicial enquiry or to appoint any High Court judge to look into the matter and find out a solution of the problem. I may say that Nawab Ali Yavar Jung cannot put an end to this malady in this way.

It was expected from the Education Minister that he would have gone to Aligarh and would have satisfied the students and staff of the University. He has no respect for public feelings.

Our country is wedded to secularism. We should stand united today to oust the enemy from Kashmir. Dictatorship cannot work at this juncture in this country. To say that Pakistan was made by Muslims is against our sentiments. Pakistan was made by Hindu capitalists. When the House was discussing last time the defence measures, the Government had admitted that 14 Hindu officers of the Captain's rank were spying for Pakistan. I know Hindu capatalists supply arms and ammunition to Pakistan. But there is no question of Hindus and Muslims in regard to Kashmir issue. Our education Minister has been misled in this case.

Pakistan's foundation could be wiped out only when there is true secularism in the country. Captain Sherwani has sacrificed his life in the battle against Pakistan. I can tell the hon. Minister that those who are sitting with him would not stand by him. There is no question of minority and majority here. It is a question of nationality. There are elected members in every University. Why it should not be so in Aligarh University. Why a step-motherly treatment is being done in the case of the Aligarh University ? It should be ended and justice be done to it.

There is no remedy for rumours. There are black sheep in every community. There is no qustion of majority or minority community. Even the Hindu Community is not free from traitars for I can quote hundreds of names of those who have tarnished the history of our country.

Mr. Speaker : You should keep your attention and face towards me. Secondly you should not be swayed away by emotions so as to bring unnecessary things here. You may express your ideas but not in emotional manner.

Shri Yashpal Singh : When he indulges in unnecessary propaganda, I am forced to say then.

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, he is saying such things that he cannot keep his face towards you.

Shri Yashpal Singh : I am addressing the Education Minister.

Mr. Speaker : You address me and not the Education Minister.

Shri Yashpal Singh : I fail to understand why the Education Minister is bent upon destroying this institution to which thousands of Hindus and millions of muslims contributed in different ways. Today there is an atmosphere of police camp in the University. It looks like a martial law ground because police have been posted there in a large number and lakhs of rupees are being spent on them. It is a false propaganda that doctors are trained here for Pakistan.

Shri Bade (Khargon) : Such speeches may lead to communal riots.

Mr. Speaker : Of course, I would also like to say that he would not be able to achieve his ends by such kinds of speeches.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन्होंने कहा है कि हिन्दू भी गोहत्या करते हैं। इसी लिए जनसंघ दल के सदस्य इतने नाराज हो रहे हैं।

श्री रंगा : उन्होंने किसी के पक्ष में अथवा विरोध में कुछ नहीं कहा, उन्होंने वही बात कही है जो बिड़ला मंदिर में लिखी है। जिस तरह बिड़ला मंदिर को आप इस लिए बुरा नहीं कह सकते क्योंकि वहां मुसलमानों को जाने की अनुमति नहीं, इसी प्रकार अलीगढ़ विश्वविद्यालय को भी आप बुरा नहीं कह सकते क्योंकि उसमें हिन्दू नहीं लिये जाते।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : इस विधेयक का हिन्दुओं की परम्पराओं और उनकी विचार-धारा तथा हिन्दुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य को अनुचित बातें कहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में क्या हुआ इससे हिन्दुओं का क्या सम्बन्ध है ? जो कुछ उन्होंने कहा है उसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को कुछ कहने से रोक तो नहीं सकता परन्तु उन्हें मैं परामर्श दूंगा कि उन्हें सारी हिन्दू जाति पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : जिस बात पर चर्चा हो रही है, उसी पर विचार व्यक्त किये जाने चाहिए, अन्य बातों को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri : Such statement that Hindus are responsible for Cow-slaughter should be expunged. Such statements may lead to deterioration of situation in the country, hence such words should be deleted.

Shri Yashpal Singh : I had stated that Hindus have contract for supply of beef worth 12 crores of rupees.

श्री च० क० भट्टाचार्य (रायगंज़) : मेरा औचित्य प्रश्न है। निवेदन यह है सारे हिन्दुओं के बारे में कोई गलत बात कह देना ठीक नहीं। अतः जो कुछ कहा गया है, उसे कार्यवाही में से निकाल देना चाहिए। संसद का वोट प्राप्त करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमें उत्तरदायी व्यक्तियों की तरह व्यवहार करना चाहिए। बोलने वालों को स्वयं ही सोचना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं और उसका प्रभाव क्या होने वाला है। मैं किसी को विचार व्यक्त करने से रोक नहीं सकता।

Shri Yashpal Singh : I only said that one Hindu has contract to supply buf. I can even name him.

Shri Bade : Hindus also indulge in Cow Slaughter and supply beef, these words which should be withdrawn immediately, otherwise, I will walk out.

Mr. Speaker : This is not the correct action. If a Hindu says so, how can I prevent him from saying so.

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Member has freedom of speech but we too have our sentiments. You are to protect our sentiments. He has made false and objectionable observations in his speech which are going on records. These will be read in the country and riots will follow as a result thereof.

Shri Yashpal Singh : If I have said something objectionable then I withdraw.

I want to impress upon the Education Minister that before bringing such a Bill he should also look to the sentiments of the people. He must see what 45 crores of people think about it. You should not punish the Executive Council for the irresponsible acts of the students. You should recognize the act of 1920 and withdraw the ordinance. The present Bill should also be withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Mohammad Tahir (Kishanganj) **:** On a point of order, Sir. I am sorry that this Bill cannot be put forward in the present form. This is void and unconstitutional. I want to draw your attention to article 13, clause 2, to be read with article 30. No minority institution can be taken over like according to the provision of the Constitution. I want your ruling in this matter.

Mr. Speaker : It appears that honourable member is under the wrong impression. I shall not give a decision that since it is not an institution of minorities the Bill is not void. I would rather say it is for the Courts to decide whether a law passed by this House is void on the basis of the Constitutional provisions. The House has every right to pass it. After that the matter can be raised in the law court.

Shri Mohammad Tahir : This is the institution which was set up by the Muslims.

Mr. Speaker : Honourable member is not talking in terms of law.

श्री बदरुद्दजा (मुर्शिदाबाद) : एक संकल्प पर कि साम्प्रदायिक दलों पर रोक लगाई जाय आपने कहा था कि हमारे अधिकार से यह बाहर की बात है । अब भी यही प्रश्न है । यदि कोई अल्पसंख्यकों के सा कोई अन्याय होता है तो आप को उसकी रक्षा करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने गत तीन और इससे भी अधिक वर्षों मे ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया । मुझसे पहले जो अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने भी मेरे विचार में एसा कोई निर्णय नहीं किया ।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मझे अध्यादेश पसन्द नहीं है । सामान्यत: संसद को विधान ही पारित करना चाहिए । यद्यपि विशेष परिस्थितियों में ऐसा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है । मैं साधारणत: विश्वविद्यालयों को स्वतन्त्रता देने के पक्ष में हूं । जो कुछ वहां 25 अप्रैल को हुआ उसके लिए अध्यादेश जारी करने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं था । इस दिन उपकुलपति की जान लेने का प्रयास किया गया । यह केवल अनुशासन हीनता की ही बात नहीं है । बहुत ही गंम्भीर बात है । यह एक नियमित षड़यन्त्र था, जिसे उपकुलपति की जान लेने के लिए संगठित किया गया था । अक्तूबर के मास से लेकर निरन्तर उनके विरुद्ध लिखा और बोला जा रहा था । विज्ञापन इत्यादि भी छपवा कर उनके विरुद्ध प्रचार हो रहा था। इस सब का कारण यह था कि वह एक शरीफ इन्सान और राष्ट्रीय मुसलमान है ।

मेरे हृदय में अलीगढ़ मस्लिम विश्वविद्यालय के लिए बहुत आदर है। उसकी परंपराओं को भी मानता हूं। बहुत अच्छे विद्यार्थी यहां आगे आये हैं। परन्तु यहीं पर एक वर्ग प्रतिक्रियावादी गतिविधिकों में लगा था। और जो कुछ 25 अप्रैल को हुआ उसके लिए यही वर्ग उत्तरदायी है। उपकुलपति ने यह परामर्श दिया कि विश्वविद्यालय के संविधान को भंग कर देना चाहिए और तत्सम्बन्धी अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इसके बिना काम नहीं चल सकता। वह यह चाहते थे कि इस तरह की व्यवस्था की जाय कि आगे को ऐसा होना नितान्त असंभव हो जाय। प्रशासन में भी कई कमियां आ गयी थी। महत्वपूर्ण प्रशासनिक अथवा सरकारी भेद भी गोपनीय नहीं रखे जा रहे थे। संस्था का अखिल भारतीय रूप भी प्रायः समाप्त हो रहा था। इन हालात में अध्यादेश लागु करना जरुरी हो गया।

मेरा निवेदन यह है कि अध्यादेश का लक्ष्य यहीं था कि प्रशासन को शक्ति शाली बनाया जाय। और संस्था को प्रतिक्रियावादियों, साम्प्रदायिक तत्वों तथा रुकावट डालने वाले लोगों से बचाया जाय। अतः उपकुलपति को कुछ शक्तियां देना जरुरी था। विश्वविद्यालय का रूप बदलने का हमारा विचार बिलकुल नहीं था और न है। यह भी हमारा इरादा नहीं था कि शांतिप्रिय विद्यार्थीयों को परेशान कीया जाय। यह अध्यादेश एक अस्थायी विधान था। इस संदर्भ में मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने इस घटना की न्यायिक जांच क्यों नहीं करवाई। प्रथम तो यह कि इस प्रकार की जांच की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे तथ्य लगभग सभी दिशाओं से उपलब्ध हो गये थे। आखिर यह न्यायिक जांच किस लिये कराई जाती। इस लिए कि उपकुलपति को 65 घाव आये। जिन्होंने उन्ह अस्पताल में जाकर देखा वे जानते हैं कि उन्हें 30 घाव थे। और हमें क्या तथ्य पता करने थ ?

इस संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय की बात ही बिलकुल अलग है। वहां तो दलबंदी के तथा कुप्रशासन के आरोप थे, अतः समिति बनाना बड़ा आवश्यक था। इसके अतिरिक्त वहां कोई भयंकर गड़बड़ भी नहीं हुई थी। परन्तु यहा तो उपकुलपति का परामर्श था कि अध्यादेश लागू किया जाय। यदि कोई जांच समिति नियुक्त कर दी जाती तो, वह तो महीनों लगाती और स्थिति अलीगढ़ में बहुत ही भयंकर हो जाती। अतः इसे लागु किया गया। इतना आश्वासन मैं दे सकता हूं कि मैं शीघ्र ही इसके स्थान पर एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करूंगा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक इसी तरह का होगा जिस तरह का कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय का विधेयक होगा। दुसरा मैं यह चाहता हूं कि स्थिति सामान्य हो जाय। सामान्य होने पर अध्यादेश हट जायेगा और उसका स्थान यह विधेयक लेगी। परन्तु यह भी आश्चर्य की बात है कि गत सात वर्ष में आपात विधान ही बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में चलता रहा है। उसे भी अगले सत्र तक हटा दिया जायगा। मैं स्थान्नापन प्रस्तावों के बारे में भी निवेदन करूंगा।

मैं मनोनीत कार्यकारिणी के पक्ष में नहीं हूं। मैं तो लोकतंत्र में विश्वास करता हूं। विश्वविद्यालय के रूप को बिल्कुल नहीं बदला जायगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, विश्वभारती और दिल्ली विश्वविद्यालय, ये चारो संस्थायें राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें हैं। इनके बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। मैं चाहता हुं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम संस्कृति का महान प्रतीक बने। इस्लाम का भारत कीदलित संस्कृति की ओर बड़ा भारी अंशदान है। परन्तु हमें यह सब कुछ भारत के राष्ट्रीय और धमनिरपेक्ष रूप का ध्यान रखते हुए करना है। विश्वविद्यालय को एक साम्प्रदायिक संस्था बनने नहीं दिया जायेगा। मैंने यह जो विचार व्यक्त किये है इससे सदन का बहुमत सहमत है। अतः मैंने जमीयते–उलमा के मंत्री डॉ० महमद को इसके बारे में पत्र लिख कर सारी स्थिति बता दी थी। मौलाना असद मदनी को भी मैंने इसी तरह का पत्र लिख कर सारी स्थिति स्पष्ट की थी। मेरी इच्छा यह है कि यह संस्था काहिरा की "अल अजहर" जैसी बने। यहां केवल भारत के नहीं, सारे संसार से लोगों को शिक्षा के लिए आना चाहिए।

[श्री मु० क० चागला]

अब मैं दो एक शब्द उस आन्दोलन के बारे में भी नवेदन करना चाहता हूं जो कि इस अध्यादेश के सम्बन्ध में चलाया जा रहा है। लोगों के गलत तथा भ्रमपूण बातें बता कर भ्रांति में डाला जा रहा है। मुझे इस बात का खेद है कि कांग्रसी दोस्त भी मस्लिम लीग और जमीयते-इस्लाम के साथ इस मामलें को लेकर गठजोड़े कर रहे है। व एक सामान्य मंच बना रहे ह जिसका नाम उन्होंने "मजलिसे मुश-वारात' रखा है। कांग्रेस का आधारभूत तत्व धर्मनिरपेक्षता का है। गान्धी जी ने इसी सिद्धान्त के लिए अपने जीवन की बलि दी। यदि मेरा विचार धमनिरपेक्षता के पक्ष में नहीं तो अच्छा है कि मैं कांग्रेस को छोड़ दुं। मझे यह बात समझ में नहीं आती कि कांग्रसी कैसे एक ही वक्त में कांग्रस और मस्लिम लीग दोनों के मंचों पर खड़े हो सकते है। कांग्रसी लोगों का साम्प्रदायिक संस्थाओं से क्या सम्बन्ध हो सकता है? आज जो सामान्य मंच बनाया जा रहा है, उसका उद्देश्य मुझे बदनाम करना और इस अध्यादेश का विरोध करना ही है, और कुछ नहीं।

गत तीन महीनों से मैं उर्दू अखबारों का नियमित तौर पर अध्ययन कर रहा हूं। और मैं ऐसे उर्दू अखबारों के पर्चे पेश कर सकता हूं जिसमें बेहद बाते मेरे व्यक्तिगत तौर पर विरुध लिखी गयी। हर-रोज यह बात दोहराई गयी है कि मैं विश्वविद्यालय को समाप्त करने जा रहा हूं। और इसी तरह की और निराधार और झूटी बात। व्यक्ति आज है कल चले जायंगे हमें हमेशा सिद्धान्तों को देखना चाहिए। मेरे विचार अध्यादेश के विरूद्ध जो आन्दोलन चल रहा है वह भ्रामक है और हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते।

यह बात मैं पुनः कहता हूं कि मेरे हृदय में विश्वावद्यालय की परम्पराओं के लिए अधिकतम आदर है। वे हालात सचमुच बड़े ही दुर्भाग्य पूर्ण है जिनके कारण यह अध्यादेश लागू करना पड़ा। परन्तु ऐसा करके मुझे बहुत हर्ष नहीं हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि अलीगढ़ महान बने और सुयोग्य व्यक्तियों का निर्माण करें। हमें उसके लिए कुछ स्तरों को बनाये रखना है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इस संदर्भ में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वविद्यालय के इतिहास में यह प्रथम बार नहीं हुआ है। 1920 में अधिनियम पारित हुआ था, और वह अंग्रजों का जमाना था। उस समय भी अंग्रेजों ने इस बात पर जोर दिया था कि यह विश्वविद्यालय सब के लिए खुला रहना चाहिए। उस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत यह स्पष्ट कहा है कि विश्वविद्यालय एक ही सम्प्रदाय के लिए नहीं होगा।

इसके बाद संविधान आया और उसमें यह रियायत दे दी गयी कि कोर्ट में केवल मुस्लिम सज्जन ही लिये जायेंगे। हमने केवल इतना परिवर्तन किया, मजहबी शिक्षा लेना जरुरी नहीं। बनारस विश्व-विद्यालय अधिनियम में भी यह परिवर्तन किया गया था। इस तरह 1952 में जो परिवर्तन किया गया, उसी के आधार पर अलीगढ़ और बनारस दोनों विश्वविद्यालय चलते रहे।

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि 1928 में भी विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के बारे में कुछ शिकायतें उस समय की ब्रिटिश सरकार के पास की गयी थी। उस समय भी ब्रिटिश सरकार ने विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों के सब अधिकार छीन लिये थे। सारे अधिकार तीन व्यक्तियों को दे दिये गये थे, वे थे कुलपति, उपकुलपति और प्रत्युप कुलपति। और यह सब केवल कुप्रबन्ध के कारण हुआ था। मैंने तो इतने कड़े पग नहीं उठाये। हमनें तो काफी संख्या कार्यकारिणी में रखी हैं और कोर्ट में 30 सदस्यों को मनीनोत किया है। यह भी कहा गया है कि यह मनोनीत कोर्ट लोकतंत्र के सिद्धान्तों के विपरीत है। व्यापक विधान के प्रस्तुत करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा। इस समय तो मनोनीत कोर्ट होगा। उपकुलपति को विशेष अधिकार दिये जायेंगे। किसी को पदच्युत करने के लिए कार्य-कारिणी के दो तिहाई बहुमत होना जरुरी है।

प्रवर समिति को विधेयक के सौंपे जाने के बारे में मेरा निवेदन यह है कि यह तो अध्यादेश की कापी है, क्योंकि समय थोड़ा है। मैं अपना अश्वासन पुनः दोहराता हूं कि शीघ्र ही इसके लिए मैं एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करुंगा विश्वविद्यालय की सारी स्थिति ठीक की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री कोया : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशपाल सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुहम्मद ताहिर : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मोहसिन : मैं अपना संशोधन संख्या 15 प्रस्तत करता हूं।

श्री विश्वनाथ पांण्डे : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुहम्मद इस्माइल : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मोहसिन : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल प्रस्ताव तथा ये सभी संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : हमारा दल विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता का पोषक है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह जैसी भी चाहे अपने बालकों को शिक्षा दे। इसमें कोई सरकारी निदेश नहीं होना चाहिए। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि इस विश्वविद्यालय को स्वर्गीय श्री सर सैयद अहमद ने 1877 में मुस्लिम सम्प्रदाय के लिए स्थापित किया था। अतः इस दृष्टि से अलीगढ़ विश्वविद्यालय मूलतः मुस्लिम संस्कृति तथा ज्ञान का केन्द्र है। अल्प सख्यकों के अधिकारों के प्रति हमें पूर्ण-रूप से जागरुक रहना है। हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिये कि यह संस्था एक अल्पसंख्यक वर्ग की है और इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम सिद्धान्तो का प्रचार करना तथा मुस्लिम प्रयोजनों को पूरा करना है। 1920 के अधिनियम में इसकी व्यवस्था है। 1951 में जो संशोधन किया गया था, उससे भी विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्वरूप में किसी भी परिवर्तन करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ। गैर मुस्लिम लोगों की समिति ने भी प्रायः इसी तरहका ही मत व्यक्त किया था। यह वैसे अच्छी ही बात रही है कि विश्वविद्यालय ने अपने द्वार सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए खुले रखे। लगभग इसके विद्यार्थियों में 30 से 35 प्रतिशत लोग गैर मुस्लिम रहे।

अब मैं 25 अप्रेल की घटना की ओर आता हूं। इस बात को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए कि इस घटना का किसी साम्प्रदायिकता के प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे कोई हिन्दु और मुसलमान का प्रश्न भी नहीं है। झगड़ा तो यह है कि वहां के स्थानीय लोग यह चाहते कि इस संस्था में अपने लिए 75 प्रतिशत स्थान रक्षित करा लें। और बाकी जो बचे, वह सारे भारत से आये लोगों को दी जाय। मेरा निवेदन यह है कि जो लोग इस मामलें को साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास करते है वे इस संस्था के साथ घोर अन्याय करते है। इससे संख्या को भारी हानि पहुंच सकती है।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह आपात कालीन अवस्था में आ रहा है और यह अस्थायी विधान है। यह अच्छी बात है कि शीघ्र ही इसके स्थान पर एक नया व्यापक विधान प्रस्तुत किया जायेगा। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि इसे शीघ्र ही लाया जायेगा, इस लिए आशा की जानी चाहिए कि इस दिशा में अधिक विलम्ब नहीं किया जायेगा। इसे मैं स्वीकार करता हूं कि इस दिशा में हमें बडा जागरुक रहना चाहिए ताकि इस विश्वविद्यालय के स्वरूप को न बदल दिया जाय। साथ ही मैं यह भी कहूंगा

[श्री मी० रु० मसानी]

कि पवित्र अनुच्छद 30 को खराब नहीं किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के नाम के आगे से 'मुस्लिम' शब्द नहीं हटाया जाना चाहिए। बनारस विश्वविद्यालय के नाम से भी 'हिन्दू' शब्द नहीं हटाया जाना चाहिए ।

इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रस्तावित विधेयक का अन्तर बहुत अधिक व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। चाहे विधेयक के निर्माण के समय बनारस विश्वविद्यालय के प्रारूप को सामने रख लिया जाय। यह बात हमें हमेशा सामने रखनी चाहिए कि यह संस्था अल्पसंख्यक वर्ग की है। और जो भी उसमें परिवर्तन किये जायेंगे वे इसी दृष्टि से किये जायेंगे।

धर्मनिरपेक्षता के बारे में मेरा निवेदन यह है कि इस शब्द का हमारे संविधान में ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया। इस शब्द का अर्थ है 'लौकिक'। इसे अध्यात्मिक अर्थों में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमारा संविधान न तो लौकिक है और न ही भौतिक अतः इस शब्द का उपयुक्त अर्थ बहुसाम्प्रदायिक ही लेना चाहिए। अन्त में मेरा निवेदन है कि यह विधेयक पारित किया जाना चाहिए। अलीगढ़ विश्व विद्यालय के स्वरूप को नहीं बदला जाना चाहिए। उसे मुस्लिम विश्वविद्यालय बना ही रहना चाहिए ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

अड़सठवां प्रतिवेदन

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन से, जो 25 अगस्त, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन से, जो 25 अगस्त, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *Motion was adopted.*

नगरीय सम्पत्ति की उच्चतम सीमा के बारे में संकल्प--जारी
RESOLUTION RE : CEILING ON URBAN PROPERTY—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 7 मई 1965 को श्री प्र० र० चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत निम्न संकल्प पर और आगे चर्चा करेगी :

इस सभा की राय है कि नगरीय सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए उपयुक्त उपाय किये जाने चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में स्वीकृत नीति अनुरूप हो।"

श्री प्र० र० चक्रवर्ती (धनबाद) : मेरा यह संकल्प बहुत ही सरल और स्पष्ट है। इससे कुछ मूल बातें सामने आती है। यह संकल्प के रूप में एक सुधार है, और इसे क्रांति भी कहा जा सकता है। हम एक नया विचार अपने समाज के समक्ष रख रहे हैं। नगरीय सम्पत्ति की उच्चतम सीमा का विचार देहाती क्षत्रों के सम्बन्ध में स्वीकार किये जा चुके तथ्य के अनुसार ही है। अधिकांश नगरों में रहने वाले लोग गंदी बस्तियों में बड़ा नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे बड़ा शोचनीय रूप हमारे सामने आता है। मकानों के बारे में स्थिति कितनी शोचनीय है, उसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते है कि अधिकांश शहरी मकानों में एक एक कमरें में 4 से 10 व्यक्ति तक एक वक्त में रहते हैं। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली में 12 लाख लोग नारकीय जीवन व्यतीत करने पर बाध्य है।

हमें कुछ व्यवहारीक होना चाहिए। जर्मनी में यद्यपि समाजवाद का कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी वहां 13 और 14 लाख लोगों को बड़े ठीक ढंग से बसाया गया है, जो कि पूर्वी प्रशिया, रूमानियां तथा चैकोस्लाविया से उजाड़े गये है। आज स्थिति यह है कि हमारे देश में 18 लाख लोग भी ठीक तरह से पुनः नहीं बसाये जा रहे है। वहां व्यवस्था यह है कि हानि का भार सब नागरिकों पर समान रूप में डाल दिया जाता है।

वह ऐसा देश है, जिसने समाजवाद की कभी डींग नहीं मारी। आज उनकी प्रति व्यक्ति आय भी संयुक्त राष्ट्र से अधिक हो गयी है। डा० लोकनाथन समिति का श्री मसानी उल्लेख कर रहे थे उसमें साफ कहा है कि जिस प्रकार आज देश में आय का वितरण हो रहा है उसमें भारी विषमता विद्यमान है। इस लिए कि देश में राजा महाराजा काफी संख्या में है। इस संकल्प द्वारा मैं कुछ व्यवहारिक चीजें सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि जो हमारे आज कर्णधार बने हुए हैं, उन्हें पता लग सके कि उन्होंने उच्चतम सीमा निर्धारित करने में भूल की है। 18 से 19 प्रतिशत तक लोग भुमिहीन हो रहे है। शहरों में गन्दी बस्तियां बढ़ रही है। उनके नजात के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए।

श्रीमन्, जब चर्चिल ने महात्मा गांधी को एक नंगा फकीर कहा तो हम ने क्रोधित हो कर गांधी जी से पूछा कि चर्चिलने आपको ऐसा कहने का साहस किस प्रकार किया। इसपर गांधी जी ने कहा था यह तो मेरे लिये बहुत प्रशंसा की बात है क्यों कि मैं तो भारत के करोड़ों फकीरों का प्रतिनिधि होने का दावा करता हूं। मैं उन लोगों से जो समाजवाद का नारा लगाते हैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी इस देश के करोड़ों दरिद्र और दीन लोगों की ओर ध्यान दिया है? पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी दिल्ली में जिन मकानों में आ कर ठहरे थे सरकार ने उनको तोड़ने का आदेश दे दिया। दस हज़ार लोगों ने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन दिया और मैंने उनका प्रतिनिधित्व किया था और आज वे लोग उन्हीं मकानों में हैं जिन में उन्होंने शरण ली थी।

आज दिल्ली में क्या हो रहा है? लोक दिल्ली के बाहर की ओर 6 रू० गज़ के हिसाब से जमीन खरीद लेते हैं और बाद में जब वहां सड़के और नालियां वगैरा बन जाती हैं तो उसे 65 रु० से 125 रू० गज़ तक की दर से बेच देते हैं।

क्या आप इसे मुनाफा कहें गे या बिना कमाई गई आमदनी? मैं चाहता हूं कि इस पर शत प्रतिशत कर लगाया जाये।

मेरे माननीय मित्र श्री खन्ना ने शपथ ली थी कि मैं कोई मकान नहीं बनाऊंगा। आज वह भारी सम्पत्ति के मालिक हैं? उन्हों ने कहा कि दिल्ली में 35,000 कर्मचारियों को मकान दिये जा जुके हैं और अभी 60,000 मकानों की और आवश्यकता है। यह तो हालत हैं। इसी लिये मैं कहता हूं कि हमें कोई न कोई अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये।

[श्री प्र० र० चक्रवर्त्ती]

डा० ग्रेगर स्ट्रेसर ने कहा था "आज हम उन सब बातों का समर्थन कर रहे हैं जो वर्तमान व्यवस्था के लिये हानिकारक है । हमारी उदार नीतियां नई व्यवस्था के लिये रास्ता बना रही हैं।" श्री राल्फ वाइटवैल ने अपने हाल के एक लेख में कहा है "आपके पास डालर नहीं हैं। आप बेरोजगार है, अशिक्षित हैं, काले हैं । ये सब चीज़े आपको तब तक नहीं मिलेंगी जब तक आप स्वयं जाकर उन्हें नहीं लेंगे । आपके पास सोठा है, टुटी बोतल है । आस पास पत्थर भी हैं और भांडार में बन्दुकें भी हैं । सड़क के नीचे की ओर टुटे हुए शीशों की आवाज़ सुनाई दे रही हैं।"

यह है क्रान्ति । क्या आप चाहते हैं कि हमारे लोग ऐसी क्रान्ति करें।

अक्तूबर, 1964 में मैंने संकल्प प्रस्तुत किया था । मैंने प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को बहुत पत्र भी लिखे, परन्तु कुछ न बना । अब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इसे पास कर दिया है । हम बहुत सी चीज़ों का वायदा करते हैं परन्तु उनको कार्यरुप देने के लिये कुछ नहीं करते ।

लोक अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लाते हैं ? वे जानते हैं कि क्रांन्ति होने वाली हैं । इस प्रकार के शोषण को कोई भी मनुष्य बर्दाश्त नहीं करेगा जो मैंने कलकत्ता बम्बई, मद्रास और दिल्ली में देखा है ।

यह एक ऐसा संकल्प है जो बहुत पहले आ जाना चाहिये था।

मैं नहीं समझता कि सरकारने इतनी प्रतिक्षा क्यों की । जमीन के मामले में आपने गांवों में जिस प्रकार सीमा निर्धारित की है उसी प्रकार शहरों में भी यह चीज़ लागू होनी चाहिये । माननीय वित्त मंत्री इतिहास के सबकों को समझें । मैं चेतावनी देता हूं कि यदि सरकार अब भी और प्रतीक्षा करना चाहती है और उस संकल्प को क्रियान्वित नहीं करना चाहती जो कांग्रेस समिति ने पास किया था तो सरकार को एक बहुत बड़ी क्रान्ति का सामना करना पड़ेगा । केवल बातों से काम नही चलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तूत करता हूं।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प तथा संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) : मैं इस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । परन्तु संकल्प के अन्तिम वाक्यों में जो यह कहा गया है कि देहाती क्षेत्रों में यह निति आरंभ हो गयी है, गलत बात है । मेरे विचार में इस दिशा में कोई भी गम्भीर प्रयास नहीं किया गया । कुछ राज्यों को छोड़ कर ग्रामीण सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लागू नहीं की गई है । बहुत से राज्यों में लोगों के पास भूमि न रहने की स्थिति काफी समय से चली आ रही बात बन कर रह गयी है । मेरा तो अनुरोध यह है कि ग्रामीण सम्पत्तियों पर अधिकतम सीमा यथासम्भव शीघ्र ही लागू की जानी चाहिए ।

कलकत्तें में बड़ी भीड़भाड़ हो जाने का एक कारण यह भी है कि वहां शहरी सम्पत्ति कुछ गुने चुने उद्योगपतियों के हाथों में केन्द्रित हो गयी है । मेरे विचार में शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा का निश्चित न किया जाना देश की प्रगति में बाधा डाल रहा है । यह खेद का विषय है कि नगरों में भूमि

का कुछ लोगों के हाथ में चली जाने से, मध्यमवर्ग के लोग तथा अल्प आय वाले व्यक्ति अपने मकान नहीं बना सकते । शहरी सम्पत्ति कुछ उद्योगपतियों के हाथ में चली गयी, इसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार भी बढ़ा है । लोगों में भूमि और शहरी सम्पत्ति के लिए सट्टेबाजी की भावना बन रही है । हालात यह बन रहे है कि शहरी सम्पत्ति भ्रष्टाचार, सट्टेबाजी और काले धन को जमा करने का जाने एक अड्डा बन गयी है ।

हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि देश ने समाजवाद के लक्ष्य को स्वीकार किया है । इस बात पर बहुत से दलों में भी एक मत है । कांग्रेस तथा साम्यवादी दल, जिनकी की विचार धारा बिलकुल भिन्न है, इस बात पर सहमत है कि सम्पत्ति के बारे में जो भारी अन्तर समाज में पाया जाता है, इसे दूर किया जाना चाहिए । मेरे विचार में यह उपयुक्त समय है जब कि सरकार को शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा के प्रश्न पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिए । मेरा यह भी निवेदन है कि इस बारे में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट कर देनी चाहिए ।

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : I welcome and support this Bill. I want to say something regarding my amendment. It is an unfortunate thing that we pass resolutions but do not see that they are rightly and properly implemented. We had decided to do land reforms long ago, but nothing has been done so far in my State. Constitution and our Parliament have accepted the principle of socialism. But if you want really to bring socialism, then we shall have to remove the disparity that exists in our body politic today.

If we want really to achieve the goal of socialism the economic inequality should be removed. For that aim in view, we shall have to accept this resolution. Also for this purpose ceiling on urban property should also be imposed.

There is no end to the earnings of the people living in urban areas. So I urge that principle of ceiling property which is applicable to the rural property, should be made applicable to urban property also. I have put forward to this effect, I pray that it should be accepted.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I congratulate Shri P. R. Chakravarty for bringing forward such resolution. Such resolution ought to have come from the Government side. I urge upon the Government to accept this Resolution. Today injustice is being done to the people of rural areas. Almost all houses are being constructed in the urban areas alone. I feel that by accepting this resolution the socialism shall be ushered in the true sense of the term.

In the urban areas the prices of land have gone very high, but the price paid to the farmers for their produce was very low. You can very clearly see that while the condition of the farmers was very deplorable, the urban people are becoming richer and richer, some as industrialists and some as tradesman. They are amassing wealth. Government have imposed ceiling on rural property, no such ceiling have been imposed on urban property. Justice demands that there should not be any disparity in between the two. My demand is that Government should take immediate steps to impose ceiling on the urban property.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I thank Mr. P. R. Chakravarty for this Resolution. He is really a practical man. In 1952 I put forward a resolution regarding the ceiling on individual incomes. Government had accepted the principle of Socialism. It is very regrettable that while the Government have imposed ceiling on rural property no such ceiling have been imposed on urban

[Shri Bibhuti Mishra]

property. Even the A. I. C. C. also accepted this principle and Government have ignored its implementation so far. I do not understand that while the principle is accepted why the Government are not doing anything in this direction.

We all know that people in the urban areas making tons of money. They earn lakhs. But the conditions of rural areas are very deplorable. This great disparity should be eliminated. For this it is very necessary that ceiling be imposed on this urban property. I am of the opinion that nobody in the urban areas should have income more than 1,500 rupees per month.

I want to urge upon the Government to accept this resolution otherwise there will be great discontentment in the rural areas.

Shri Rameshwara Nand (Karnal) : I want to tell you that according to the Vedic tenets everybody should have equal opportunity for education. If this disparity goes then the disparity in property will also go. I am not for imposing ban on the earning of property. You should place ban on the distribution of property. This will solve the problem of the country.

I am of the opinion that it is not possible to have equality in all matters. By such tactics you will only take the country towards Communism. Even in the Communist countries there is inequality. Earning of the property should be banned, this is bad thing and I shall oppose it.

No ceiling should be placed on either property, rural as well as urban. We should regulate distribution and use of the property.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : I am quite in agreement with the principle of the resolution, and support it fully. We have accepted the principle of Socialism and everybody must get equal opportunities to go forward. As the first and foremost principle of Socialism is equality in all directions. And there should not be any type of discrimination at all.

In this connection, I may state that it is very clear discrimination that we have imposed ceiling on the land, but nothing such has been done in connection with the urban property. We should also impose ceiling on the urban property.

Our Constitution gives equality to everbody and nobody is denied social, economic and political justice. Then why should the ceiling be not imposed on the urban property. With these words, I support this resolution.

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। इससे गरीबी और गरीबों की हालत में सुधार होगा, यह बात निराधार है। मेरा विचार है कि प्रस्तावक महोदय ने जो उपाय निर्धन वर्गों की दशा सुधारने के लिए सुझाये हैं, वे उपयुक्त नहीं है। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जायदाद के मालिकों से सम्पत्ति छीन लेने से ही गरीबों की दशा में सुधार हो जाना सम्भव नहीं। भारत में तो वैसे भी धनी लोगों की संख्या बहुत कम है। अत: हमारे देश में सम्पत्ति को अमीरों से छीन कर भी गरीबों में बाटी जाय तो समस्या हल नहीं होती। बड़े बड़े शहरों में जो भूमि का मूल्य अधिक है, इसका कारण सरकार की गलत नीति है। उसने उद्योगों का किसी विशेष क्षेत्रों में केन्द्रीयकरण कर दिया है। मैं तो इस बात का भी आग्रह करूंगा कि सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये और उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में लाना चाहिए। जहां तक निर्धन लोगों की दशा सुधारने का तर्क है, मेरा मत यह है कि यदि शहरी सम्पत्ति

की उच्चतम सीमा निर्धारित हो गयी तो निर्धन लोगों की दशा और खराब हो जायेगी। सम्पत्ति का वितरण करने के स्थान पर हमें पहले उसे शहरों में परिवर्तन करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतम सीमा का परिणाम यह होगा कि कृषि उत्पादन रूक जायेगा।

इस सम्बन्ध में हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यदि शहरी सम्पत्ति पर उच्चतम सीमा नियत कर दी गयी, तो लोगों को उसका मुआवजा देना पड़ेगा। वह कहां से आयेगा? कर लगाने पड़ेगे अथवा ऋण लेना पड़ेगा। काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरा मत यही है कि इससे हमें काफी अतिरिक्त बोझ सहन करना पड़ेगा। गरीबों की हालत इससे सुधरेगी, ऐसी कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती।

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur) : I support the Resolution which is before the House at present and congratulate the mover for that. I am of the opinion that we should accept this resolution which takes us to the right direction. It deserves whole hearted support of the House. We should try to improve the lot of the poor pepote.

[डा० सरोजनी महिषी पीठासीन हुई ।]
[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair.*]

We determined to change the old era, where the man who produced a lot had to remain hungry. Let me state that the anamolous approach in respect to our policies in respect of the urban property and rural property must now come to an end.

Let me state that if we are really true to our promises and pledges which we gave to the country, then we must look to the great disparity existing in the rural and urban areas. This disparity must go as early as possible. This is really very unfortunate that the poor peasants in the villages are still unprotected. After all how long we are going to suffer owing to this.

It is very sad that we find corruption every where. Those who have earned lakhs of rupees through black market are dominated in the society. There people should not be allowed to contest election for the legislatures. My submission is that if the resolution is not accepted by the Government, it should at least be referred to the Committee, as it has been suggested in an amendment to the Resolution.

Shri Chandramani Lal Chaudhri (Mahua) : This Resolution should be accepted by the House without any hitch. We are pledged to the people of the country to eradicate poverty. Therefore my view is that a ceiling on the urban property is absolutely necessary. The proper growth of the rural and urban areas should be ensured.

I do not find any reason for not adopting a policy in respect of the urban property which we have already adopted for the rural property. In this connection the best course is that the big property owners in the cities should come forward of their own accord and help in solving this problem. We do not want that injustice should be done to anybody. What we want is that the prevalent disparity should go as soon as possible.

We must also be very careful about the political sufferers. They must be given priority in the matter of land allotment and its distributions.

Shrimati Laxmi Bai (Vikarabad) : I congratulate the mover of the Resolution for this move. The old days are gone and now we stand with socialism. Nobody should be deprived of the elementary needs of human beings. The ceiling on the urban property is necessary to remove the existing disparity. We should ensure better standard for all.

Let me state that our ruling party stands committed to the principle of the resolution. I think there should not be any fear in the mind of anybody about the ceiling on the urban property. It is not aimed at doing any harm to any class whatsoever. What we want is that there should not be the concentration of wealth in fewer hands. Every section of our people should have an equal status and should maintain a better standard of life.

This resolution should be accepted and Government should ensure that it will be implemented in every State. I support this resolution.

श्री क० दे० मालवीय (बस्ती) : हमारी सरकार समाजवाद को लाने के लिए वचनबद्ध है। अतः उसे इस कार्यक्रम पर बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा कि किस प्रकार शहरी भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित की जाय। इसका आवास से सम्बन्ध है। सरकार ने कहा हुआ है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को एक मकान देना चाहती है। मेरा निवेदन यह है कि अपने वर्तमान कार्यक्रम से वह इस उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर सकती। इस दिशा में यदि सफलता प्राप्त करनी हो तो हमें भवन निर्माण का समाजवादी रूप अपनाना होगा। सारी भूमि राज्य की मानी जानी चाहिए, और भवन निर्माण का सारा भार सरकार के हाथ में होना चाहिये। इस नीति के बिना हम इस दिशा में बहुत अधिक सफलता की आशा नहीं कर सकते। अब यह हम सहन नहीं कर सकते कि लोग सैकड़ों घर बनाते चले जाय और किराया खाने के अभ्यस्त बने। ऐसी हालत में हम अपने आप को समाजवादी राष्ट्र कैसे कह सकते हैं। सरकार को इस दिशा में गम्भीरता से पग उठाने चाहिए अन्यथा समाजवाद की बातें करनी छोड़ देनी चाहिए।

Shri K. N. Tiwary (Bagaba) : I support the Resolution put forward by Shri Chakravarty. It is no doubt this is a very complicated problem. But I feel that it is time when Government can do something positive in the direction of putting a ceiling on urban property. Comprehensive Bill should be brought on this subject.

We should also see that there is a serious difference between the people of rural areas and of the urban. All the facilities are enjoyed by the urban people, while rural people spend their time in almost heart burning. They are practically neglected. Therefore I feel that a ceiling on the urban property will be a right step in the right direction.

As far as Housing is concerned, Government should build houses and give them to the people of low income groups on hire purchase basis or on reasonable rent. We should also seriously consider the ceiling on individual income. My submission is that Government should not oppose this Bill.

Shri J. P. Jyotishi (Sagar) : I congratulate the mover of this resolution. He has reminded us of our past commitments by drawing the attention of the House to this subject. It has been stated that Bill is not going to give any relief to the poor people. But I feel that the ceiling on urban property is very

necessary to ensure that the wealth does not concentrate in the few hands. We have seen that the concentration of wealth and the exploitation of the poor go hand in hand.

I do not agree with the view that a ceiling on urban property will be standing in the way of production. The time has come that the rich class in our country should realize that production is ultimately done for the benefit of the country at large and not for the few individuals. I urge upon the Government to accept this resolution in view of our commitments and as well as in the interest of social and economic justice.

Dr. Mahadev Prasad (Maharajbanj) : We have decided to bring Socialism in this country. I am of the opinion that this resolution is quite in conformity with our objective of Socialism. We have to very seriously see that wealth is equitably distributed. We should try to put an end to all an productive ways of earning money. In context of our aim of Socialism the ceiling on urban property is very necessary. This is also very essential to ensure better civic management of our cities.

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : We want that there should be equality of opportunity. We want that the capital should be controlled in the country on the basis of socialism and its concentration checked. This objective can be achieved in many ways. One is the putting of ceiling on urban property. The Planning Commission is examining the questions. The final policy in this regard shall be laid after discussing this matter with the State Governments.

To adopt the motion and the amendment relating to that in their present form would be to bind ourselves and we shall not be able to achieve our objective. I therefore urge upon the Hon. Members not to insist on the adoption of their amendments in form in which they have tabled.

Shri Bibhuti Mishra sopke about the fixing of ceiling on urban property at five times the per capita income. Now, the per capita income is Rs. 400 and five times of this will be Rs. 2,000. In cities Rs. 2,000 are spent on the purchase of a small plot of land. Therefore, the fixing of ceiling on urban property at Rs. 2,000 is not practical. Now, it is argued that since ceiling has been put on agricultural lands in the villages, it should also be put here. There is difference between the two. The question of socialism and distribution of wealth is involved in the case of agricultural holdings.

In cities different criteria is followed. I admit that in big cities like Bombay and Delhi, people have constructed palatial buildings in the form of houses. The value of land in Delhi has increased to 20 times and in some cases even to 40 times than what it was some 15 years back. The persons who purchased land 15 years back greatly benefited without putting in any labour. This concentration of wealth was due to the fact that in the past few years we were engaged in development works and the value of land increased. This is against the principles of socialism and we have to fight this evil. Today we are confronted with the question whether this problem of concentration of wealth in the hands of a few can be tackled by putting a ceiling on property or some other measures have got to be taken.

[Shri B. R. Bhagat]

Now, so far as the question of putting ceiling is concerned we find that the property is accumulated in the hands of different category of persons and in different ways. There are persons who do not earn profits such as Government and semi-Government institutions. Nobody would like to impose such ceiling on Government property which values at crores of rupees. Similarly Co-operative institutions are owning large properties. Here also, there cannot be two opinions that the ceiling should not be put on them. Thirdly there are educational, social and cultural organisations owning large properties. Here again we do not like to put such restrictions. Then comes the question of private individuals, private corporations and registered corporations. Whats hould be with regard to them is a practical question which I want to put before you.

Taking the practical aspect of the problem if such restriction is put on urban property, I fear the construction work will stop in cities.

Shri Malviya suggested that all the lands in cities should be nationalised and the housing construction programmes, such as in other socialistic countries, should be undertaken with a view to provide housing accommodation to all. We have appointed a working group to look into this question. It is estimated that to provide houses to all the people in the big cities like Bombay, Delhi, in the coming ten years, about 10,000 crores of rupees will be required for the construction of 1,65 lakh houses, i. e. 1,000 crores of Rupees every year.

Now the question arises who will invest this amount, Government, co-operative institutions or private individuals and whether for that purpose lower income housing and middle income housing schemes should be formulated. We have to decide what method we have to adopt for *that* in the next 5—10 years in the five year plans. This question is still under consideration and we have not reached at any final conclusion so far.

Shri Balmiki (Khurja) : In the last three five year plans no attention has been paid to the housing problem of the poor. It is futile to think that attention will be given to this question in the Fourth Plan. It smacks of capitalistic mentality and I oppose it.

Shri B. R. Bhagat : The plan outlay for the next plan is Rs. 19,000 crores with a current output of Rs. 2,180. Private Savings are estimated at 11,000 rupees. Capital formation will be of the order of 8,000 rupees. The rest will be met by loans from inside and outside.

Our policy is to encourage private savings so that we have good capital formation. We can make only marginal change in this policy. Most of the house construction has so far been done on the basis of the private savings and therefore we will not like to do anything, which undermines it.

We are considering all the aspects of the question. We will formulate a policy in this connection after consulting all the Hon. Members. We are completely attune with the spirit of the proposal brought forward by the Hon. membbers. We do not want that big capitalists should go on constructing houses in the cities and we are going to decide this question very soon.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : स्वतन्त्र दल के वक्ता के उत्तर में मैं डा० वाल्थर फ्रुंक के कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

"मैंने हिटलर पर दबाव डाल कर सारे दल की आर्थिक नीति पर प्रभाव डालने का प्रयत्न किया कि मूल आर्थिक नीति में व्यापारी की आत्मनिर्भरता और उपक्रमों में उसकी स्वतंत्रता को बडा महत्व दिया जाना चहिए।"

तुरन्त ही हिटलर ने कहा "मैं सरकार द्वारा नियन्त्रित अर्थव्यवस्था का दुश्मन हूं।" योजना मंत्री ने जो कुछ कहा उसके उत्तर में मैं हिटलर के ये शब्द रखना चाहता हूं :

"मज़दूरों को रोटी चाहिये। उनके बड़े बड़े आदर्शों से कुछ नहीं करना है। हम आदर्शों से मज़दूरों को नहीं जीत सकते हैं"।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इतिहास के पृष्ठ खोलकर देखे। योजना मंत्री ने जो तर्क दिये हैं उनका मेरे प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रस्ताव का मतलब यह नहीं है कि मकानो के निर्माण पर सरकार प्रतिबन्ध लगाये। मकानों के निर्माण का प्रश्न यहां पैदा नही होता है। यहां तो प्रश्न यह है कि इस बात को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया जाये कि जिन लोगों ने दिल्ली शहर में 500 से 1,000 गुना कमाई कर ली है उनपर प्रतिबन्ध लगाया जाए। इसलिए यह तथ्यों और आंकड़ों का प्रश्न नही है। प्रश्न तो यह है कि इस बात को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया जाये कि शहरी सम्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा।

मैं अपील करता हूं कि नेहरू जी और गांधी जी के आदर्शों पर विचार करते हुए मेरे संकल्प पर गौर स विचार किया जाये।

सभापति महोदय द्वारा स्थापन्न प्रस्ताव संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ / *The substitute motion No.* 1 *was put and negatived.*

सभापति महोदय द्वारा स्थापन्न प्रस्ताव संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया।

लोकसभा में मतविभाजन हुआ/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 8; विपक्ष में 98/ Ayes 8; Noes 98

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ/*The motion was negatived.*

संशोधन संख्या 3 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया/*Amendment No.* 3 *was by leave withdrawn.*

संशोधन संख्या 4, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया/*Amendment No.* 4 *was by leave withdrawn.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"इस सभा की राय है कि नगरीय सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिये उपयुक्त उपाय किये जाने चाहिये जो ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में स्वीकृत नीति के अनुरूप हों।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 14 विपक्ष में 68/Ayes 14; Noes 68

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ/*The motion was negatived.*

इसके पश्चात लोकसभा सोमवार, 30 अगस्त, 1965/8; भाद्र, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगीत हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday the 30*th August,* 1965/*Bhadra* 8, 1887 (*Saka*).

भा. स. मु. ना.—वि. 6—22 लोक सभा/65—28-3-66—600.